सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यपरिषद् की बैठक

दिनांक - 10-01-2015
समय - अपराह्ण 03:00 बजे से
स्थान - योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1- डा. पृथ्वीश नाग, कुलपति- अध्यक्ष

2-	प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय	3-	प्रो॰ आशुतोष मिश्र
4-	डा॰ राजनाथ	5-	रमेश प्रसाद
6-	प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह	7-	डा॰ परमात्मा दुबे
8-	डा॰ ललित कुमार चौबे,	9-	प्रो॰ हरिप्रसाद अधिकारी
10-	डा॰ शैलेश कुमार मिश्र	11-	वित्ताधिकारी
12-	कुलसचिव - सचिव		

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनाङ्क 19.02.2014, 24.03.2014, 09.04.2014, 19.04.2014, 24.05.2014 एवं 18.12.2014 के कार्यवाही की पुष्टि।

विचार के क्रम में परिषद् के सदस्य प्रो.प्रेमनारायण सिंह ने कहा कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.02.2014 में वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.02.2014 में की गयी संस्तुति के विपरित 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत यू.जी.सी. से आवंटित अनुदान के अर्न्तगत पंचवर्षीय योजना के लिये भवन (Buildings) के आवंटित धनराशि में जो परिवर्तन करके निर्णय लिया गया है वह नियम संगत नही है, क्योंकि वित्त समिति की संस्तुति से अन्यथा कार्यपरिषद् के मत स्थिर होने पर प्रकरण कार्यपरिषद् की मंशा को दर्शाते हुए पुनः विचार करने के लिए वित्त समिति को भेजा जाना चाहिये। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में ऐसा नही हुआ है। प्रो. सिंह ने यह भी कहा की वित्त समिति की संस्तुति दिनांक 12.02.2014 के अनुसार ही अनुदान आवण्टन रखा जाना चाहिये।

अतः परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से इस बिन्दु पर कार्यपरिषद् की मंशा को दर्शाते हुए प्रकरण पुनः विचार के लिये वित्त समिति को सन्दर्भित किया जाने का निर्णय लेते हुए

कार्यपरिषद् की बैठक दिनाङ्क 19.02.2014, 24.03.2014, 09.04.2014, 19.04.2014, 24.05.2014 एवं 18.12.2014 के कार्यवाही की सपुष्टि की।

कार्यक्रम संख्या -2- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांङ्क 19.02.2014, 24.03.2014, 09.04.2014, 19.04.2014, 24.05.2014 एवं 18.12.2014 में लिये गये निर्णयों के क्रियांवयन की सूचना।

परिषद् के समक्ष कुलसचिव ने कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.02.2014, 24.03.2014, 09.04.2014, 19.04.2014, 24.05.2014 एवं 18.12.2014 में लिये गये निर्णयों के क्रियांवयन की सूचना प्रस्तुत की। परिषद् सूचना से अवगत हुयी एवं कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -3- वित्त समिति की बैठक दिनांङ्क 30.06.2014, 22.09.2014 एवं 01.12.2014 की संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.06.2014, 22.09.2014 एवं 01.12.2014 की अधोलिखित संस्तुतियों को प्रस्तुत किया गया।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

वित्त समिति की बैठक

दिनांक : 30.06.14
समय : अपराह्ण 12.30 बजे
स्थान : कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति

1.	प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र, कुलपति	–	अध्यक्ष	
2.	प्रो. यदुनाथ प्रसाद दूबे, प्रतिकुलपति	–	सदस्य	
3.	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी।	–	सदस्य	(अनुपस्थित)
4.	श्री जे0 पी0 राय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, वाराणसी मण्डल वाराणसी।	–	सदस्य	
5.	प्रो0 माताबदल शुक्ल पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्ध शास्त्र संकाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	–	सदस्य	
6.	श्री मुकुन्दी लाल गुप्ता, वित्त अधिकारी	–	सदस्य–सचिव	
7.	श्री पन्ना राम, कार्यकारी कुलसचिव	–	सदस्य	

कार्यवृत्त

कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम संख्या 1 वित्त समिति की विगत बैठक दि• 12.02.2014 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि तथा कृत कार्यवाही की सूचना।

वित्त समिति की विगत बैठक दि0 12.02.14 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि की गई तथा कृत कार्यवाही से वित्त समिति अवगत हुई।

कार्यक्रम संख्या 2 कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.2.2014 में वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 12.02.14 के कार्य विवरण की संस्तुति पर विचार विमर्श के अनन्तर कार्य परिषद के निर्देश के अनुसार संशोधन की सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव : वित्त समिति की उपर्युक्त संस्तुति पर विचार–विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से निर्देश दिया कि–

1. श्री राकेश कुमार मालपाणी, कुलसचिव को शताब्दी भवन स्थित अतिथि भवन में रहने की अवधि में वित्तीय नियम के अनुसार आवास भत्ता आदि प्रदान किया जाय।

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि श्री राकेश कुमार मालपाणी को प्रश्नगत भुगतान कर दिया गया।

2. 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत यू0जी0सी0 से आवण्टित अनुदान के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना के लिए भवन (Buildings) के आवंण्टित धनराशि को अधोलिखित रूप में परिवर्तित कर दिया जाय।

1.	Renovation of Building	- 3 Crore
2. (i)	Construction Of New Building	- 1 Crore
(ii)	Campus Development	- 25 Lakh
	Total	4.25 Crores

Renovation Of Building हेतु आवंटित धनराशि से ऐतिहासिक मुख्यभवन के छत का मरम्मत कराया जाय। साथ ही यह मरम्मत कार्य INTACH से कराया जाय।

वित्त समिति अवगत हुई ।

3. प्रो0 वी0 कुटुम्ब शास्त्री, पूर्व कुलपति से रू0 523494/– की छठवें वेतन के एरियर से वसूली कर ली जाय। यदि सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल नहीं होती है तो प्रो0 शास्त्री को शेष राशि जमा करने हेतु सूचित किया जाय और इसकी सूचना गुजरात के मा0 राज्यपाल (कुलाधिपति, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय) को भी सूचित कर दिया जाय।

प्रो0 वी0 कुटुम्ब शास्त्री से छठवें वेतन के एरियर से रू0 1,25,443/– की वसूली कर ली गयी है, शेष धनराशिश्रू0 3,98,051/– जमा करने हेतु प्रो0 शास्त्री को शीघ्र पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा।

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि उपकुलसचिव प्रशासन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के पत्रांक 35020/2010/ADMN/RSKS/3174 दि0 23.09.10 के द्वारा प्रो0 वी कुटुम्ब शास्त्री की नियुक्ति तीन वर्षों के लिए कुलपति पद पर होने के कारण दि0 02.08.08 से 30.09.10 तक के अवकाश वेतन अंशदान/पेंशनरी अंशदान की मांग की गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा चेक सं0 095142 दि0 18.12.10 से रू0 5,23,494/– आहरित कर इलाहाबाद बैंक के द्वारा बैंक ड्राफ्ट सं0 696966 दि0 20.12.10 द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था।

अतएव राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली को प्रेषित राशि रू• 5,23,494/– की वापसी हेतु पत्र प्रेषित करने की संस्तुति प्रदान की गई । यह भी निर्णय किया गया कि उपरोक्त धनराशि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा नही प्रदान किया जाता है तो प्रो• शास्त्री से इसकी वसूली की जायं।

4. जिन अध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अधिक अनियमित वेतन भुगतान सम्बन्धी आडिट आपत्ति लम्बित है उनसे भी वेतन का एरियर अथवा मासिक वेतन आदि से धनराशि वसूली करने से पहले एक बार सम्बन्धितों को सूचित किया जाय। तत्पश्चात् कटौती की कार्यवाही की जाय। साथ ही परिषद् ने यह भी निर्देष दिया कि आडिट आपत्तियों का निस्तारण शीघ्रताश्शीघ्र की जाय।

सेवानिवृत्त अध्यापकों से रू0 3,70,885/– तथा सेवारत अध्यापकों से रू0 10,27,553/– की वसूली कर ली गयी है। उक्त के अतिरिक्त सेवारत अध्यापकों से रू0 7,000/– प्रतिमाह की वसूली की जा रही है।

वित्त समिति अवगत हुई।

कार्यक्रम संख्या 3 वर्ष 2011–12 के लिए स्वीकृत अनुदान रू• 5,24,45,000/– अप्रयुक्त होने के कारण शासन को वापस किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव : सम्परीक्षा में उद्घाटित आपत्ति–राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का अनुदान वर्ष 1998–99 के स्तर पर फ्रीज कर दिये जाने के फलस्वरूप खर्च में होने वाले वृद्धि के कारण अनुदान में वृद्धि की गई थी। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये उच्च शिक्षा अनुभाग–4 उ0प्र0 शासन, लखनऊ के राजाज्ञा सं0 2296/सत्तर–4–2011–64 ए0क्यू0 (3)/2005 दिनांक 21 दिसम्बर 2011 द्वारा इस विश्वविद्यालय के लिये आलोच्य वर्ष में पूर्व स्वीकृत अनुदान रू0 5,25,55,000/– के अतिरिक्त धनराशि रू0 5,24,45,000/– का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत हुआ था जो मानक मद 20(गैर वेतन) और मानक मद 31(वेतन मद) में व्यय किया जाना था। उक्त राजाज्ञा दि0 21.12.2011 के प्रस्तर 4 के अनुसार यदि आलोच्य वर्ष के दौरान स्वीकृत अनुदान खर्च नहीं होने के कारण अवशेष बचता है तो उसे नियमानुसार राजकोष में वापस जमा करके शासन को अवगत कराना अपरिहार्य था। संपरीक्षा में पाया गया कि यह अनुदान रू0 5,24,45,000/– कोषागार से आहरित कर इलाहाबाद बैंक के सामान्य खाता

सं0 21062803895 में दि0 02.02.2012 को (चेक सं0 221987 दि0 23.01.2012) जमा किया गया परन्तु दि0 31 मार्च 2012 तक उक्त अनुदान उपभोग नही हो सका था। संपरीक्षा में यह भी उद्घाटित हुआ कि विश्वविद्यालय के नौ प्रमुख बैंक खाताओं में आलोच्य वर्ष 2011–12 के वर्षान्त तिथि दिनांक 31.03.2012 को धनराशि रू0 29,08,60,842/– अवशेष जमा था, जिसका विवरण निम्नवत् था।

क्र•सं•	बैंक का नाम/मद	खाता सं0	धनराशि
1	इलाहाबाद बैंक (सामान्य मद)	21062803895	29022376
2	इलाहाबाद बैंक (वेतन मद)	21062804301	26571602
3	इलाहाबाद बैंक (परीक्षा मद)	21062875770	86325334
4	इलाहाबाद बैंक (विकास मद)	21062874807	125366351
5	इलाहाबाद बैंक (अनावर्तक)	21062891861	3651015
6	इलाहाबाद बैंक (प्रवेश परीक्षा)	21062874856	4455799
7	बैंक आफ इण्डिया	690110110000154	13403443
8	आन्ध्रा बैंक	062010100004890	1893062
9	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	304002011082138	71860
	योग		**29,08,60,842**

सूच्य है कि प्रश्नगत अनुदान रू0 5,24,45,000/–(रू0 पॉच करोड़ चौबीस लाख पैतालीस हजार मात्र) विवरण के क्रमांक 1 एवं 2 पर अंकित बैंक खाताओं में विभाजित कर अलग–अलग अवशेष था। संपरीक्षा में अनुदान उपभोग न हो पाने की वजह की समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में राजाज्ञा सं0 697/सत्तर–4–2011–64 ए0क्यू0(3)/2005 दि0 31.03.2011 द्वारा स्वीकृत अनुदान रू0 5,42,67,000/– कोषागार से आहरित कर वेतन खाता सं0 21062804301 में दि0 11.04.2011 को जमा किया गया और इस धनराशि का वास्तविक उपभोग वर्तमान संपरीक्षा वर्ष 2011–12 में हुआ था। हालांकि वर्ष 2010–11 के लिये स्वीकृत इस अनुदान को दिनांक 31 मार्च 2011 तक व्यय हो जाने की झूठी सूचना के आधार पर शासन को फर्जी उपभोग प्रमाण–पत्र भी भेज दिया गया था जबकि उक्त तिथि को न तो कोषागार से धनराशि आहरित हुआ और न तो व्यय ही किया गया था।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2011–12 में विगत वर्ष का अप्रयुक्त अनुदान रू0 5,42,67,000/– तथा आलोच्य वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान रू0 10,50,00,000/– में से रू0 5,25,55,000/–(प्रश्नगत अनुप्रयुक्त अनुदान रू0 5,24,45,000/– को छोड़कर) अर्थात कुल अनुदान रू0 10,68,22,000/–(रू0 दस करोड़ अडसठ लाख बाइस हजार मात्र) का उपभोग हुआ था। बजट में वास्तविक व्यय रू0 10,50,00,000/– का अनुदान उपभोग ही दिखाया गया जो कि रू0 18,22,000/– कम था। अतएव आलोच्य वर्ष के लिये स्वीकृत अनुरक्षण अनुदान रू0 10,50,00,000/– को बजट में कपटपूर्ण तरीके से उपभोग दिखा कर कार्यपरिषद एवं शासन को गुमराह किया गया था। इस आलोच्य वर्ष का उपभोग प्रमाण–पत्र बार–बार मॉग किये जाने के बावजूद प्रस्तुत नही किया गया।

वर्ष 2010–11 का फर्जी उपभोग प्रमाण–पत्र शासन को भेजना तथा बजट में आलोच्य वर्ष 2011–12 के लिये अनुरक्षण अनुदान की वास्तविक उपभोग की धनराशि रू0 10,68,22,000/– के बजाय मात्र रू0 10,50,22,000/– प्रदर्शित करना गंभीर अनुशासनहीनता है। अतः उपर्युक्त मामले की ओर वित्त अधिकारी एवं कुलपति का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपेक्षा है कि प्रश्नगत अनुदान रू0 5,24,45,000/– जो बैंक में अप्रयुक्त रहा है, तत्काल राजकोष में जमा कर शासन को सूचित किया जाय ताकि संदर्भित राजाज्ञा दि0 21.12.2011 के प्रस्तर 4 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

उक्त संदर्भ में विश्वविद्यालय का पक्ष निम्नवत् है – वर्ष 2011–12 में अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त रू0 5,24,45,000/– के अतिरिक्त शासन से अनुदान के रूप में रू0 5,22,72,000/– तथा शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति रू0 2,83,000/– कुल रू0 10,50,00,000/– प्राप्त हुआ था। जबकि वित्तीय वर्ष 2011–12 में वेतन पर ही कुल रू0 17,52,38,153/– व्यय हुआ इससे स्पष्ट है कि रू0 5,24,45,000/– का उपभोग 2011–12 के वेतन मद में व्यय किया गया है।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में शासन से वेतन–मद/गैर वेतन की कुल धनराशि रू0 10,50,00,000/– के सापेक्ष केवल वेतन मद में ही विश्वविद्यालय द्वारा 17,52,38,153/– व्यय करने के कारण कोई भी धनराशि व्यय हेतु अवशेष रहने का औचित्य ही नहीं है।

अस्तु तद्नुसार सम्परीक्षा को उक्त आपत्ति निस्तारित करने हेतु अनुरोध किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय

वित्त समिति ने वित्त अधिकारी को निर्देश दिया कि पुनः अभिलेखों का परीक्षण करें यदि वास्तव में अनुरक्षण अनुदान रू0 5,24,45,000/– व्यय नहीं हुआ है तो इसे तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जाय।

कार्यक्रम संख्या 4 वेतनमद एवं परीक्षामद खाते को पुर्नजीवित करने के सम्बन्ध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव : लम्बित आडिट आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में इंगित वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.03.12 के कार्यक्रम सं0 24(क) में विचार विमर्श के अनन्तर न्यूनतम बैंक खाता अनुरक्षित किये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के मुख्य खाता के रूप में संचालित होने वाले वेतनमद, परीक्षामद, सामान्य मद में से दो खातों वेतनमद एवं परीक्षामद को बंद कर सामान्य मद में समाहित कर लिया गया था। उक्त प्रकार के खातों के एकीकरण के पश्चात अनेक कठिनाईयॉ उत्पन्न हो रही है। शासन से प्राप्त होने वाले नियमित अनुदान, वेतन, गैरवेतन शासन से पृथक से जारी होने वाली एरियर आदि की राशि विश्वविद्यालय को परीक्षा शुल्क आदि के रूप में प्राप्त होने वाली निजी आय तथा अन्य प्रकार की प्राप्ति सामान्य मद में ही जमा हो जाने से जिस उद्देश्य के लिए धनराशि प्राप्त हुई उसी पर व्यय करने हेतु नियंत्रण नही हो पा रहा है।

अवएव शासन से वेतन, एरियर के लिए प्राप्त होने वाली राशि वेतन मद में, निजी स्रोत के रूप में प्राप्त होने वाले परीक्षा शुल्क आदि को परीक्षामद में अन्य विविध प्राप्तियों को जमा करने हेतु सामान्यमद की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वेतन मद एवं परीक्षामद खाते को पुर्नजीवित करने का प्रस्ताव है जिससे मदों के अनुरूप व्यय सुनिश्चित किया जा सके तथा आवश्यक होने पर एक दूसरे खाते से ऋण प्राप्त कर विश्वविद्यालयीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 5 अप्रैल–14 में विकास मद खाते से रू• 2,50,00,000/– मई 14 में विकास मद खाते से रु 3,00,00,000/– सामान्य मद खाते में स्थानान्तरण की सूचना

प्रस्तुत प्रस्ताव : समिति को अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति निम्नवत रही –

	प्राप्ति (रू• में)		व्यय (रू• में)	
1	शासन से वेतनादि हेतु प्राप्त	10,52,83,000/–	191865963/–	वेतन पर व्यय
2	शासन से शिक्षकों/ पुस्तकालयध्यक्षों के एरियर हेतु	4,55,40,141/–	2,44,39,403/–	एरियर पर व्यय। शेष व्यय अप्रैल 14 में किया गया
			1,00,15,670/–	ए0सी0पी0 पर व्यय
3	परीक्षावेदनपत्रादि शुल्क	10,76,30,300/–	6,85,16,066/–	परीक्षा एवं अन्य बजटीय व्यय
4	अन्य विविध	94,16,081/–	4,82,67,960/–	विकास मद में स्थानान्तरण
	योग	26,78,69,522/–	34,31,05,062/–	

2014–15 के लिए शासन से प्रथम चार माह के लिए जारी किये गये अनुरक्षण अनुदान रू0 3,50,00,000/– में से रू0 2,62,50,000/– ही विश्वविद्यालय को व्यय हेतु वर्तमान में प्राप्त है। शासनादेशानुसार शेष रू0 87,50,000/– का आहरण जुलाई–14 में किया जा सकेगा।

गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्ति से अधिक व्यय होने की स्थिति में अप्रैल–14 तथा मई 14 में वेतनादि एवं अन्य व्ययों हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अप्रैल 14 में रू0 2,50,00,000/– तथा मई 14 में रू0 3,00,00,000/– कुल रू0 5,50,00,000/– विकास मद से सामान्य मद में स्थानान्तरित किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति शासन से अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में अथवा परीक्षाशुल्कादि की प्राप्ति होने पर किया जायेगा। इस परिस्थिति से समिति को अवगत कराने का प्रस्ताव है।

निर्णय वित्त समिति अवगत हुई।

कार्यक्रम संख्या 6 श्री वेद व्यास मिश्र अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 26.9.13 के पूर्व के देयको में दर्शायी गयी प्रति निर्णय रू• 300/– के अनुसार कुल राशि रू• 18900/– के भुगतान प्रस्ताव पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव : श्री वेद व्यास मिश्र अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत कियेजाने वाले बिलों में अधिवक्ता पारिश्रमिक, लिपिक व्यय, टंकण एवं विविध व्यय के साथ–साथ मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु रू0 300/– के भुगतान हेतु वित्त समिति ने दिनांक 26.09.13 को संस्तुति प्रदान की है जिसपर कार्यपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

दि0 26.09.13 के पश्चात के बिलों में प्रति निर्णय रू0 300/– का भुगतान किया जा रहा है, श्री वेदव्यास मिश्र आदेश सं0 सा0 1070/70 दि0 24.08.07 के द्वारा विश्वविद्यालय के अधिवक्ता

मनोनीत किये गये हैं। दिनांक 26.09.13 के पूर्व प्राप्त बिलों में रू0 300/– प्रति निर्णय चार्ज किये गये राशि का भुगतान अवरूद्ध है जो प्रस्तावित रू0 18900/– में शामिल है।

अतएव रू0 18900/–(अट्ठारह हजार नौ सौ) के भुगतान के प्रस्ताव के साथ–साथ दि0 24.08.07 के पश्चात के अवशिष्ट बिलों में भी (यदि कोई हो) प्रति निर्णय 300/– के अनुसार शामिल राशि श्री वेद व्यास मिश्र के मांग पर भुगतान का प्रस्ताव है।

निर्णय — प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 7 — प्रवेश समिति के निर्णयानुसार सत्र 2014–15 में प्रति विभिन्न कक्षाओं के छात्रो के परिचय शुल्क में वृद्धि।

प्रस्तुत प्रस्ताव : प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17.04.14 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में सत्र 2014–15 में प्रविष्ट होने वाले छात्रों के परिचय पत्र की दर रू0 20/– के स्थान पर रू0 25/– किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त वृद्धि के अनुमोदन पर विचार ।

निर्णय — प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 8 — उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण हेतु [illegible] के नाम से नया खाता खोलना।

प्रस्तुत प्रस्ताव : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय की आल इण्डिया सर्वे आफ हायर एजूकेशन को डाटा सर्वेक्षण कार्य हेतु HESPIS के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में एक नया खाता खोला गया जिसका संचालन नोडल अधिकारी एवं वित्त अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। उक्त नये खाते के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराने का प्रस्ताव है।

निर्णय — वित्त समिति अवगत हुयी।

कार्यक्रम संख्या 9 — 18 नग वाटर कूलर क्रय हेतु वाटर कूलर क्रय मरम्मत मद में रु 7,60,000/– का अतिरिक्त प्राविधान किये जाने पर विचार विमर्श।

प्रस्तुत प्रस्ताव : वाटर कूलर, वातानुकूलन एवं कूलर क्रय मरम्मत के लिए बजट में रू0 2,00,000/– का प्राविधान है। छात्रावासो एवं विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक भवनों हेतु कुल 18 नग वाटर कूलर क्रय का प्रस्ताव है। जिस पर अनुमानित व्यय रू0 7,60,000/– (सात लाख साठ हजार) का आगणन किया गया है। जिसे नियमानुसार क्रय किया जाना है।

उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन कार्य हेतु आने वाले परीक्षकों की सुविधा के लिए 10 नग कूलर क्रय किया गया जिसपर कुल रू0 99,750/– व्यय हुआ है।

अतएव वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट में उक्त मद के लिए प्राविधानित रू0 2,00,000/– को रू0 10,60,000/– पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय — प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 10 — चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आय–व्ययक में प्राविधान किये जाने पर विचार विमर्श।

प्रस्तुत प्रस्ताव : वित्त समिति की बैठक दि0 26.09.13 के कार्यक्रम संख्या 19(XIII) में विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक कुलसचिव, उपकुलसचिव कुलसचिव को राज्य कर्मचारियों की भांती चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर संस्तुति प्रदान की गई है तथा राज्य कर्मचारियों हेतु निर्धारित नियमों के अन्तर्गत भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान की गई है।

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आय–व्ययक में कोई प्राविधान नही किया गया है। अतएव 2014–15 वर्षीय आय–व्ययक में चिकित्साप्रतिपूर्ति हेतु अनुमानित राशि रू0 2,00,000/–(दो लाख) का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय — प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में शासन को पत्र प्रेषित करने की संस्तुति की गयी।

कार्यक्रम संख्या 11 — श्रीमती दीप्ति मिश्रा, सहायक कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा व्यय की राशि रू0 39,753/– के भुगतान किये जाने पर विचार विमर्श ।

प्रस्तुत प्रस्ताव : कुलसचिव सं0सं0वि0वि0, वाराणसी के पत्रांक सं0सं0 1485/13 दि0 7.11.2013 के द्वारा श्रीमती दीप्ति मिश्रा सहायक कुलसचिव के प्रस्तुत बिल रू0 39,753/– पर संस्तुति प्रदान करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी/अधीक्षक पं0 दीनदयाल उपाध्याय मण्डलीय चिकित्सालय, वाराणसी को प्रेषित किया

गया था जिसे अपर निदेशक/ प्रमुख अधीक्षक एस0एस0पी0जी0 मण्डलीय एवं जिला चिकित्सालय वाराणसी द्वारा पत्रांक चिकि0 प्र0पू0/20/13–14 दिनांक 4.03.14 द्वारा सत्यापित किया गया है।

अतएव श्रीमती दीप्ति मिश्रा सहायक कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा व्यय की राशि रू0 39,753/– (उन्तालिस हजार सात सौ तिरपन) श्रीमती मिश्रा को भुगतान किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय — प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में शासन को पत्र प्रेषित करने की संस्तुति की गयी।

कार्यक्रम संख्या 12 — माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता श्री इरशाद अहमद को उनके देयक रू0 35,000/– के भुगतान पर विचार विमर्श।

प्रस्तुत प्रस्ताव : कुलसचिव सं0सं0वि0वि0, वाराणसी के पत्रांक सं0सां0 4674/12 दिनांक 29.09.12 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विश्वविद्यालय के पक्ष से मुकदमों आदि की प्रभावी पैरवी के लिए श्री इरशाद अहमद को विश्वविद्यालयीय अधिवक्ता मनोनीत किया गया है। श्री इरशाद अहमद द्वारा ए.६इ. (ण) ऱ्द. 17815 ६ 2012 की पैरवी की गई तथा रू0 35,000/– (पैतीस हजार) फीस भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय में पैरवी के लिए फीस की दर निर्धारित न होने के कारण भुगतान अवरूद्ध है।

अतएव श्री इरशाद अहमद मनोनीत विश्वविद्यालय अधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय को उनके द्वारा प्रस्तुत फीस रू0 35,000/– (पैतीस हजार) का भुगतान किये जाने तथा ऐसे अन्य प्रकरणों में प्राप्त होने वाले बिलों की वास्तविक राशि को भुगतान किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय — प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 13 — अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य आवश्यक विषय पर विचार।

(क) स्व0 हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी की उत्तराधिकारी श्रीमती चन्द्रकली देवी को प्राप्तव्य अवशिष्टों के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव : कुलाधिपति के सचिव के पत्रांक सं0 ई0 7041/8जी0एस0/11(मिस–1) दि0 03.10.13 के माध्यम से स्व0 हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी निदेशक प्रकाशन संस्थान के लिए ॅ की जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें स्व0 त्रिपाठी को देय धनराशि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश है। जॉच रिपोर्ट के आधार पर श्रीमती चन्द्रकली देवी को प्राप्तव्य अवशिष्ट देयको (सामान्य भविष्यनिधि की अवशेष राशि रू0 1,69,262/– तथा छठे वेतन के पुनरीक्षण के अवशेष राशि रू0 6,79,762/–) के भुगतान पर विचार।

निर्णय — श्रीमती चन्द्रकली देवी को प्राप्तव्य अवशिष्ट देयको (सामान्य भविष्यनिधि की अवशेष राशि रू0 1,69,262/– तथा छठे वेतन के पुनरीक्षण के अवशेष राशि रू0 6,79,762/–) के भुगतान हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ को दिये जाने वाले चन्दे में वृद्धि पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव : अपर सचिव उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ के पत्रांक – 121/रा0उ0 शि0प0/29/98 दि0 05.06.14 द्वारा अनुदान की राशि रू0 दो लाख को बढ़ा कर रू0 पॉच लाख किये जाने की सूचना दी गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 से रू0 5,00,000/– (पॉच लाख) उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

आय–व्ययक 2014–15 में चन्दे स्वरूप दी जाने वाली राशि रू0 2,00,000/–(दो लाख) का प्रावधान किया गया है। रू0 2,00,000/–(दो लाख) से बढ़ा का रू0 5,00,000/–(पॉच लाख) प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय — प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

(ग) विश्वविद्यालय के लेखानुभाग में दफ्तरी को दिये जाने वाले अतिरिक्त भत्ते में वृद्धि किये जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव : वित्त समिति की बैठक दि0 22.11.88 में अभिलेखों के रखरखाव के लिए दफ्तरी के पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी को रू0 50/–(पचास रूपये) मासिक भत्ता स्वीकृत किया गया था। तद्नुसार दफ्तरी कार्य करने वाले कर्मचारी को रू0 50/– प्रतिमास भुगतान किया जा रहा है।

दफ्तरी का अतिरिक्त कार्य कर रहे परिचारक श्री अजय कुमार शुक्ल ने रू0 1000/–(एक हजार रूपये मात्र) मासिक भत्ता दिये जाने का अनुरोध किया है। रू0 50/– (पचास) मासिक भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव है।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(घ) निर्माण विभागीय कार्य हेतु अभियन्ता के नाम स्वीकृत रक्षित निधि रू0 5000/– में वृद्धि पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव : कुलसचिव द्वारा प्रस्तावित आदेश सं0 सा0/2083/06 दिनांक 13.1.06 के द्वारा विभागों /अनुभागों के लिए रक्षित धन की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें निर्माण विभागीय कार्य हेतु रू0 5000/– वास्तविक रक्षित निधि स्वीकृत है। सामग्री की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप परिसर स्थित छोटे, बड़े कार्यों को सम्पन्न करने में कठिनाई को देखते हुए सहायक अभियन्ता द्वारा रक्षित निधि रू0 5000/– के स्थान पर रू0 25,000/– (पच्चीस हजार) वास्तविक व्यय किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

(ङ•) क्रीड़ा विकास खाता संख्या 18024 के संचालन हेतु।

प्रस्तुत प्रस्ताव : शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग के अन्तर्गत क्रीड़ा विकास मद खाता संख्या 18024 संचालित है जिसमें क्रीड़ा प्रागंण, जिमनेजियम आवंटन तथा क्रीड़ा शुल्क रू• 10/– प्रति छात्र से प्राप्त होने वाली धनराशि जमा की जाती है। क्रीड़ा प्रागंण के किराये से मिलने वाली राशि का 40ः विश्वविद्यालय विकास मद में जमा कर दिया जाता है।

क्रीड़ा विकास मद से व्यय हेतु अभी तक नियम का निर्धारण नहीं हो सका है। उसके सम्बन्ध में नीति निर्धारण पर विचार का प्रस्ताव है।

निर्णय क्रीड़ा विकास मद से व्यय हेतु आने वाले प्रस्ताव पर शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग की संस्तुति के उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत कार्य की स्वीकृति तथा भुगतान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

(मुकुन्दी लाल गुप्ता)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी
वित्त समिति की बैठक

दिनांक 22.09.2014
समय अपराह्ण 5.00 बजे
स्थान–कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति

1.	प्रो0 पृथ्वीश नाग कुलपति	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी	सदस्य
3.	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,वाराणसी मण्डल, वाराणसी	सदस्य
4.	प्रो0 माताबदल शुक्ल पूर्व संकायाध्यक्ष, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी	सदस्य
5.	श्री मुकुन्दी लाल गुप्ता वित्तअधिकारी	सदस्य–सचिव
6.	श्री इन्दुपति झा का0, कुलसचिव	सदस्य

कार्यवृत्त

कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम संख्या. 1 वित्तसमिति की विगत बैठक दिनांक 30.06.2014 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि तथा कृत कार्यवाही की सूचना।

निर्णय — सम्पुष्टि प्रदान की गयी तथा कार्यवाही से समिति अवगत हुई।

कार्यक्रम संख्या. 2 — नैक कराने के पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में आवश्यक व्यवस्थायें पूर्ण कराने के सम्बन्ध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव — लाल भवन एवं संग्रहालय की रंगाई–पुताई एवं मरम्मत हेतु प्रस्तावित आगणन रु.6,23,976=00 बहुसंकाय भवन की रंगाई–पुताई एवं मरम्मत हेतु प्रस्तावित आगणन रु.9,48,782=00 तथा पाणिनि भवन की रंगाई–पुताई एवं मरम्मत हेतु प्रस्तावित आगणन रु.9,30,445=00 कुल रु.25,03,203=00 के अन्तर्गत कार्य कराने हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उक्त व्यय वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्रविधानित राशि रु.30,00,000=00 के अर्न्तगत किया जायेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अधोलिखित कार्यो हेतु रु.29,96,797=00 का प्रस्ताव किया गया था जिसे संशोधन करते हुए पुनः प्रस्तावित किया जा रहा है। नवीन पुस्तकालय की रंगाई–पुताई हेतु प्रस्तावित अगणन रु.5,50,935=00 अनुसंधान एवं प्रकाशन संस्थान की रंगाई–पुताई हेतु रु.4,89,145=00 अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास एवं श्रमण विद्या संकाय की रंगाई–पुताई हेतु रु.11,26,205.00 परीक्षा भवन की रंगाई–पुताई हेतु रु.5,35,023=00 परीक्षा विस्तार भवन की रंगाई–पुताई हेतु रु.526,867=00 के आगणन के अनुसार कुल रु.32,28,175=00 प्रस्ताव किया गया है।

उपर्युक्त के अनुसार उल्लिखित समस्त भवनों की रंगाई–पुताई एवं मरम्मत के लिए कुल रु. 57,31,378=00 का आगणन तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के वार्षिक अनुरक्षण व्यय मद के लिए रु.30,00,000=00 का प्राविधान किया गया है। प्रस्तावित आगणन के अनुसार रु.58,00.000=00 के कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने पर कुल व्यय रु.88,00,000=00 सम्भावित है।

अतएव नैक कराने के अवसर पर विभिन्न भवनों की रंगाई–पुताई मरम्मत आदि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक अनुरक्षण व्यय मद में प्राविधानित रु.30,00,000=00 को रु. 88,00,000=00 पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के अनन्तर समिति को अवगत कराया गया कि उपर्युक्त भवनों के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों पर जिसमें मरम्मत, कालीन, फर्नीचर, परदे, कम्प्यूटर, Books Ac, Stationary एवं अन्य विविध कार्य कराये जाने है उन सभी पर आगणित व्यय रु.1,16,75,013=00 को दृष्टिगत रखते हुये उन सभी कार्यो के लिए तथा एक अन्य प्रस्तावित कार्य के लिए विकास मद से एक करोड़ बाईस लाख रूपये व्यय करने पर सहमति प्रदान की गई। वार्षिक अनुरक्षण में प्राविधानित राशि रु.30,00,000=00 यथावत रखने की संस्तुति की गयी है।

कार्यक्रम संख्या. 3 — अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य आवश्यक विषय पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव 3(क) — विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के गणन एवं संतुलन कार्य सम्बन्धी 2013 के पारिश्रमिक विलों का भुगतान रु.482213=00 वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है। 2012 वर्षीय परीक्षा के लम्बित गणन–संतुलन कार्य सम्बन्धी विलों की राशि रु.207244=00 का भुगतान का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त 2014 वर्षीय गणन–संतुलन के विलों की अनुमानित राशि रु.5,00,000=00 का भुगतान सम्भाव्यय है।

आय–व्ययक 2014–15 के गणन संतुलन व्यय हेतु रु.5,00,000=00 का प्राविधान किया गया है। 2012 एवं 2014 के भुगतान हेतु रु.7,50,000=00 अतिरिक्त प्राविधान करते हुए उक्त व्यय रु. 5,00,000 के स्थान पर रु.12,50,000=00 पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय — प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी एवं 2012 का भुगतान अद्यतन क्यों नहीं हुआ की जाँच वित्ताधिकारी कर रिर्पोट कुलपति को सौपेगें।

प्रस्तुत प्रस्ताव 3(ख) — शासनादेश संख्या–1121/सत्तर–4–2013 दिनांक 31 अक्टूबर 2013 के द्वारा वेतन समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयो के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–वे.आ. 2–665(1)/दस–54 (एम) 2008 टी.सी. दिनांक 26.09.2013 के संलग्नकों सहित प्रति भेजते हुए नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उक्त शासनादेश में निम्नलिखित संवर्गो का उल्लेख है–

(1) वाहन चालक संवर्ग (2) अवर अभियन्ता (डिप्लोमा इंजीनियर्स) (3) कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद (4)फार्मासिस्ट संवर्ग (5)आशुलिपिक संवर्ग (6) लेखा कर्मचारी संवर्ग (7) लिपिकीय कर्मचारी संवर्ग (8) पुस्तकालय कर्मचारी/अधिकारी संवर्ग (9) नर्सिंग संवर्ग (10)विधि सहायक/विधि अधिकारी संवर्ग (11)फोटो ग्राफर संवर्ग (12)कलाकार संवर्ग (13)तकनीशियन संवर्ग (14)सांख्यकीय संवर्ग (15)प्रकाशन कर्मचारी संवर्ग आदि पदों में से विश्वद्यिालय में स्वीकृत पदों पर नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव हैं।

निर्णय — प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी एवं यह वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.09.2014 से लागू करने की संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्तुत प्रस्ताव 3 (ग) — दिनांक 26.09.2013 की वित्तसमिति में श्रीमती दीप्ति मिश्रा सहायक कुलसचिव के चैकित्सिक प्रतिपूर्ति हेतु सहमति प्रदान की गयी एवं उक्त प्रस्ताव कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.10.2013 में स्वीकृत भी

हुआ। उक्त स्वीकृति के उपरान्त सी0एम0एस0 कार्यालय वाराणसी द्वारा श्रीमती मिश्रा के समस्त चैकित्सिक बिलों का सत्यापन कर 39753=00 के सापेक्ष 29,291=00 रूपये के भुगतान हेतु सहमति दी गयी। सी0एम0एस0 द्वारा सहमति के उपरान्त भुगतान हेतु मद निर्धारणार्थ पुनः प्रकरण वित्त समिति में दिनांक 30.06.2014 प्रस्तुत हुआ किन्तु वित्तसमिति द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित करने का निर्णय किया गया।

श्रीमती दीप्ति मिश्रा सहायक कुलसचिव में पुनः अध्यक्ष कार्यपरिषद् को दिनांक 09.07.2014 के पत्र के माध्यम से भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में पुर्नविचार किये जाने का अनुरोध किया। अतएव शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मियों को दिये जाने वेतन के भाग से ही राज्य कर्मचारी हेतु निर्धारित नियमो के अर्न्तगत चैकित्सिक प्रतिपूर्ति किये जाने पर विचार।

निर्णय केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों के लिए चैकित्सिक बिलों की प्रतिपूर्ति हेतु आगामी पुनरीक्षित बजट में प्राविधान किये जाने के पश्चात भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

प्रस्तुत प्रस्ताव 3 (घ)वित्तीय वर्ष 2014–15 में शासन से प्रथम चार माह हेतु रु.3,50,00,000=00 स्वीकृत किये गये थे। उक्त व्यय के साथ–साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि के आभाव में वेतन एवं अन्य बजटीय व्यय हेतु विकास मद से अधोलिखित विवरण के अनुसार रु.10,50,00,000=00 ऋण स्वरूप सामान्य मद में स्थानान्तरित किया गया– 1 अप्रैल 14 में रु.2,50,00,000=00 2 मई 14 में रु.3,00,00,000=00 3 जुलाई 14 में रु.1,00,00,000=00 4 अगस्त 14 में रु.2,00,00,000=00 5 सितम्बर 14 रु. 2,00,00,000=00 उक्त स्थिति से समिति को अवगत कराने का प्रस्ताव है। शासन से शेष अनुदान प्राप्त होने अथवा परीक्षा शुल्क की प्राप्ति होने पर उक्त धनराशि विकास मद में प्रत्यावर्तित की जा सकेगी।

निर्णय समिति अवगत हुई।

कार्यक्रम संख्या 3 (ड़) नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन (कुलपति कार्यालय) में फर्नीचर, पर्दा, ए.सी, पी.बी.सी. फ्लोरिंग एवं आर.ओ प्लान्ट लगाने के लिए रु.10,00,000=00 (दस लाख) बजट प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय उक्त प्रस्तावित धनराशि का व्यय विकास मद से किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 3 (च) शैक्षिणिक विभागो हेतु पूर्व स्वीकृत रक्षित धनराशि रु.500=00 के स्थान पर रु.5,000=00 तथा संकाय हेतु पूर्व स्वीकृत धनराशि रु.2000=00 के स्थान पर रु.10,000=00 स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी। किन्तु किसी भी परिस्थिति में वित्तीय वर्ष में दो बार से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति नही की जायेगी। व्ययाधिकार पूर्व की भाँति स्वीकृत राशि का 20% होगा।

कुलपति जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(मुकुन्दी लाल गुप्ता)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
वित्त समिति

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी

वित्त समिति की बैठक

दिनांक 01.12.2014
समय पूर्वाह्ण 11.00 बजे
स्थान–कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति

1.	डा0 पृथ्वीश नाग कुलपति	अध्यक्ष	
2.	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी	सदस्य	
3.	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी (प्रतिनिधि) श्री सदन गोपाल मिश्र, वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।	सदस्य	
4.	प्रो0 माताबदल शुक्ल	सदस्य	अनुपस्थित

पूर्व संकायाध्यक्ष, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी

5. श्री मुकुन्दी लाल गुप्ता वित्तअधिकारी — सदस्य–सचिव
6. श्री वी0 के0 सिन्हा कुलसचिव — सदस्य

कार्यवृत्त

कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम संख्या. 1 — वित्तसमिति की विगत बैठक दिनांक 22.09.2014 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि ।

निर्णय — संपुष्टि प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या. 2 — उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 490/सत्तर–4–2014 दिनांक 21 मई 2014 द्वारा विश्वविद्यालयों के वित्तीय एवं प्रशासनिक सुदृढ़ता तथा फीस के ढॉचे पर पुनर्विचार के निर्देश के क्रम में इस विश्वविद्यालय के विभिन्न किराया/शुल्क मदों में वृद्धि पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव — विश्वविद्यालय स्तर पर अधोलिखित मदों में निर्धारित शुल्क विवरण।

	मद नाम	वर्तमान में दर	प्रस्तावित दर	संस्तुति
(क) शताब्दी भवन बाहरी व्यक्तियों के लिए	किराया प्रतिदिन सर्विस टैक्स (जो लागू हो) जमानत राशि केवल लान	50,000/– 10,000/– –	1,00,000/– 20,000/– 40,000/–	75,000/– 20,000/– निरस्त विशेष परिस्थिति में कुलपति को किराये में छूट देने की संस्तुति की गयी।
शताब्दी भवन (विश्वविद्यालयीय कर्मियों के लिए)	किराया प्रतिदिन सर्विस टैक्स (जो लागू हो) केवल लान	15,000/–	20,000/– 10,000/–	15,000/– निरस्त
मिनी आडिटोरियम	किराया प्रतिदिन सर्विस टैक्स (जो लागू हो) जमानत राशि	10000/– 5000/–	15000/– 5000/–	20,000/– 5000/–
योग साधना केन्द्र	किराया प्रतिदिन सर्विस टैक्स (जो लागु हो) जमानत राशि	5000/– 3000/–	10000/– 3000/–	10,000/– 3000/– विशेष परिस्थिति में कुलपति को किराये में छूट देने की संस्तुति की गयी।
प्राचीन गेस्ट हाउस का लान (विश्वविद्यालय कर्मियों हेतु)	किराया प्रतिदिन सर्विस टैक्स (जो लागु हो)	3000/–	5000/–	5000/–
नाट्यशाला प्रांगण (विश्वविद्यालय कर्मियों हेतु) अनुसंधान परिसर लान	किराया प्रतिदिन सर्विस टैक्स (जो लागु हो)	500/–	1000/–	1000/– 1000/–
(ख) परीक्षा शुल्क	आचार्य व्यक्तिगत	3,600/–	4000/–	4000/–
	आचार्य संस्थागत	1,100/–		1,100/–
	आचार्य विश्वविद्यालय	1,115/–		1,115/–
	शास्त्री व्यक्तिगत	3,100/–	3500/–	3500/–
	शास्त्री संस्थागत (म•वि•)	900/–		900/–
	शास्त्री विश्वविद्यालय	915/–		915/–
	संस्कृत प्रमाण पत्रीय (विश्वविद्यालय)	915/–	1000/–	915/–
	मध्यमा संस्थागत (म•वि•)	900/–		900/–
	शिक्षा शास्त्री	5,000/–		5,000/–
	शिक्षाचार्य	7,340/–		7,340/–

	ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान	4,120/–		4,120/–
	संगीत प्रमाण पत्रीय	900/–		900/–
	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	900/–		900/–
	स्नातकोत्तर भाषा विज्ञान डिप्लोमा	1100/–		1100/–
(ग) सम्बद्वता शुल्क प्रथम बार (शास्त्री)दो विषय दो से अधिक विषय(प्रति विषय अतिरिक्त)		5000/–	25,000/– 10,000/–	25,000/– 10,000/–
सम्बद्वता शुल्क प्रथम बार (आचार्य) दो विषय दो से अधिक विषय (प्रति विषय अतिरिक्त)		5000/–	25,000/– 10,000/–	25,000/– 10,000/–
सम्बद्वता शुल्क प्रथम बार (मध्यमा)		5000/–	15000/–	25000/–
संग्रहालय दर्शन शुल्क–विदेशी– भारतीय केवल वयस्कों हेतु शुल्क (18 वर्ष से कम निःशुल्क)			50/– 10/–	60/– 10/–
पुराछात्र सदस्यता शुल्क (एक बार)			100/–	100/–
पुराने प्रश्नपत्रों का विक्रय शुल्क (प्रति कक्षा पांच वर्षीय एक सेट)			100/–	100/–
द्वितीय प्रति उपाधि शुल्क अंग्रेजी अनुवाद (सनद)		500/– 500/–	1000/– 1000/–	1000/– 1000/–
पंजीकरण शोध शुल्क		5,000/–		5,000/–
शोध प्रबन्ध (पी•एच•डी•)		7,000/–		7,000/–
पंजीकरण (डी•लिट्)		5,000/–		5,000/–
शोध प्रबन्ध (डी•लिट्)		10,000/–		10,000/–
अंका अनुसंधान शुल्क (प्रति प्रश्नपत्र)		100/–		200/–
निष्क्रमण शुल्क		100/–		100/–
स्थायी प्रमाण शुल्क (मध्यमा)		50/–		200/–
स्थायी प्रमाण पत्र शुल्क (मध्यमा छोड़कर)		500/–		500/–
अस्थायी प्रमाण पत्र		50/–		50/–
द्वितीय प्रति प्रमाण पत्र		50/–		50/–
नियुक्ति आवेदन पत्र		400/–		400/–
रेलवे छूट छात्र/बीमा		5/–		5/–
परीक्षा बैक फार्म/श्रेणी सुधार		300/–		500/–
प्रबन्ध तंत्र का अनुमोदन		500/–	2500/–	2500/–
मान्यता की द्वितीय प्रतिलिपि		100/–	1000/–	1000/–
मान्यता फार्म		1000/–	2500/–	2500/–
प्रगति रिपोर्ट		5/–		5/–
टी•सी• फार्म		5/–		5/–
परिसर में फिल्म अथवा धारावाहिक डाक्यूमेन्टरी उपयोग पर शुल्क (प्रतिदिन)			25000/–	25000/– भारतीयों के लिये। 50000/– विदेशियों के लिए।
पोस्ट आफिस प्रतिमाह भवन किराया (1 जनवरी 14 से प्रतिमाह किराया रू• 1000/– किये जाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।)		75/–		डी0एम0 सर्किल रेट के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
इलाहाबाद बैंक प्रतिमाह भवन किराया (दिनांक 1.8.08 से प्रतिमाह रू• 3,500/– किराये का अनुबन्ध 5 वर्षो के लिए किया गया था। आगामी 5 वर्षो के लिए 20% की वृद्धि पर सहमति प्रदान की गयी है।)		4,375/–		जोनल एरिया से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर Covered area के आधार पर वृद्धि की कार्यवाही की जाय।
क्रीड़ा प्रागंण केवल स्कूली बच्चों को खेलकूद के लिए प्रतिदिन किराया		1000/–	1000/–	1000/–
क्रीड़ा प्रांगण अन्य छात्रों के लिए प्रतिदिन		1000/–	2000/–	2000/–
स्कूलों के वार्षिक उत्सव के लिए प्रतिदिन पार्किंग शुल्क प्रतिदिन		1000/–	10000/– 1000/–	10000/– 1000/–

ऐसे व्यवसायिक कार्यक्रम जिसमें क्रीड़ा मैदान क्षतिग्रस्त न हो प्रतिदिन किराया सर्विस टैक्स जो लागू हो पार्किंग शुल्क (आयोजन अवधि के लिए प्रतिदिन)		1,50,000/– 25000/–	1,50,000/– 25000/–
व्यवसायिक कार्यक्रम के लिए 15 दिन से अधिक की तैयारी के उपयोग की स्थिति में प्रतिदिन किराया (जो अधिकतम रू0 8,00,000/– से अधिक नहीं होगा)		50,000/–	50,000/–
ऐसे व्यावसायिक कार्यक्रम जिनकी अवधि 5 दिन अथवा उससे कम हाने पर तैयारी के लिए अलग से कोई शूल्क देय नहीं होगा। पार्किंग शुल्क रू0 5000/– प्रतिदिन		5000/–	5000/–

निर्णय संस्तुति के कालम में दी गयी धनराशि संस्तुत।

कार्यक्रम संख्या. 3 प्रस्तुत प्रस्ताव : केन्द्रीय कार्यालय मुख्य द्वार सहित 8 स्थानो–कुलपति कक्ष, वित्त अधिकारी कक्ष, कुलसचिव कक्ष, केन्द्रीय कार्यालय की गैलरी, परीक्षा विभागीय गैलरी तथा अन्य संवेदनशील स्थलो पर सी•सी•टी•वी• कैमरे की व्यवस्था करने पर विचार।

निर्णय ब्राण्डेड कम्पनी के 32 सी0सी0 टी0वी0 कैमरे (नाईट विजन) उपरोक्त स्थानो के साथ रिकार्ड रूम, कम्प्यूटर सेण्टर, मूल्यांकन केन्द्र, आवेदन पत्र वितरण केन्द्र, अभियन्ता कक्ष, सम्पत्ति कार्यालय, छात्रावास आदि स्थानों पर लगाये जाने एवं उनके डिस्प्ले यूनिट कुलपति आवास/कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय एवं उनके मोबाईल पर लगाये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या. 4 प्रस्तुत प्रस्ताव : कुलसचिव/वित्त अधिकारी के व्ययाधिकार रू• 2500/– से रू• 25000/– किये जाने पर विचार ।

निर्णय कुलसचिव/वित्त अधिकारी के व्ययाधिकार को रू• 2500/– से रू• 20000/– किये जाने एवं मासान्त में उसकी सूची कुलपति को उपलब्ध कराने की संस्तुति की गयी।

कार्यक्रम संख्या. 5 शिक्षणेत्तर विभागो के लिए पूर्व स्वीकृति रक्षित निधि में वृद्धि पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव : 13 जनवरी 2006 में तथा उसके पश्चात स्वीकृत रक्षित निधियों की राशि निम्नवत है –

क्र• सं•	पदनाम/विभाग	वर्तमान रक्षित धनराशि सीमा	व्ययाधिकार की वर्षान्तर्गत संख्या	प्रस्तावित राशि	संस्तुति
1	शैक्षणिक विभागो हेतु	5000/–	दो बार	–	5000/–
2	शैक्षणिक संकायो हेतु (वित्त समिति की बैठक दि0 22.09.14 में शैक्षणिक विभागों हेतु स्वीकृत रू0 500 के स्थान पर रू0 5000 तथा संकाय हेतु स्वीकृत रू0 2000 के स्थान पर रू0 10000 स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी है।)	10000/–	दो बार	–	10000/–
3	कुलपति के सचिव	2000/–	वास्तविक व्यय	6000/–	6000/–
4	कुलपति के सचिव(पेट्रोल/डीजल)	3000/–		9000/–	9000/–
5	कुलपति के सचिव(जेनरेटर/डीजल)	2000/–		6000/–	6000/–
6	वैयक्तिक सहायक कुलसचिव	1000/–		3000/–	3000/–
7	वैयक्तिक सहायक कुलसचिव (पेट्रोल /डीजल)	2000/–		6000/–	6000/–
8	वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी	500/–		1500/–	1500/–
9	वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी(पेट्रोल /डीजल)	1000/–		3000/–	3000/–
10	उपकुलसचिव (परीक्षा)	5000/–	तीन बार	15000/–	15000/–
11	सहा0कुलसचिव (सम्बद्धता)	500/–	दो बार	1500/–	1500/–
12	उपकुलसचिव (समाजकल्याण)	500/–	दो बार	1500/–	1500/–
13	उपकुलसचिव (विकास)	500/–	दो बार	1500/–	निरस्त
14	सहायक कुलसचिव (प्रशासन)	500/–	दो बार	1500/–	1500/–
15	सहा0 कुलसचिव (लेखा)	2000/–	वास्तविक व्यय	6000/–	6000/–
16	सहा0 कुलसचिव (शैक्षिक)	500/–	दो बार	1500/–	1500/–
17	निदेशक अनुसंधान संस्थान	500/–	दो बार	1500/–	1500/–
18	पुस्तकाध्यक्ष	2000/–	दो बार	6000/–	6000/–
19	छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष, (वित्त समिति की बैठक 12.2.14 में रू0 500/– के स्थान पर रू0 5000/– किये जाने की संस्तुति की गई।)	5000/–	दो बार	–	5000/–

20	विनयाधिकारी	1000/–	तीन बार	3000/–	5000/–
21	प्रतिपालक (शोध छात्रावास)	750/–	दो बार	2500/–	5000/–
22	प्रतिपालक (गंगानाथ झा छात्रावास)	500/–	दो बार	2500/–	5000/–
23	श्री शिवकुमार शास्त्री छात्रावास	1500/–	दो बार	4500/–	5000/–
24	अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास	500/–	दो बार	1500/–	5000/–
25	चिकित्साधिकारी एलोपैथ	1000/–	वास्तविक व्यय	3000/–	3000/–
26	चिकित्साधिकारी आयुर्वेद	500/–	वास्तविक व्यय	3000/–	3000/–
27	निदेशक प्रकाशन संस्थान	1500/–	वास्तविक व्यय	4500/–	5000/–
28	संग्रहालयाध्यक्ष	500/–	दो बार	1500/–	5000/–
29	जनसम्पर्क अधिकारी	1000/–	दो बार	3000/–	3000/–
30	अभियन्ता	5000/–	वास्तविक व्यय	25000/–	25000/–
31	अभियन्ता/सम्पत्तिअधिकारी(जनरेटर/डीजल)	10000/–	वास्तविक व्यय	25000/–	25000/–
32	सम्पत्ति अधिकारी	5000/–	वास्तविक व्यय	20000/–	20000/–
33	सुरक्षाधिकारी	200/–	दो बार	2000/–	2000/–
34	उद्यान अधिक्षक	600/–	दो बार	2000/–	2000/–
35	प्रभारी मुकदमा सेल	500/–	दो बार	1500/–	1500/–
36	प्रेस व्यवस्थापक	10000/–	वास्तविक व्यय	20000/–	20000/–
37	प्रभारी संगणक केन्द्र	500/–	एक बार	1500/–	2000/–
38	विक्रय अधिकारी /विक्रय पर्यवेक्षक	1000/–	एक बार	3000/–	3000/–
39	कोषपाल (वित्त अधिकारी रक्षित)	10000/–	वास्तविक	20000/–	20000/–

रक्षित धन से एक मुश्त व्यय की सीमा भी रक्षित धन का अधिकतम 20% (पेट्रोल/डीजल के रक्षित धन को छोड़कर) निर्धारित है। उक्त प्रस्तावित रक्षित धन की सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव है।

निर्णय — व्ययाधिकार की वर्षान्तगत संख्या को निरस्त करते हुए वास्तविक व्यय किये जाने तथा रक्षित धन से एक मुश्त व्यय की सीमा भी रक्षित धन का अधिकतम 25% (पेट्रोल/डीजल के रक्षित धन को छोड़कर) निर्धारित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।
कुलपति/कुलसचिव द्वारा नामित समिति के संयोजकों द्वारा समिति की बैठक के दौरान दिये जाने वाले अल्पाहार (चाय–बिस्कुट आदि) के व्यय पर आतिथ्य–सत्कार मद से किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई।

कार्यक्रम संख्या. 6 — प्रस्तुत प्रस्ताव – उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव/लेखाधिकारी प्रत्येक के कक्षों को वातानुकुलित करने पर विचार ।

निर्णय — फाइव स्टार स्पिल्ट ए0सी0 लगाये जाने के निर्देश के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या. 7 — परिसर स्थित इलाहाबाद बैंक को ए0टी0एम0 की सुविधा दिये जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव – परिसर स्थित इलाहाबाद बैंक में ए0टी0एम0 लगाने का प्रस्ताव वित्त समिति की बैठक दि0 4.01.13 तथा कार्य परिषद की बैठक दि0 20.1.13 में स्वीकृत है। ए0टी0एम0 का किराया वाराणसी में अन्य स्थानों पर लगाये गये दस ए0टी0एम0 किराये का औसत आगणित कर निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्नुसार प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक को पत्रांक लेखा 2961/13 दि0 23.01.13 के द्वारा किराये के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी । ए0टी0एम0 कक्ष निर्माण विश्वविद्यालय द्वारा कराया जायेगा अथवा इलाहाबाद बैंक द्वारा कराया जायेगा इसका निर्णय न होने के कारण प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही अवरूद्ध है। अतएव 10 X 10 घन फुट भवन के लिए स्थान चिन्हित किये जाने तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त भवन निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में विचार ।

निर्णय — 10 X 10 घन फुट भवन के स्थान का निर्धारण कार्यपरिषद द्वारा किये जाने के उपरान्त भवन का निर्माण विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कराये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या. 8 — 2013 वर्षीय परीक्षा एवं 2014 वर्षीय परीक्षा में प्रश्न–पत्र मुद्रण प्रकोष्ठ में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विशेष पारिश्रमिक दिये जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव – 2011 वर्षीय मुख्य परीक्षा में प्रश्न–पत्रों की छपाई का कार्य विश्वविद्यालय प्रेस के माध्यम से सम्पन्न कराया गया था जिसमें स्टेशनरी आदि प्रपत्रों का क्रय करते हुए छपाई का कार्य हुआ तथा इस कार्य में सहयोग करने वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को पुरस्कार स्वरूप पारिश्रमिक दिये जाने का निर्णय लिया गया तथा आगामी वर्षों के लिए नजीर नहीं बनाने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के

फलस्वरूप कुल रू0 4,23,100/– का पुरस्कार विभिन्न कर्मियों को किया गया जिसकी सम्पुष्टि वित्त समिति की बैठक दि0 27.03.12 में की गई।

वित्तसमिति की बैठक दि0 23.03.13 के कार्यक्रम सं0–04 में 2012 वर्षीय मुख्य परीक्षा के गोपनीय प्रश्नपत्रों की छपाई पर अतिरिक्त समय में कार्य करने वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को 2011 की भांति रू0 4,23,100/– के सीमान्तर्गत पारिश्रमिक अन्य वैकल्पिक बेहतर व्यवस्था न होने के कारण पुनः स्वीकृत किया गया।

2011 एवं 2012 की भांति ही 2013 एवं 2014 में मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्रों की छपाई में सहयोग देने वले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को अतिरिक्त कार्य का पारिश्रमिक भुगतान पर विचार का प्रस्ताव है। विवरण निम्नवत है–

क्र•सं•	नाम	2013 वर्षीय	2014 वर्षीय	
1	प्रो0 गिरिजेश कुमार दीक्षित	23000	23000	आचार्य
2	प्रो0 जय प्रकाश नारायण त्रि0	23000	23000	
3	प्रो0 रामकिशोर त्रिपाठी	23000	23000	
4	श्री सुनील चौधरी	8000	8000	तृतीय श्रेणी
5	श्रीमती आराधना पाण्डेय	–	5000	
6	श्री महेशमणि त्रिपाठी	23000	23000	डाटा इण्ट्री आपरेटर
7	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता	18000	20000	
8	श्री मनोज कन्नौजिया	18000	20000	
9	श्री मनीष सिंह	8000	20000	
10	श्री अजय मणि त्रिपाठी	18000	20000	
11	श्री अवधेश कुमार मिश्र	18000	20000	
12	श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी	18000	18000	तृतीय श्रेणी
13	श्री आशापति शास्त्री	8000	8000	
14	श्री बलजोर प्रसाद	15000	16000	चतुर्थ श्रेणी
15	श्री लल्लन प्रसाद	15000	15000	
16	श्री कैलाश	15000	15000	
17	श्री बलराम उपाध्याय	16000	16000	प्रेस में विभिन्न पदों पर कार्यरत
18	श्री जटाशंकार द्विवेदी	15000	12000	
19	श्री गोविन्द प्रसाद त्रिपाठी	15000	15000	
20	श्री हृदयनारायण	12000	12000	
21	श्री कृपाशंकर मिश्र	12000	12000	
22	श्री भोलाशंकर मिश्र	12000	12000	
23	श्री राममूरत शर्मा	7000	–	प्रेस में विभिन्न पदों पर कार्यरत
24	श्री शोभनाथ यादव	8000	8000	
25	श्री कालीचरण	8000	8000	
26	श्री विरेन्द्र राम	7000	7000	
27	श्री शिवमूरत प्रसाद	7000	7000	
28	श्री मुनउवर	7500	7000	
29	श्री महेश कुमार	5000	5000	प्रेस में संविदा कर्मी
30	श्री काशीनाथ यादव	20000	21000	
31	प्रो0 युगल किशोर मिश्रा	2100	2100	प्रश्नपत्रों के शुद्धीकरा हेतू आचार्यों को दिये जाने का प्रस्ताव है।
32	प्रो0 सदानन्द शुक्ला	2100	2100	
33	प्रो0 कृष्णचन्द दूबे	2100	2100	
34	प्रो0 रामपूजन पाण्डेय	2100	2100	
35	प्रो0 केदार नाथ त्रिपाठी	2100	2100	
36	प्रो0 हर प्रसाद दीक्षित	2100	2100	
37	प्रो0 रजनीश कुमार शुक्ल	2100	2100	
38	प्रो0 हरिशंकर पाण्डेय	2100	2100	
39	प्रो0 हरिप्रसाद अधिकारी	2100	2100	

40	प्रो0 जितेन्द्र कुमार	2100	2100	
41	प्रो0 शीतला प्रसाद उपाध्याय	2100	2100	
42	श्रीमती विद्याकुमारी चन्द्रा	2100	2100	
43	श्री पन्ना राम		20000	उपकुलसचिव
44	श्री जगदीश प्रसाद		18000	अधीक्षक परीक्षा
45	श्री हरविन्द्र प्रसाद पाण्डेय		18000	
46	श्री गिरीश कुमार पाठक		15000	वरि0 सहा0 परीक्षा
47	श्री शिवनाथ प्रसाद यादव		10000	अधीक्षक परीक्षा
48	श्री कृष्ण कुमार		8000	तृतीय श्रेणी परीक्षा विभाग
49	श्री त्रिभुवन मिश्रा		5000	
50	श्री अमरनाथ यादव		5000	
51	श्री श्यामप्रीत पाण्डेय		5000	
	योग	427700/–	5,25,200/–	

निर्णय कार्य कार्यालय समय से इतर कराये जाने का प्रमाण प्राप्त कर एवं कार्य करने की तत्कालीन कुलसचिव/कुलपति की प्रशासनिक अनुमति संलग्न करके तब प्रस्तुत किया जाय जिसपर परीक्षणोपरान्त कुलपति के स्तर पर निर्णय ले लिया जाय। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नपत्र मुद्रण अत्यन्त गोपनीय एवं गम्भीर प्रकृति का कार्य है। अतः परीक्षाओं की शुचिता एवं गोपनीयता के दृष्टिगत प्रश्नपत्र मुद्रण विश्वविद्यालय परिसर में कराया जाना उचित नहीं होगा बल्कि अन्य विश्वविद्यालय की प्रक्रिया को अपनाये जाने की संस्तुति की गयी।

कार्यक्रम संख्या. 9 प्रस्तुत प्रस्ताव – विद्युत विभाग द्वारा विश्वविद्यालय पर अधिरोपित किये गये विद्युत व्यय तथा विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय एक्जीक्यूटिव इंजिनियर विद्युत से वार्ता कर प्रकरण के नियमानुसार निस्तारण कराये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

कुलपति जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(मुकुन्दी लाल गुप्ता)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
वित्त समिति

विचार विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.06.2014, 22.09.2014 एवं 01.12.2014 में की गयी संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -4- विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 16.02.2014 की संस्तुतियों पर विचार।

विद्या परिषद् की बैठक

दिनांक – 16.02.2014
समय अपराह्ण - 3:00 बजे से
स्थान - योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1-प्रो॰ बिन्दा प्रसाद मिश्र

2-प्रो॰ व्यास मिश्र
3-प्रो॰ आशुतोष कुमार मिश्र
4-प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय
5-प्रो॰ शारदा चतुर्वेदी
6-प्रो॰ युगल किशोर मिश्र
7-प्रो॰ केदारनाथ त्रिपाठी
8-डा॰ प्रभु सिंह यादव
9-डा॰ परमात्मा दुबे

10-प्रो॰ रमेश कुमार द्विवेदी	11-डा॰ हर प्रसाद दीक्षित
12-डा॰शैलेश कुमार मिश्र का॰विभागाध्यक्ष	13-प्रो॰ प्रेम नारायण सिंह
14-प्रो॰ जितेन्द्र कुमार	15-डा॰ हीरककान्ति चक्रवर्ती
16-प्रो॰ गिरिजेश कुमार दीक्षित	17-प्रो रामकिशोर त्रिपाठी
18-प्रो॰ कृष्ण चन्द्र दुबे	19-प्रो॰ सुवाष चन्द्र तिवारी
20- प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे	21- प्रो॰ शीतला प्रसाद उपाध्याय
22- प्रो॰ सदानन्द शुक्ल	23- प्रो॰ देवी प्रसाद द्विवेदी
24- निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं	25- श्री विजय कुमार
26- डा॰ हरिप्रसाद अधिकारी	27- डा॰ हेतराम कछवाह
28- डा॰ लतापंत तैलंग	29- डा॰ कमलाकान्त त्रिपाठी
30- डा॰ ललित कुमार चौबे	31- डा॰ राघवेन्द्रजी दुबे
32- श्री श्याम वेदी शुक्ल	33- श्री लाल मणि पाण्डेय
34- डा॰ सूर्यकान्त	35- प्रो॰ बी॰एम॰ शुक्ला
36- डा॰ विद्या कुमारी चन्द्रा	37- कुलसचिव – सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए परिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रारम्भ की।

कार्यक्रम संख्या-1- विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.08.2013एवं 27.11.2013 के कार्यवाही की पुष्टि।

विचार-विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् ने सर्वसम्मति से विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.08.2013एवं 27.11.2013 के कार्यवाही की सम्पुष्टि की।

कार्यक्रम संख्या-2- विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.08.2013एवं 27.11.2013 में लिये गये निर्णयों के क्रियांवयन की सूचना।

कार्यपरिषद् सूचना से अवगत हुई एवं कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-3- परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.01.2014 में की गयी संस्तुति पर विचार।

विद्यापरिषद् के समक्ष समिति की बैठक दिनांक 23.01.2014 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

परीक्षा समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 23.01.2014 को अपराह्ण 12:30 बजे से कुलपति कार्यालय में कुलपति महोदय की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में अधोलिखित महानुभाव उपस्थित हुए।

1.	कुलपति		- अध्यक्ष
2.	प्रो॰ व्यास मिश्र	- वेद वेदांग संकायाध्यक्ष	- सदस्य
3.	प्रो॰ आशुतोष मिश्र	- साहित्य संस्कृति संकायाध्यक्ष	- सदस्य
4.	प्रो॰ शीतला प्रसाद उपाध्याय	- का॰ दर्शन संकायाध्यक्ष	- सदस्य
5.	प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय	- श्रमण विद्या संकायाध्यक्ष	- सदस्य
6.	प्रो॰ शारदा चतुर्वेदी	- आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकायाध्यक्ष	- सदस्य
7.	प्रो॰ कृष्णकान्त शर्मा	- कार्यपरिषद् द्वारा नामित	- सदस्य
8.	कुलसचिव		- सचिव
9.	उपकुलसचिव (परीक्षा)		- सह सचिव

प्रस्ताव सं॰ 1 परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 21.12.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 21.12.2013 के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं॰ 2

2010 वर्षीय परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय परांकुश संस्कृत महाविद्यालय, पूरेनोती, प्रतापगढ, के शास्त्री तृतीय बैक परीक्षा में काल्पनिक अनुक्रमांक 147/14 से सम्मिलित श्री सुन्दर लाल सरोज पुत्र श्री बृजभूषण सरोज का परीक्षावेदनपत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण छात्र का नामावली नहीं बन सका। **किन्तु छात्र को काल्पनिक अनुक्रमांक 147/14 से शास्त्री तृतीय बैक परीक्षा के तृतीय पत्र में प्राप्तांक प्राप्त हो रहा है, जिसे सम्बद्ध पटल सहायक द्वारा प्रमाणित किया गया है।** नामावली न बनने के कारण छात्र का शास्त्री तृतीय बैक परीक्षफल नहीं बन सका। परीक्षाफल प्राप्त करने हेतु छात्र माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या- 37252/13 के द्वारा वाद योजित किया है। वाद निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2013 में प्रकरण को छः सप्ताह के अन्दर निस्तारित करने का अदेश दिया गया। तदनुसार प्रकरण को परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 31.10.2013 में प्रस्तुत किया गया। जिसपर परीक्षा समिति द्वारा प्राचार्य से छात्र के परीक्षावेदनपत्र. अग्रसारित करने एवं पूरित परीक्षावेदनपत्र जमा करने का प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा समिति के निर्णयानुसार प्राचार्य को उक्त आशय का पत्र दिनांक 19.11.2013 को निर्गत किया गया, जिसमें प्राचार्य को दिनांक 25.11.2013 तक अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। किन्तु प्राचार्य द्वारा दिनांक 13.01.2014 को कुलपति जी के आवासीय कार्यालय में फैक्स द्वारा सूचना/अभिलेख भेजा गया है। प्राचार्य द्वारा फैक्स से प्रेषित व प्राप्त परीक्षा वर्ष 2010 के शास्त्री तृतीय बैक परीक्षावेदनपत्र की नामावली में मात्र तीन छात्रों का नाम है। जिसमें सम्बन्धित छात्र सुन्दर लाल सरोज पुत्र श्री बृजभूषण सरोज का नाम नही है। किन्तु छात्र को काल्पनिक अनुक्रमांक 147/14 से शास्त्री तृतीय बैक परीक्षा के तृतीय पत्र में 68 अंक प्राप्त हो रहा है, जिसे सम्बद्ध पटल सहायक द्वारा प्रमाणित किया गया है। जिसके आलोक में बैक परीक्षाफल के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने हेतु प्रकरण परीक्षा समिति में प्रस्तुत है।

निर्णय

उपर्युक्त प्रस्तुत प्रस्ताव से परीक्षा समिति अवगत हुई। तत्पश्चात समिति प्राचार्य, परांकुश संस्कृत महाविद्यालय, पूरेनोती, प्रतापगढ के द्वारा याची सुन्दर लाल सरोज के 2010 वर्षीय परीक्षा के बैक परीक्षावेदन पत्र अग्रसारित एवं जमा करने के, फैक्स द्वारा प्रेषित अभिलेख को समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। जिससे छात्र के बैक परीक्षावेदन पत्र जमा करने की पुष्टि नहीं होती, किन्तु काल्पनिक अनुक्रमांक 147/04 से छात्र की बैक परीक्षा में प्रविष्टता के डाकेट एवं इसी डाकेट के अनुसार परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत अंकचिट में काल्पनिक अनुक्रमांक 147/04 से शास्त्री तृतीय के तृतीय पत्र में 68 अंक प्राप्त होने तथा 2010 की परीक्षा में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं छात्रहित में परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि याची सुन्दरलाल सरोज को, शास्त्री तृतीय बैक परीक्षा 2010 के लिए अनुक्रमांक आवंटित कर नामावली बनाकर बैक परीक्षाफल पूर्ण किया जाय तथा बैक परीक्षाफल के अंकपत्र की प्राप्ति हेतु याची को विश्वविद्यालय बुलाने हेतु सूचित किया जाय। तदुपरान्त याची को अंकपत्र प्राप्त करा दिये जाने की सूचना, नोडल अधिकारी विधि के माध्यम से विश्वविद्यालय के अधिवक्ता/ माननीय उच्च न्यायालय को दे दिया जाय।

प्रस्ताव सं॰ 3

छात्र राजेश कुमार पुत्र श्री जय जयराम, का वर्ष 2006 में शास्त्री द्वितीय अनुक्रमांक 102606 का परीक्षावेदन प्राप्त है। किन्तु 2006 वर्षीय सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक 102606 का मुद्रण नहीं होने के कारण छात्र का नामावली आदि नही बन सका। जिसके कारण छात्र का परीक्षाफल प्रकाशित नहीं हो सका। परन्तु इसी अनुक्रमांक से छात्र ने सभी परीक्षायें दी हैं और सभी प्रश्नपत्रों में अंक भी प्राप्त हैं। जिसके अनुसार उक्त अनुक्रमांक पर सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक/छात्रनाम/पितानाम/मातानाम/ विषयनाम आदि का उल्लेख करते हुये परीक्षाफल पूर्ण कर शास्त्री द्वितीय के परीक्षाफल प्रकाशन की माँग को परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 04.09.2012 में प्रस्ताव संख्या– 16 से प्रस्तुत किया गया। जिसपर परीक्षा समिति ने सर्व सम्मतया प्रकरण को संदिग्ध मानते हुए उक्त प्रकरण को अमान्य कर प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया। इसी दौरान छात्र द्वारा जनसूचना से शास्त्री द्वितीय के अंकपत्र की माँग किया गया। जिसके तहत छात्र को परीक्षा समिति के निर्णय से अवगत करा दिया गया। परीक्षा समिति के उक्त निर्णय दिनांक 04.09.2012 से क्षुब्ध होकर छात्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या- 63400/2013 योजित किया गया है। जिसमें विश्वविद्यालय अधिवक्ता के पत्र दिनांक 17.12.2013 में दिनांक 29.11.2013 से चार सप्ताह के अन्दर प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ज्ञातव्य है कि याची ने अपने याचिका के संलग्नक में शास्त्री तृतीय 2007 का प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने का अंकपत्र एवं उपाधिप्रमाण पत्र संलग्न किया है। जबकि 2006 वर्षीय सारणीयन पंजिका में छात्र नाम, अनुक्रमांक आदि का विवरण मुद्रित नही है, जिससे परीक्षाफल नहीं बन सका। किन्तु छात्र के वर्ष 2006 के परीक्षावेदनपत्र एवं अनुक्रमांक आवण्टन, आवण्टित अनुक्रमांक 102606 से परीक्षा में प्रविष्ट होने तथा सभी पत्रों में प्राप्तांक क्रमशः 68, 39, 66, 65, 70, 56, 51, 66 प्राप्त होने के आलोक में शास्त्री द्वितीय परीक्षाफल पूर्ण करने पर विचार।

निर्णय

उपर्युक्त प्रस्तुत प्रस्ताव से परीक्षा समिति अवगत हुई। तदुपरान्त याची राजेश कुमार के शास्त्री द्वितीय अनुक्रमांक 102606 के मूल परीक्षावेदन पत्र एवं परीक्षावेदन पत्र पर आवंटित अनुक्रमांक से पूरी परीक्षा में प्रविष्ट होने तथा सभी पत्रो में प्राप्त प्राप्तांक क्रमशः 68,39,66,65,70,56,51 एवं 66 की प्रमाणिकता सिद्ध होने के आलोक में सर्वसम्मति से याची को आवंटित अनुक्रमांक 102606 पर नामावली आदि बनाकर शास्त्री द्वितीय परीक्षाफल पूर्ण किया जाय तथा तद्नुसार शास्त्री तृतीय परीक्षा के अभिलेख को पूर्ण किया जाय। शास्त्री द्वितीय परीक्षाफल पूर्णकर अंकपत्र प्राप्त करने की सूचना याची को दी जाय साथ ही इस आशय की सूचना नोडल अधिकारी विधि के माध्यम से विश्वविद्यालय अधिवक्ता/ माननीय उच्च न्यायालय को दे दी जाय तथा किन परिस्थितियों में याची का नाम संगणक में दर्ज नहीं हुआ तथा बिना शास्त्री द्वितीय उत्तीर्ण, शास्त्री तृतीय का अंकपत्र कैसे निर्गत हुआ के लिए सिस्टम मैनेजर, संगणक से स्पष्टीकरण प्राप्तकर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाय।

प्रस्ताव सं॰ 4

छात्र ओम प्रकाश यादव द्वारा शास्त्री द्वितीय वर्ष 2009 में अनुक्रमांक 421890 से परीक्षा केन्द्र ''राजकिशोर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीखमपुर रोड, देवरिया'' पर सभी पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा किया गया है। छात्र द्वारा अपना परीक्षाफल पूर्ण करने हेतु प्रार्थनापत्र के साथ जो डाकेट संलग्न किया है। उन सभी पत्रों के डाकेट में परीक्षा केन्द्र द्वारा जालशाजी प्रतीत हो रहा है जबकि विश्वविद्यालय डाकेट में इस अनुक्रमांक की मात्र दो पत्र क्रमशः पंचम व सप्तम में ही छात्र की उपस्थिति प्रमाणित हो रहा है। छात्र द्वारा अपना परीक्षाफल पूर्ण करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-56121/2013 से वाद योजित किया गया है। इस प्रकरण को परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 31.10.2013 में प्रस्तुत किया गया। जिसपर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि **''जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को निर्देश दिया जाय कि वे प्रधानाचार्य राजकिशोर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीखमपुर रोड, देवरिया से संदिग्ध डाकेट की मूल प्रतियों को प्राप्त कर विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध करायें, जिससे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, अन्यथा की दशा में DIOS माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना के लिये उत्तरदायी होंगे, का पत्र DIOS को प्रेषित किया जाय जिसकी प्रतिलिपि प्रधानाचार्य/केन्द्राध्यक्ष राजकिशोर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीखमपुर रोड, देवरिया के साथ ही छात्र एवं अधिवक्ता को भी दे दी जाय।''** परीक्षा समिति के उपर्युक्त निर्णयानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को, प्राचार्य, राजकिशोर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीखमपुर, देवरिया से संदिग्ध डाकेट (प्रपत्र-16) की मूल प्रति प्राप्त कर दिनांक 20.12.2013 तक उपकुलसचिव (परीक्षा) को उपलब्ध कराने के आशय का पत्र दिनांक 07.12.2013 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया। जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर उपर्युक्त आशय का अनुस्मारक पत्र दिनांक 30.12.2013 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया। पत्र में अपेक्षित प्रपत्र (16) की मूल प्रति प्राचार्य, राजकिशोर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,

भीखमपुर, देवरिया से प्राप्त कर दिनांक 10.01.2014 तक उपकुलसचिव (परीक्षा) को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। किन्तु निर्धारित तिथि दिनांक 10.01.2014 तक अपेक्षित मूलप्रपत्र (16) प्राप्त नही हो सका। ज्ञातव्य है कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-56121/2013 से वाद योजित है। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2013 में प्रकरण को छः सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया गया है। DIOS द्वारा प्राचार्य से संदिग्ध डाकेट की मूलप्रति प्राप्त कर विश्वविद्यालय को प्रेषित/प्राप्त न कराने के आलोक में छात्र के प्रत्यावेदन निस्तारण पर विचार।

निर्णय उपर्युक्त प्रस्तुत प्रस्ताव से परीक्षा समिति अवगत हुई। तदुपरान्त 2009 वर्षीय परीक्षा केन्द्र द्वारा याची को दिये गये प्रमाणित छायाप्रति डाकेट (प्रपत्र-16) का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रपत्र-16 में छेड़छाड़ की पुष्टि करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के द्वारा मूल डाकेट (प्रपत्र-16) की उपलब्धता न कराने तथा विश्वविद्यालय के अभिलेखानुसार याची के मात्र दो पत्रो क्रमशः पंचम एवं सप्तम में उपस्थिति प्रमाणित होने के कारण, शास्त्री द्वितीय का परीक्षाफल पूर्ण नहीं किया जा सकता, के आशय की सूचना नोडल अधिकारी विधि के माध्यम से विश्वविद्यालय अधिवक्ता/माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करा दिया जाय।

प्रस्ताव सं॰ 5 अभिषेक कुमार मिश्र द्वारा शास्त्री द्वितीय परीक्षा वर्ष 2007 के अंकपत्र की मांग के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 29666/2013 के प्रकरण पर कुलपति द्वारा गठित समिति ने विभिन्न पक्षों की जाँच कर अपनी जाँच आख्या/निष्कर्ष दिया गया है।

परीक्षा समिति के समक्ष कुलसचिव के द्वारा जाँच समिति की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

कुलपति जी

अभिषेक कुमार मिश्र बनाम स्टेट ऑफ यू॰पी॰ व अन्य के याचिका संख्या 26266/13 के याची अभिषेक कुमार मिश्र द्वारा शास्त्री द्वितीय वर्ष 2008 के अनु॰ 137409 के अंक पत्र की माँग के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षित अंकपत्र उपलब्ध कराने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रकरण की जॉच हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित जॉच समिति के निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या उपकु॰सं॰ 794/13 दिनांक 22/05/13 के सापेक्ष जॉच समिति द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित परीक्षा विभाग तथा संगणक के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से की गयी पूछताछ तथा प्राप्त अभिलेखों एवं आख्या के आधार पर तथा सम्बन्धित महाविद्यालय से प्राप्त अभिलेख के आधार पर तथा जॉच समिति की बैठक दिनांक 21.06.2013, 23.11.2013, 26.11.2013 एवं 19.12.2013 में किये गये विचार विमर्श के आधार पर निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत है–

1 शास्त्री द्वितीय वर्ष 2008 की सारणीयन पंजिका के अनुक्रमांक 137409 पर महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राम कुमार सिंह के नाम आदि विवरण एवं प्राप्तांकों की प्रविष्टि के आधार की पृच्छा के परिप्रेक्ष्य में सिस्टम मैनेजर द्वारा दी गई आख्या के अनुसार परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 18/06/2011 के निर्णयानुसार आच्छादित वर्ष 2009 तक के अभिलेखों को नष्ट किया जा चुका है। वर्तमान में उपलब्ध संगणकीय प्रविष्टि के आधार पर सम्प्रति महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री रामकुमार सिंह का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। परन्तु सिस्टम मैनेजर द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों को भी नष्ट करने के सम्बन्ध में किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है तथा न ही नष्ट किये गये अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीकरण/विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2 परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध प्राचार्य, श्री बाराही संस्कृत महाविद्यालय, रानीगंज, प्रतापगढ़ के द्वारा पत्र दिनांक 26.06.2013 तथा शपथपत्र दिनांक 26.06.2013 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राम कुमार सिंह नाम का कोई छात्र इस महाविद्यालय के सत्र 2007–08 में न तो प्रवेश लिया है और न ही महाविद्यालय/संस्था में महेन्द्र प्रताप सिंह नाम के छात्र का कोई प्रमाण है।

3 परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध याची अभिषेक कुमार मिश्र, शास्त्री द्वितीय 2008 के मूल परीक्षावेदनपत्र पर अनुकमांक 137409 अंकित है जबकि रिट के साथ संलग्न प्रवेश पत्र की छाया प्रति पर छात्र का अंकित अनुकमांक पूर्ण रूप से पठनीय नहीं है।

4 परीक्षा विभाग के गोपनीय सम्बद्ध पटल सहायक द्वारा प्रस्तुत सभी दस पत्रों के अंकचिट के अनुसार अनुक्रमांक 137403 के वास्तविक आवंटी छात्र अवनीश सिंह का परीक्षाफल प्राप्तांक क्रमशः 65,62,59,60,68,63,54,66,47 के अनुसार घोषित है।

5 इस प्रकार अनुक्रमांक 137403 से प्राप्त प्राप्तांक क्रमशः 62, 70, 66, 61, 66, 50 शेष बचा है।

6 प्राचार्य, श्री बाराही संस्कृत महाविद्यालय, रानीगंज, प्रतापगढ़ द्वारा अभिषेक कुमार मिश्र की परीक्षा में प्रविष्टता प्रमाणित किया गया है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत अभिलेखों/तथ्यों के आधार पर जाँच समिति का निष्कर्ष है कि वर्ष 2008 से सम्बन्धित परीक्षा अनुभाग से संगणक विभाग को प्रेषित संगणक प्रपत्र (परीक्षार्थी का नाम, विवरण, प्राप्तांको आदि की सूचनायें) प्रपत्र को सिस्टम मैनेजर श्री विजय मणि त्रिपाठी की आख्या दिनांक 25.11.2013 तथा जॉच समिति के समक्ष मौखिक कथन के अनुसार उनके द्वारा परीक्षा समिति के आदेश दिनांक 18.06.2011 के अनुसार नष्ट कर दिया गया है जो कि जॉच में अन्तिम निष्कर्ष पर पहुॅचने हेतु सर्वाधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अभिलेख है, के अभाव में तथा परीक्षानुभाग द्वारा भी उक्त तथ्यों पर कोई लिखित आख्या उपलब्ध न कराने तथा स्थिति स्पष्ट न करने के कारण जॉच समिति किसी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुॅच सकती है। अतः परीक्षा समिति के कथित आदेशानुसार नष्ट किये गये आवश्यक अभिलेखों का प्रकरण जॉच समिति के सम्मुख प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में परीक्षा समिति के समक्ष अग्रिम निर्देश/निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

हस्ताक्षर	*हस्ताक्षर*	*हस्ताक्षर*	*हस्ताक्षर*
प्रो0 जितेन्द्र कुमार	सुश्री विनीता सिंह	विशेषाधिकारी, परीक्षा	कुलसचिव
सदस्य, जॉच समिति	सदस्य, जॉच समिति	सदस्य, जॉच समिति	संयोजक, जॉच समिति

उपर्युक्त रूप में प्रस्तुत जाँच समिति के वास्तविक तथ्यों पर विचार।

निर्णय उपर्युक्त प्रस्तुत प्रस्ताव से परीक्षा समिति अवगत हुई। तत्पश्चात् जाँच समिति की प्रस्तुत वास्तविक तथ्यों पर विचार-विमर्श के अनन्तर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ''शास्त्री द्वितीय परीक्षा वर्ष 2008 के अनुक्रमांक 137409 पर सारणीय पंजिका एवं संगणक में अंकित नाम महेन्द्र प्रताप सिंह को अंकपत्र निर्गत होने एवं शास्त्री प्रथम व तृतीय में न तो महाविद्यालय और न ही विश्वविद्यालय में कोई विवरण होने तथा शास्त्री द्वितीय में परीक्षावेदनपत्र प्राप्त न होने के कारण महेन्द्र प्रताप सिंह के अनुक्रमांक-137409 का परीक्षाफल को निरस्त करने की संस्तुति इस निर्देश के साथ किया जाता है कि इसे विद्यापरिषद् में प्रस्तुत किया जाय तथा अभिषेक कुमार मिश्र द्वारा शास्त्री प्रथम व तृतीय परीक्षा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने तथा शास्त्री द्वितीय का परीक्षावेदन पत्र प्राप्त होने तथा अनुक्रमांक 137409 आवण्टित होने एवं परीक्षा में प्रविष्ट होने तथा छः पत्रों में प्राप्त प्राप्तांक क्रमशः 62, 70, 66, 61,

66, 50 प्राप्त होने के आलोक में अप्राप्त तीन पत्रों, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में असौतांक 65, 65, 65 अंक प्रदान कर अनुक्रमांक 137409 पर नामावली आदि तैयार कर परीक्षाफल पूर्ण किया जाय। पूर्ण परीक्षाफल के अंकपत्र को प्राप्त करने हेतु याची को पत्र द्वारा सूचित किया जाय। याची द्वारा अंकपत्र प्राप्त कर लेने पर, इसके प्राप्ति की सूचना नोडल अधिकारी विधि के माध्यम से विश्वविद्यालय अधिवक्ता/ माननीय उच्च न्यायालय को दे दी जाय।

प्रस्ताव सं॰ 6

परीक्षा केन्द्र शान्ती निकेतन संस्कृत महाविद्यालय, सुदामपुरी, फैजाबाद की 2010 वर्षीय शास्त्री प्रथम अनुक्रमांक- 32585 की छात्रा कमला देवी पुत्री श्री विसम्भर दत्त की गृहविज्ञान प्रायोगिक परीक्षा में अंक प्राप्त न होने के कारण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.10.2011 के निर्णयानुसार गृहविज्ञान प्रायोगिक में 51 अंक औसतांक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण किया गया है। छात्रा द्वारा अपने गृहविज्ञान प्रायोगिक औसतांक 51 अंक के स्थान पर 58 अंक की माँग के अंक चिट की छायाप्रति प्रदान किया गया है। जिसके आधार पर छात्रा द्वारा 51 अंक के स्थान पर 58 अंक कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 6370(MS)/2013 से वाद योजित की है। प्रकरण निस्तारण हेतु परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 31.10.2013 में प्रस्तुत किया गया। जिस पर परीक्षा समिति द्वारा प्राचार्य, शान्ती निकेतन संस्कृत महाविद्यालय, सुदामपुरी, फैजाबाद मूल गृह विज्ञान प्रायोगिक अंक चिट के साथ उपकुलसचिव (परीक्षा) कार्यालय में दिनांक 15.11.2013 तक उपस्थित होने का निर्णय लिया गया। इस आशय की सूचना प्राचार्य को उपकुलसचिव (परीक्षा) के पत्रांक उप॰कु॰स॰(प॰) 951/2013 दिनांक 08.11.2013 रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया। पत्र की प्राप्ति के पश्चात प्राचार्य, श्री शान्ती निकेतन संस्कृत महाविद्यालय, सुदामपुरी, फैजाबाद के द्वारा स्वयं उपस्थित न होकर अपनी आख्या डाक द्वारा प्रेषित किया गया। इस सन्दर्भ से परीक्षा समिति को उसकी बैठक दिनांक 21.11.2013 में अवगत कराया गया जिस पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ''**अंक–चिट विश्वविद्यालय का अत्यन्त गोपनीय अभिलेख होता है। इसकी मूलप्रति या छाया प्रति महाविद्यालय/ परीक्षाकेन्द्र पर रखना विश्वविद्यालय की गोपनीयता भंग करना है, जो कि अपराध है। इसलिये प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष ,शान्ती निकेतन सं.म.वि॰ सुदामापुरी, फैजाबाद के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक (डी॰आइ॰ओ॰एस॰), फैजाबाद को निर्देश दिया जाय। जिसकी प्रतिलिपि प्रबंधक एवं प्राचार्य, शान्ती निकेतन सं.म.वि॰ सुदामापुरी, फैजाबाद को भी दिया जाय।इस निर्देश में अंकित किया जाय कि जिला विद्यालय निरीक्षक (डी॰आइ॰ओ॰एस॰) 25 जनवरी 2014 तक प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष के विरूद्व कार्यवाही कर ,कृत कार्यवाही से उपकुलसचिव (प॰) को अवगत करायें, जिससे आगामी परीक्षा समिति की बैठक में इसे प्रस्तुत किया जा सके।**''

परीक्षा समिति के उपरोक्त निर्णयानुसार से जिलाविद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद को पत्रांक उप॰कु॰स॰(प॰) 994/2013 दिनांक 12.12.2013 से रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र प्रेषित किया गया तथा पत्र की प्रतिलिपि विश्वविद्यालय के अधिकारियों सहित प्राचार्य, प्रबन्धक, याची एवं विश्वविद्यालय अधिवक्ता को भी दिया गया है। पत्र में जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से दिनांक 25.12.2013 तक उपकुलसचिव (परीक्षा) को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त पत्र के सापेक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने पत्र संस्कृत 6841-43/2013-14 दिनांक 18.12.2013 के द्वारा प्रबन्धक, शान्ती निकेतन संस्कृत महाविद्यालय, सुदामपुरी, फैजाबाद को, प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशानुसार, प्रबन्धक के द्वारा पत्र संख्या- 219/2013-14 स्पष्टीकरण/कृत कार्यवाही दिनांक 23.12.2013 को प्राचार्य से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। जिसके सापेक्ष प्राचार्य से प्राप्त स्पष्टीकरण जिसमें प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया है कि ''**उन्होंने अंकचिट को रजिस्टर्ड डाक से कुलपति महोदय के शिविर कार्यालय में प्रेषित किया है जिसकी सूचना उपकुलसचिव (परीक्षा) एवं कुलसचिव को रजिस्टर्ड डाक से दिया गया है, जबकि परीक्षा की अन्य अवशिष्ट सामग्री दिनांक 30.07.2010 को परीक्षा विभाग में जमा किया है। वर्ष 2010 के शास्त्री प्रथम कक्षा में कुल 33 गृह विज्ञान की छात्राओं में से अद्यतन 26 छात्राऐं गृह विज्ञान प्रायोगिक प्राप्तांक से वंचित हैं।**'' (इस सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि इन सभी छात्राओं को बिना गृह विज्ञान प्रायोगिक प्राप्तांक का अंकपत्र निर्गत है। जिसे मूल रूप से वापस करने पर गृह विज्ञान प्रायोगिक में औसतांक प्रदान कर परीक्षाफल संशोधित किया जा सकेगा।) प्राचार्य द्वारा दिये गये आख्या की समीक्षा करते हुए प्रबन्धक द्वारा प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः कृपया प्राचार्य की आख्या पर प्रबन्धक द्वारा प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही न करने के अनुरोध के आलोक में तथा माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या- 6370(MS)/13 के अनुसार प्रस्तरवार आख्या तैयार करने अथवा छात्रा की माँग के अनुसार गृह विज्ञान प्रायोगिक में औसतांक प्राप्तांक 51 अंक के स्थान पर वास्तविक प्राप्तांक 58 अंक से परीक्षाफल संशोधित करने अथवा न करने पर निर्णय लेने हेतु प्रकरण परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

उपर्युक्त प्रस्तुत प्रस्ताव से परीक्षा समिति अवगत हुई। तत्पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्धक/प्राचार्य से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ''मूल अंकचिट (Award List) के अभाव में याची को गृहविज्ञान प्रायोगिक औसतांक 51 अंक के स्थान पर अपेक्षित 58 अंक नहीं दिया जा सकता, के निर्णयानुसार नोडल अधिकारी विधि के माध्यम से विश्वविद्यालय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तरवार आख्या प्रेषित कर दिया जाय।

प्रस्ताव सं॰ 7

राम प्रसाद त्रिपाठी द्वारा शास्त्री द्वितीय बैक परीक्षा वर्ष 2007 के अंकपत्र की मांग के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 29666/2013 के प्रकरण पर कुलपति द्वारा गठित समिति ने विभिन्न पक्षों की जाँच कर अपनी जाँच आख्या/निष्कर्ष दिया है।

परीक्षा समिति के समक्ष कुलसचिव के द्वारा जाँच समिति की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

राम प्रसाद त्रिपाठी बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के याचिका संख्या 29666/2013 के प्रकरण पर कुलपति द्वारा गठित समिति ने विभिन्न पक्षों की जाँच में अधोलिखित तथ्य प्रकाश में आये -

छात्र द्वारा वर्ष **2005** में शास्त्री द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी गई जिसमें वह अनिवार्य हिन्दी तृतीय पत्र में अनुत्तीर्ण हो गया। जिसमें छात्र को अनुक्रमांक **36319** आवण्टित हुआ था। छात्र द्वारा वर्ष **2006** में शास्त्री द्वितीय हिन्दी तृतीय पत्र का बैक एवं शास्त्री तृतीय मुख्य परीक्षा का परीक्षावेदन पत्र आपूरित किया गया। वर्ष **2006** में उसे बैक हेतु **8113/36319** अनुक्रमांक आवण्टित हुआ एवं तृतीय वर्ष हेतु अनुक्रमांक **74969** आवण्टित हुआ। किसी कारणवश परीक्षा न दे सकने से छात्र द्वारा पुनः वर्ष **2007** में शास्त्री द्वितीय अनिवार्य हिन्दी तृतीय पत्र का बैक परीक्षावेदन पत्र एवं शास्त्री तृतीय मुख्य परीक्षा का परीक्षावेदन पत्र आपूरित किया गया। छात्र को शास्त्री तृतीय मुख्य परीक्षा पर अनुक्रमांक **113374** आवण्टित हुआ। वर्ष **2007** में छात्र का बैक (शास्त्री द्वितीय) का परीक्षावेदन पत्र एक वर्ष का समयान्तराल होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया गया एवं सम्बन्धित विद्यालय को विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक **19.06.2007** के द्वारा इस आशय की सूचना दी गई है । छात्र द्वारा शास्त्री द्वितीय हिन्दी तृतीय पत्र बैक की परीक्षा अनुक्रमांक **113374** से दिये जाने का कथ्य है जबकि छात्र के ही एक प्रार्थना पत्र दिनाङ्क **11.07.2012** में उसके द्वारा शास्त्री द्वितीय बैक परीक्षा कुलपति के आदेश से नाम से दिये जाने का उल्लेख है । उक्त दोनों कथ्यों में अन्तर/विरोधाभास है। छात्र को स्वयं ही संज्ञान नहीं है कि उसने शास्त्री द्वितीय हिन्दी बैक परीक्षा नाम से दी अथवा अनुक्रमांक से। यदि अनुक्रमांक से दी है तो वह कौन सा अनुक्रमांक था। छात्र के अभिभावक डॉ॰ छोटे लाल त्रिपाठी द्वारा दिनाङ्क **28.03.2008** को एक प्रार्थनापत्र कुलपति को दिया गया था जिस पर कुलपति द्वारा प्रकरण को परीक्षा समिति में रखने का आदेश दिया गया था । पुनः डॉ॰ छोटेलाल त्रिपाठी द्वारा दिनाङ्क **09.05.2008** को एक प्रार्थनापत्र कुलपति को दिया गया । डॉ॰ छोटेलाल त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तत्कालीन कुलपति द्वारा

कुलसचिव को निर्दिष्ट किया गया। जिस पर कुलसचिव ने दिनाङ्क **11.05.08** को टीप के माध्यम से अवगत कराया कि ''यह प्रकरण विगत परीक्षा समिति में आपके (कुलपति) आदेशानुसार विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था परन्तु परीक्षा समिति ने इसे सम्पूर्ण विवरण के साथ बैठक में रखने का निर्देश दिया है। यतः परीक्षा समिति की बैठक परीक्षा से पूर्व आहूत किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा। अतः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमति देने की कृपा करें कि परीक्षा समिति की बैठक में स्वीकृति के पश्चात् ही परीक्षाफल प्रकाशित हो सकेगा।''

छात्र द्वारा आचार्य की कक्षा में किस की स्वीकृति (**allowed to undertake admission as mentioned in the writ petition**) से प्रवेश लिया गया, यह स्पष्ट नहीं है छात्र द्वारा माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय, मथुरा में प्रवेश स्वयमेव ले लिया गया। वर्ष **2008** में परीक्षावेदन पत्रों के अग्रसारण एव संकलन हेतु नोडल **Centres** बनाये गये थे । श्री माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय. मथुरा के परीक्षावेदन पत्रों का अग्रसारण सम्बन्धित नोडल केन्द्र (श्री माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय, मथुरा) द्वारा किया गया था। नोडल केन्द्र द्वारा अग्रसारित परीक्षावेदन पत्रों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पंजिका पर **''विश्वविद्यालय द्वारा विशेष जाँच की आवश्यकता'' के कालम में ''नहीं''** के कालम में निशान लगाया गया, अतः विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षावेदन पत्रों की गहन जाँच नहीं की गई । **छात्र द्वारा आचार्य प्रथम के परीक्षावेदन पत्र पर पूर्वोत्तीर्ण कक्षा में विवरण में शास्त्री 2007 का उल्लेख है जो असत्य है।** छात्र द्वारा स्वयं ही तथ्यों को गोपन कर आचार्य की कक्षाओं में प्रवेश लिया गया एवं परीक्षावेदन पत्र मिथ्या सूचनाओं के साथ आपूरित कर जमा करवा दिया गया । छात्र के अभिभावक डॉ॰ छोटेलाल त्रिपाठी द्वारा दिनाङ्क **18.05.2010** को कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें छात्र रामप्रसाद त्रिपाठी के परीक्षाफल प्रकाशन की प्रार्थना की गई। उक्त प्रार्थनापत्र के प्रस्तर (7) की अन्तिम पंक्ति के अनुसार ''कुलपति महोदय के **स्वीकृति की प्रत्याशा** से बैक पेपर में बैठने की अनुमति दी गई थी'' । यह अनुमति किसके द्वारा दी गई यह स्पष्ट नहीं है। छात्र के एक प्रार्थना पत्र दिनाङ्क **11.07.12** में छात्र द्वारा ''शास्त्री द्वितीय वर्ष बैक की परीक्षा कुलपति के आदेशानुसार नाम से दी'' का उल्लेख है। छात्र का कथन ''कुलपति के आदेशानुसार'' एवं डॉ॰ छोटेलाल त्रिपाठी का कथन ''कुलपति महोदय की स्वीकृति की प्रत्याशा में बैक पेपर में बैठने की अनुमति दी गई'' परस्पर विरोधाभासी है। छात्र के अभिभावक डॉ॰ छोटेलाल त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत पत्रों में अस्पष्टता के कारण यह निश्चय कर पाना कि ''छात्र किसकी अनुमति से परीक्षा में सम्मिलित हुआ'' कठिन है। छात्र के दिनाङ्क रहित प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने वर्ष **2007** शास्त्री द्वितीय अनिवार्य हिन्दी तृतीय पत्र के अभिलेखों/डाकेट का परीक्षण किया। जिसमें छात्र का कहीं भी न तो अनुक्रमांक प्राप्त हो रहा है और न ही नाम से छात्र की उपस्थिति पायी गयी। छात्र रामप्रसाद त्रिपाठी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रत्यावेदन में अनेक विसंगतियाँ है। छात्र द्वारा ''वर्ष **2007** में बैक का प्रवेशपत्र न मिलने पर

विश्वविद्यालय के उपाचार्य डॉ॰ छोटेलाल त्रिपाठी द्वारा कुलपति को लिखे पत्र पर कुलसचिव की टीप पर मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी'' का उल्लेख है। किन्तु यह पत्र तो डॉ॰ छोटेलाल त्रिपाठी द्वारा दिनाङ्क **9.05.2008** को लिखा गया था एवं **11.05.08** को कुलसचिव जी की टीप अंकित है। वर्ष **2008** की टीप के आधार पर छात्र वर्ष **2007** की बैक परीक्षा में सम्मिलित ही नही हो सकता। इसके अतिरिक्त इस प्रार्थना पत्र में कोई सूचना नहीं माँगी गई थी बल्कि **परीक्षाफल घोषित करने की प्रार्थना थी। उक्त पत्र जनसूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत पोषणीय नहीं था अतः छात्र को कोई सूचना नहीं दी गई।** छात्र द्वारा **2007** में शास्त्री द्वितीय हिन्दी (तृतीय पत्र अनिवार्य) बैक की परीक्षा दिये जाने का कोई भी प्रमाण/अभिलेख विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं है। छात्र द्वारा वर्ष **2008** में प्राप्त अनुमति के आधार पर वर्ष **2007** की परीक्षा में प्रविष्ट होने की बात कई बार कही गयी है किन्तु वास्तव में छात्र द्वारा वर्ष **2008** में आचार्य प्रथम की परीक्षा दिनाङ्क **15.5.2008** से दी गई है। वर्ष **2007** एवं **2008** की समय सारणी संलग्न है । यह प्रकरण दो बार (दिनांक **06.04.2008** एवं **24.04.2012** को) परीक्षा समिति में प्रस्तुत हुआ एवं दोनों बार विवरण/सूचना के अभाव में अनिर्णित रह गया । पूर्ण सूचना के अभाव में इस प्रकरण को निस्तारित करने हेतु परीक्षा समिति की सन्दर्भित उपसमिति के निर्णयार्थ संदर्भित किया गया। छात्र एवं डॉ॰ छोटेलाल त्रिपाठी द्वारा कभी भी विभाग/विश्वविद्यालय को पूर्ण तथ्यात्मक सूचना नहीं दी गयी। परीक्षा विभाग द्वारा स्वयं छात्र के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए वर्ष **2007** के शास्त्री द्वितीय के परीक्षाभिलेखों की पूर्ण जाँच की गयी परन्तु छात्र के शास्त्री द्वितीय अनिवार्य हिन्दी तृतीय पत्र बैक परीक्षा में सम्मिलित होने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। छात्र विश्वविद्यालय के नियमों से अन्जान/अनभिज्ञ हो सकता है परन्तु विश्वविद्यालय के उपाचार्य डॉ॰ छोटेलाल त्रिपाठी को नियमों की जानकारी होनी ही चाहिए थी। छात्र के शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण हुए बिना उसे आचार्य की परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु डॉ॰ त्रिपाठी द्वारा मार्गदर्शन करना एवं परीक्षाफल घोषित कराने हेतु प्रयास करना प्रथम दृष्ट्या उनका कदाचार ही है। छात्र द्वारा यह अनुमानित करना कि वह बैक परीक्षा में उत्तीर्ण हो ही जाएगा एवं उक्त आधार पर अग्रेतर कक्षाएं उत्तीर्ण करते जाना, उचित नहीं है।

उपर्युक्त समग्र तथ्यों के आलोक में एतदर्थ गठित समिति द्वारा सर्वसम्मति से निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है कि –

प्रकरण से सम्बन्धित छात्र को एतदर्थ गठित समिति के समक्ष उपस्थित होने का पत्र दिया गया किन्तु छात्र उपस्थित नहीं हुआ और इस प्रकरण के सन्दर्भ में **डॉ॰ छोटे लाल त्रिपाठी** द्वारा निरन्तर पत्राचार किया गया है किन्तु कभी भी छात्र स्वयं उपस्थित नही हुआ है। **छात्र द्वारा बिना शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण किये आचार्य में प्रवेश/परीक्षा में प्रविष्ट होना** तथा **प्राचार्य, श्री माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय डैम्पिर नगर, मथुरा** के द्वारा तथ्यों का गोपन एवं परीक्षावेदनपत्रों के संकलन हेतु महाविद्यालय के नोडल सेण्टर होने का अनुचित लाभ लेकर अपूर्ण परीक्षावेदनपत्रो को पूर्ण के रूप में विश्वविद्यालय को भेजा गया। नोडल सेण्टर द्वारा अग्रसारित परीक्षावेदनपत्रों की जाँच विश्वविद्यालय द्वारा नही की गयी। **प्राचार्य श्री माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय डैम्पिर नगर ,मथुरा** के द्वारा नियमो का उल्लंधन कर विश्वविद्यालय को भ्रमित किया गया है। अतः छात्र के शास्त्री एवं आचार्य की दोनो परीक्षायें निरस्त करने योग्य हैं। एतदर्थ समस्त कार्यवाही के लिये डॉ॰ छोटे लाल त्रिपाठी, **प्राचार्य श्री माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय डैम्पिर नगर ,मथुरा** एवं स्वयं छात्र ही जिम्मेदार है।

डॉ0 सूर्यकान्त (पुस्तकालयाध्क्ष)
(सदस्य)

विशेषाधिकारी (प॰)
(सदस्य)

उपकुलसचिव (प॰)
(सचिव)

प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दूबे
(प्रतिकुलपति) (अध्यक्ष)

उपर्युक्त रूप में प्रस्तुत जाँच समिति के निष्कर्ष पर विचार।

निर्णय उपर्युक्त प्रस्तुत जाँच समिति की संस्तुति पर परीक्षा समिति ने विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से जाँच समिति की संस्तुति पर स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश प्रदान किया कि जाँच समिति/परीक्षा समिति की संस्तुति को विद्यापरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव सं॰ 8 पूर्वमध्यमा प्रथम वर्ष 1996 के अनुक्रमांक 6799, 6800, 6804 के संदिग्ध परीक्षाफल की जाँच हेतु गठित समिति से प्राप्त संस्तुति पर विचार।

सर्वप्रथम परीक्षा समिति के समक्ष कुलसचिव द्वारा जाँच समिति की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

जाँच आख्या

सेवा में,

माननीय कुलपति महोदय,
स॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी।

विषय :- पूर्वमध्यमा प्रथम वर्ष 1996 के अनुक्रमांक 6799, 6800, 6804 के संदिग्ध परीक्षाफल की जाँच आख्या।

महोदय,

आपके पत्रांक- वी॰सी॰ 3076/1300/2013 दिनांक 16.11.2013 के आदेश एवं कुलसचिव के पत्रांक-कु॰स॰ 5410/2013 दिनांक 18.11.2013 के द्वारा तत्कालीन उपकुलसचिव (परीक्षा) श्री महेन्द्र कुमार, जो सम्प्रति उपकुलसचिव के रूप में डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में कार्यरत है, ने कुलपति को दिनांक 14.11.2013 को फर्जी सत्यापन प्रकरण में माननीय कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या- ई-5393/8-जी॰एस॰/2013-IV दिनांक 17.10.2013 के सन्दर्भ में यह भी अवगत कराया है कि-

''श्री उमेश चन्द्र तिवारी पुत्र श्री सुभाष चन्द्र तिवारी अनुक्रमांक 6799 पूर्वमध्यमा प्रथम खण्ड परीक्षा वर्ष 1996 एवं कुमारी वन्दना तिवारी पुत्री श्री सुभाष चन्द्र तिवारी अनुक्रमांक 6804 पूर्वमध्यमा प्रथम खण्ड परीक्षा वर्ष 1996 के (दोनो सुभाष संस्कृत महाविद्यालय मिरानपुर, गाजीपुर से सम्बन्धित हैं) संदिग्ध परीक्षाफल भी प्रकाश में आये, क्योंकि टेबुलेश चार्ट में उक्त अनुक्रमांकों के द्वितीय एवं तृतीय पत्रों के कालम में जिन अंको की पोस्टिंग हस्तलिखित रूप में दिखाई गयी है, वे अनुक्रमांक उन पत्रों के अंक, अंकचिट में उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया परीक्षाफल फर्जी/संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं, किन्तु शिकायतकर्ता (प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी) द्वारा उन दोनों के अंकपत्र की द्वितीय प्रति बनवाने के लिए मेरे ऊपर निरन्तर दबाव बनाते रहे। लेकिन परीक्षाफल संदिग्ध एवं नियमविरूद्ध होने के कारण अंकपत्र की द्वितीय प्रति बनवाने से मेरे द्वारा इंकार कर दिया गया। इसके लिये शिकायतकर्ता द्वारा तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति (स्थायी कुलपति के अवकाश पर रहने के कारण) प्रो॰ युगल किशोर मिश्र द्वारा भी दबाव डलवाया गया, लेकिन कार्य नियमविरूद्ध होने के कारण नहीं किया गया।''

श्री महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता की जाँच करना आवश्यक है। अतः निम्नलिखित महानुभावों की समिति गठित की जाती है, जो उक्त के आलोक में अपनी आख्या कुलपति के समक्ष 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेंगे।

प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे	- अध्यक्ष
प्रो॰ जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी	- सदस्य
प्रो॰ जितेन्द्र कुमार	- सदस्य
डॉ॰ पद्माकर मिश्र	- सदस्य
उपकुलसचिव (परीक्षा)	- संयोजक

समिति की बैठक 22.11.2013, 05.12.2013, 20.12.2013, 27.12.2013, 05.01.2014, 10.01.2014,16.01.2014 एवं 18.01.2014 को आहूत की गयी तिथिवार बैठकों का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है -

1- कुलपति महोदय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त सन्दर्भित समिति की प्रथम बैठक दिनांक 22.11.2013 को आहूत की गयी।

समिति की प्रथम बैठक - दिनांक 22.11.2013
अपराह्न 01:00 बजे
स्थान- उपकुलसचिव (परीक्षा) कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति -

1.	प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे	- अध्यक्ष	- उपस्थित
2.	प्रो॰ जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी	- सदस्य	- अनुपस्थित
3.	प्रो॰ जितेन्द्र कुमार	- सदस्य	- उपस्थित
4.	डॉ॰ पद्माकर मिश्र	- सदस्य	- उपस्थित
5.	उपकुलसचिव (परीक्षा)	- संयोजक	- उपस्थित

बैठक की कार्यवाही

समिति को उपलब्ध कराये गये सारणयीन पंजिका एवं अंकचिट के द्वितीय एवं तृतीय पत्र का परीक्षण किया गया। पूर्वमध्यमा प्रथम परीक्षा वर्ष 1996 सुभाष संस्कृत महाविद्यालय मिरानपुर, गाजीपुर के अनुक्रमांक 6799 एवं 6804 के अंकचिट में नही है। किन्तु सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक- 6799 एवं 6804 पर संगणक द्वारा सभी पत्रों में अनुपस्थित दर्शाया गया है। जिसे बाद में अनुपस्थित के स्थानपर कूट रचना कर अनुक्रमांक- 6799 पर प्राप्तांक क्रमशः 42, 46, 45, 39, 48 एवं अनुक्रमांक- 6804 पर प्राप्तांक क्रमशः 20, 21, 25, 24, 26 अंक हस्तलेख से बनाया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ''प्रथम दृष्टया सारणीयन पंजिका संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में अभिलेख की सत्यता की जाँच हेतु तत्सम्बन्धित व्यक्तियों से आख्या माँगी जाय तथा सभी सम्बन्धित व्यक्ति अपनी आख्या विलम्बतम 12.12.2013 तक उपकुलसचिव (परीक्षा),संयोजक को प्रस्तुत करेंगे।

प्राचार्य, सुभाष संस्कृत महाविद्यालय मिरानपुर, गाजीपुर को पूर्वमध्यमा प्रथम वर्ष 1996 की प्रवेश पंजिका एवं परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले पूर्वमध्यमा प्रथम के समस्त छात्रों के सम्बद्ध मूल अभिलेख के साथ दिनांक 05.12.2013 को अपराह्ण 01:00 बजे उपकुलसचिव (परीक्षा) के कार्यालयीय कक्ष में एतदर्थ गठित जाँच समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।

सारणीयन पंजिका के प्रथम व द्वितीय प्रति के अभिलेख पालों का वर्ष 1996 से अद्यतन, जिनके संरक्षण में सम्बन्धित अभिलेख थे, उन सभी से दिनांक 12.12.2013 तक आख्या प्राप्त कर लिया जाय।

सिस्टम मैनेजर से भी सम्बन्धित दोनों अनुक्रमांक 6799, 6804 के सन्दर्भ में अपनी आख्या दिनांक 12.12.2013 तक समिति के संयोजक को उपलब्ध करायेगें, का पत्र निर्गत किया जाय।

प्रो॰ युगल किशोर मिश्र, तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति, को एतदर्थ गठित जाँच समिति के समक्ष दिनांक 05.12.2013 को अपराह्न 01:00 बजे उपस्थित होने का अनुरोध पत्र निर्गत किया जाय।

आगामी बैठक दिनांक 05.12.2013 को अपराह्न 01:00 बजे आहूत करने के संकल्प के साथ आज की बैठक सम्पन्न की गयी।

2- कुलपति महोदय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त सन्दर्भित समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 05.12.2013 को आहूत की गयी।

समिति की द्वितीय बैठक - दिनांक 05.12.2013
अपराह्न 01:00 बजे
स्थान- उपकुलसचिव (परीक्षा) कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति -

1.	प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे	- अध्यक्ष	- उपस्थित
2.	प्रो॰ जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी	- सदस्य	- अनुपस्थित
3.	प्रो॰ जितेन्द्र कुमार	- सदस्य	- उपस्थित
4.	डॉ॰ पद्माकर मिश्र	- सदस्य	- उपस्थित
5.	उपकुलसचिव (परीक्षा)	- संयोजक	- उपस्थित

बैठक की कार्यवाही

बैठक की कार्यवाही के क्रम में जाँच समिति को अवगत कराया गया कि विगत बैठक के निर्देशानुसार, प्राचार्य, सुभाष संस्कृत महाविद्यालय मिरानपुर, गाजीपुर एवं तत्कालीन कार्यवाहक, कुलपति- प्रो॰ युगल किशोर मिश्र जी को पत्र निर्गत किया गया, के सापेक्ष दोनों महानुभाव उपस्थित नहीं हो सके। इस कारण समिति द्वारा पूर्व में निर्गत पत्र सिस्टम मैनेजर एवं सम्बन्धित पटल सहायकों से आख्या दिनांक 12.12.2013 तक प्राप्त होने तथा प्राचार्य, सुभाष संस्कृत महाविद्यालय मिरानपुर, गाजीपुर एवं तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति जी को आगामी बैठक दिनांक 20.12.2013 को अपराह्न 01:00 बजे से आहूत की जाय तथा सम्बन्धितों को इस बैठक की सूचना का पत्र तत्काल निर्गत किया जाय, का निर्णय लिया गया। तदनुसार आज की बैठक सम्पन्न हुई।

3- कुलपति महोदय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त सन्दर्भित समिति की तीसरी बैठक दिनांक 20.12.2013 को आहूत की गयी।

समिति की तृतीय बैठक - दिनांक 20.12.2013
अपराह्न 01:00 बजे
स्थान- उपकुलसचिव (परीक्षा) कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति -

1.	प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे	- अध्यक्ष	- उपस्थित
2.	प्रो॰ जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी	- सदस्य	- उपस्थित
3.	प्रो॰ जितेन्द्र कुमार	- सदस्य	- उपस्थित
4.	डॉ॰ पद्माकर मिश्र	- सदस्य	- उपस्थित
5.	उपकुलसचिव (परीक्षा)	- संयोजक	- उपस्थित

बैठक की कार्यवाही

उपर्युक्त बैठक की कार्यवाही के अन्तर्गत तत्कालीन कार्यवाहक, कुलपति- प्रो॰ युगल किशोर मिश्र जी समिति के समक्ष उपस्थित हुए और संगत प्रकरण पर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये। इस प्रकरण की जाँच हेतु गठित समिति के आदेश से परीक्षा समिति को अवगत कराने हेतु परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 21.11.2013 में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर विचार विमर्श के अनन्तर पूर्वमध्यमा प्रथम वर्ष 1996 के अनुक्रमांक 6800 के छात्र श्री शशिभूषण त्रिपाठी पुत्र श्री हरिशंकर त्रिपाठी के भी संदिग्ध परीक्षाफल की जाँच परीक्षा समिति ने कुलपति जी द्वारा गठित इसी समिति से कराने के निर्णय लिया गया है से समिति को अवगत कराया गया। इसी क्रम में प्रभारी, सत्यापन/प्रथम प्रति तथा प्रभारी द्वितीय प्रति क्रमशः श्री भगवती शुक्ल एवं श्री जय किशन जायसवाल एवं सिस्टम मैनेजर से प्राप्त आख्या जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया गया कि प्रकरण के छात्र/छात्रा के पिता श्री सुभाष चन्द्र तिवारी, श्री हरिशंकर त्रिपाठी एवं प्राचार्य, सुभाष संस्कृत महाविद्यालय मिरानपुर, गाजीपुर को दिनांक 27.12.2013 को अपराह्न 01:00 बजे से उपकुलसचिव (परीक्षा) के कार्यालयीय कक्ष में बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया तथा सिस्टम मैनेजर की आख्या, जिसमें उन्होने कहा है कि पूर्वमध्यमा प्रथम वर्ष 1996 के अनुक्रमांक 6799 एवं 6804 पर क्रमशः उमेश चन्द्र तिवारी एवं वन्दना तिवारी पुत्री श्री सुभाष चन्द्र तिवारी का नाम संगणक में अंकित है **तथा सारणीयन पंजिका के मुद्रण के समय जो परीक्षाफल की स्थिति क्रास लिस्ट में है वही स्थिति वर्तमान में भी संगणकीय स्थिति है।** जबकि श्री भगवती प्रसाद शुक्ल द्वारा दिये गये आख्या में कहा है कि अनुक्रमांक 6799, 6800 तथा 6804 के परीक्षाफल अनुपस्थित (AA) पर हस्तलिखित अंक पर अस्पष्ट हस्ताक्षर अंकित कर, परीक्षाफल पूर्ण किया गया है। इसी क्रम में द्वितीय प्रति अभिलेख प्रभारी, श्री जयकिशन जायसवाल द्वारा भी श्री शुक्ल की ही तरह आख्या दिया गया है।

जाँच समिति ने उपर्युक्त समस्त प्रस्तुत आख्या के आलोक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अनुक्रमांक 6799, 6800 एवं 6804 के परीक्षाफल कूटरचित है। तथा इसकी जाँच के क्रम में प्रभारी सत्यापन श्री भगवती शुक्ल द्वारा अपनी आख्या में श्री कृपाशंकर पाण्डेय एवं श्री त्रिभुवन मिश्र तथा अनिल कुमार को अपने से पूर्व सत्यापन प्रभारी/सहायक होने की सूचना दी गयी है। जबकि एवं द्वितीय प्रति के प्रभारी जय किशन जायसवाल द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह के नाम की सूचना दिया गया है। उनसे भी परीक्षाफल पूर्ण करने के बाबत आख्या प्राप्त की जाय, प्राप्त आख्या को तदनुसार जाँच समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय के निर्देश के पश्चात जाँच समिति की आज की बैठक सम्पन्न हुई।

4- कुलपति महोदय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त सन्दर्भित समिति की चौथी बैठक दिनांक 27.12.2013 को आहूत की गयी।

समिति की चतुर्थ बैठक - दिनांक 27.12.2013
अपराह्न 01:00 बजे
स्थान- उपकुलसचिव (परीक्षा) कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति -

1.	प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे	- अध्यक्ष	- उपस्थित
2.	प्रो॰ जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी	- सदस्य	- उपस्थित

3.	प्रो॰ जितेन्द्र कुमार	- सदस्य	- उपस्थित
4.	डॉ॰ पद्माकर मिश्र	- सदस्य	- उपस्थित
5.	उपकुलसचिव (परीक्षा)	- संयोजक	- उपस्थित

बैठक की कार्यवाही

उपर्युक्त बैठक की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रकरण से सम्बन्धित अनुभाग के प्रभारियों एवं प्राचार्य को निर्गत पत्र के सापेक्ष आख्या प्राप्त हुआ। प्राप्त आख्या को समिति के समक्ष पढ़ा गया। जिसपर प्राचार्य, श्री सुभाष संस्कृत महाविद्यालय मिरानपुर, गाजीपुर के द्वारा अपनी आख्या में अस्थस्थता के कारण न आ पाने तथा जनवरी में स्वस्थ होने की सम्भावना व्यक्त किया गया है। प्राचार्य से जिस मूल अभिलेख की माँग किया गया था उसे प्रस्तुत न कर प्राचार्य द्वारा हस्तलिखित छायाप्रति पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति बिना दिनांक के दिया गया है, जिसमें पूर्वमध्यमा प्रथम वर्ष 1996 के अनुक्रमांक- 6799 पर उमेश चन्द्र तिवारी पुत्र श्री सुभाष चन्द्र तिवारी एवं अनुक्रमांक- 6800 पर शशिभूषण त्रिपाठी पुत्र श्री हरिशंकर त्रिपाठी तथा अनुक्रमांक- 6804 पर बन्दना तिवारी पुत्री श्री सुभाष चन्द्र तिवारी अंकित है जिन्हें उत्तीर्ण दर्शाया गया है, जबकि विश्वविद्यालय अभिलेख कूटरचित है। कृपाशंकर पाण्डेय द्वारा अपनी आख्या में सूचित किया गया है कि यह प्रकरण मेरे संज्ञान में नही है और वर्ष 1996 में परीक्षा विभाग के किसी भी अनुभाग में कार्यरत नहीं था तथा सत्यापन प्रकोष्ठ में इस अवधि में कौन कार्यरत था कि जानकारी सामान्यानुभाग से प्राप्त किया जा सकता है तथा ''अनुक्रमांक- 6799 एवं अन्य अनुक्रमांक जिन पर (AA) अनुपस्थित मुद्रित है जिसे हस्तलेख में (AA) अनुपस्थित काटकर परीक्षाफल पूर्ण करने का प्रश्न है ऐसे अनेको परीक्षाफलों को तत्कालिन व्यवस्था एवं उच्चाधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों पर, व्यतिक्रम अनुक्रमांकों से, व्यतिक्रम उत्तर पुस्तिकाओं एवं कभी एक ही अनुक्रमांक की कई-कई उत्तरपुस्तिकाओं के प्राप्त होने पर, सम्बन्धित कार्यालय सहायकों द्वारा छानबीन करने के अनन्तर परीक्षाफल पूर्ण किया जाता रहा है। उक्त स्थिति एवं व्यवस्था से आप पूर्णरूप से अवगत होंगे।'' इस आख्या के अनुसार वर्ष 1996 में सत्यापन प्रकोष्ठ में कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत थे, की सूचना सामान्यानुभाग से प्राप्त किया जाय तथा सुभाष संस्कृत महाविद्यालय मिरानपुर, गाजीपुर के प्रबन्धतंत्र तथा मान्यता की पत्रावली के साथ सम्बद्धता विभाग के समबद्ध सहायक एवं प्राचार्य को मूल अभिलेखों के साथ तथा श्री सुभाष चन्द्र तिवारी एवं श्री हरिशंकर त्रिपाठी को दिनांक 05.01.2014 को 01:00 बजे समिति के संयोजक/उपकुलसचिव (परीक्षा) के कार्यालयीय कक्ष में आहूत बैठक के समक्ष उपस्थित होने के निर्णय के साथ ही आज की बैठक सम्पन्न किया गया।

5- कुलपति महोदय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त सन्दर्भित समिति की पाँचवीं बैठक दिनांक 05.01.2014 को आहूत की गयी।

समिति की पाँचवीं बैठक - दिनांक 05.01.2013
अपराह्न 01:00 बजे
स्थान- उपकुलसचिव (परीक्षा) कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति -

1.	प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे	- अध्यक्ष	- उपस्थित
2.	प्रो॰ जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी	- सदस्य	- उपस्थित
3.	प्रो॰ जितेन्द्र कुमार	- सदस्य	- उपस्थित
4.	डॉ॰ पद्माकर मिश्र	- सदस्य	- उपस्थित
5.	उपकुलसचिव (परीक्षा)	- संयोजक	- उपस्थित

बैठक की कार्यवाही

उपर्युक्त बैठक की कार्यवाही के क्रम में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व बैठकों के कार्यवाही की समेकित आख्या तैयार कर जाँच समिति के समक्ष आगामी बैठक दिनांक 10.01.2014 को अपराह्न 01:00 बजे उपकुलसचिव (परीक्षा) के कार्यालयीय कक्ष में आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित न होकर अपनी आख्या प्राप्त कराया गया है, जिसमें जाँच से इतर जाकर जाँच समिति से ही प्रश्न किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा श्री हरिशंकर त्रिपाठी द्वारा अपने पुत्र के परीक्षाफल की सारणीयन पंजिका का अवलोकन किया गया, तत्पश्चात श्री त्रिपाठी द्वारा अपनी लिखित आख्या दिया गया। प्राचार्य, श्री सुभाष संस्कृत महाविद्यालय मिरानपुर, गाजीपुर समिति की बैठक में उपस्थित नही हुए, जिससे संदेह हुआ कि कहीं यह विद्यालय संदिग्ध तो नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) से पूछा गया। इसी क्रम में सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) द्वारा ''श्री सुभाष संस्कृत महाविद्यालय मिरानपुर, गाजीपुर'' से सम्बन्धित (मान्यता/प्रबन्धतन्त्र) पत्रावली उपलब्ध नहीं है,की लिखित सूचना दी गयी है, जिसे भी जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा श्री हरिशंकर त्रिपाठी से वर्ष 1996 में कार्यरत विभाग की सूचना माँगे जाने का निर्देश दिया गया।

उपर्युक्त के पश्चात आज की बैठक सम्पन्न हुई।

6- कुलपति महोदय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त सन्दर्भित समिति की छठवीं बैठक दिनांक 10.01.2014 को आहूत की गयी।

समिति की छठवीं बैठक - दिनांक 10.01.2014
अपराह्न 01:00 बजे
स्थान- उपकुलसचिव (परीक्षा) कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति -

1.	प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे	- अध्यक्ष	- उपस्थित
2.	प्रो॰ जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी	- सदस्य	- अनुपस्थित
3.	प्रो॰ जितेन्द्र कुमार	- सदस्य	- उपस्थित
4.	डॉ॰ पद्माकर मिश्र	- सदस्य	- उपस्थित
5.	उपकुलसचिव (परीक्षा)	- संयोजक	- उपस्थित

बैठक की कार्यवाही

उपर्युक्त बैठक की कार्यवाही के क्रम में समिति द्वारा हरिशंकर त्रिपाठी द्वारा अपने वर्ष 1996 में कार्यरत विभाग के नाम की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में सूचित यिका गया है कि वे वर्ष 1996 से 1997 तक सामान्यानुभाग के मुकदमा सेल आदि विभागों में कार्यरत थे कि सूचना से समिति अवगत हुई। इसी क्रम में श्री कृपाशंकर पाण्डेय द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 22.12.2013 में बिन्दु संख्या-3 के संलग्न पत्र पर रेखांकित अंश पर साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा श्री सुभाष चन्द्र तिवारी द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 30.12.2013 के संलग्न पत्र रेखाकित अंश एवं बिन्दु संख्या-4 के रेखांकित अंश पर दी गयी सूचना की स्थिति स्पष्ट करने तथा वर्ष 1996 में मूल्यांकन कार्यवाही में आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे अथवा नहीं की सूचना एवं इसी पत्र में दी गयी सूचना जिसमें अपने पाल्य के अनुक्रमांक- 6799 के अंकपत्र में अंकित जन्मतिथि में चार दिन के अन्तर का जिक्र किया गया है

अर्थात आपके पास अंकपत्र है इसलिये उनसे अंकपत्र की मूलप्रति/छायाप्रति के साथ आगामी बैठक में समिति के समक्ष उपस्थित होने की सूचना/पत्र दिया जाय। इसके साथ ही अधीक्षक गोपनीय से सम्बन्धित अनुक्रमांकों की प्राप्त दो पत्रों की अंकचिट के अतिरिक्त अन्य पत्रों की भी अंकचिट एवं डाकेट ढूंढवा लिया जाये तथा वर्ष 1996 में कौन मूल्यांकन प्रभारी था तथा कौन बूथ प्रभारी (पूर्वमध्यमा प्रथम) था कि भी सूचना से समिति को अवगत कराये के आशय का पत्र शीघ्र निर्गत किया जाय। जिसे समिति की आगामी बैठक दिनांक 16.01.2014 को अपराह्न 01:00 बजे उपकुलसचिव (परीक्षा)/संयोजक के कक्ष में आहूत की जाय, के साथ आज की बैठक सम्पन्न हुई।

7- कुलपति महोदय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त सन्दर्भित समिति की सातवीं बैठक दिनांक 16.01.2014 को आहूत की गयी।

समिति की सातवीं बैठक - दिनांक 16.01.2014
अपराह्न 01:00 बजे
स्थान- उपकुलसचिव (परीक्षा) कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति -

1.	प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे	- अध्यक्ष	- उपस्थित
2.	प्रो॰ जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी	- सदस्य	- उपस्थित
3.	प्रो॰ जितेन्द्र कुमार	- सदस्य	- उपस्थित
4.	डॉ॰ पद्माकर मिश्र	- सदस्य	- उपस्थित
5.	उपकुलसचिव (परीक्षा)	- संयोजक	- उपस्थित

बैठक की कार्यवाही

उपर्युक्त बैठक की कार्यवाही के क्रम में समिति के निर्णयानुसार श्री कृपाशंकर पाण्डेय तथा गोपनीय अधीक्षक से प्राप्त आख्या को जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें श्री कृपा शंकर पाण्डेय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.01.2014 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पत्रांक : उप॰कुस॰(प॰) 1040/2014 दिनांक 10.01.2014 के द्वारा जो साक्ष्य माँगा गया है वह तत्कालीन परीक्षाधिकारी, विशेषाधिकारी एवं तदसमय कार्यरत कर्मचारियों से इसकी पुष्टि की जा सकती है। यदि कोई साक्ष्य होगा तो वह तत्कालीन कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों अथवा परीक्षानुभाग में होगा तथा अधीक्षक गोपनीय द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि अपेक्षित बिन्दु संख्या-2,3,4 पर कोई जानकारी/अभिलेख नहीं प्राप्त हो सका है, जबकि बिन्दु संख्या-1 पर अंकचिट के बाबत काफी खोज-बीन किया गया, पुराने वर्षों का अभिलेख भी देखा गया किन्तु कोई सम्बन्धित अंकचिट प्राप्त नहीं हो सका तथा प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी एवं प्रो॰ युगल किशोर मिश्र जी से प्राप्त होने वाली आख्या को आगामी जाँच समिति की बैठक दिनांक 18.01.2014 को अपराह्न 01:00 बजे से संयोजक, जाँच समिति के कार्यालयीय कक्ष में आहूत किया जाय। इसी क्रम में समिति ने प्राचार्य, श्री सरस्वती गुरूकुल विद्यापीठ, मुनारी, वाराणसी, को छात्र उमेश कुमार तिवारी के पूर्वमध्यमा द्वितीय की परीक्षा/प्रवेश के सन्दर्भ दूरभाष पर जानकारी हेतु सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु प्राचार्य द्वारा फोन/मोबाईल रिसिव नही किया गया। इसी क्रम में तत्कालीन द्वितीय प्रति सारणीयन पंजिका के पटल सहायक श्री अमरनाथ पाल द्वारा प्रथम प्रति सारणीयन पंजिका पर किये गये संशोधन के हस्ताक्षर को पहचान कर श्री रविशरण सिंह के हस्ताक्षर की सम्भावना व्यक्त किया गया है। जिसके आधार पर श्री रविशरण सिंह को समिति की आगामी बैठक में उपस्थित होने का आशय का पत्र निर्गत करने के निर्देश के साथ ही समिति की आगामी बैठक दिनांक 18.01.2014 को अपराह्न 01:00 बजे उपकुलसचिव (परीक्षा)/संयोजक के कक्ष में आहूत की जाय, के साथ आज की बैठक सम्पन्न हुई।

8- कुलपति महोदय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त सन्दर्भित समिति की आठवीं बैठक दिनांक 18.01.2014 को आहूत की गयी।

समिति की आठवीं बैठक - दिनांक 18.01.2014
अपराह्न 01:00 बजे
स्थान- उपकुलसचिव (परीक्षा) कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति -

1.	प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे	- अध्यक्ष	- उपस्थित
2.	प्रो॰ जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी	- सदस्य	- अनुपस्थित
3.	प्रो॰ जितेन्द्र कुमार	- सदस्य	- उपस्थित
4.	डॉ॰ पद्माकर मिश्र	- सदस्य	- उपस्थित
5.	उपकुलसचिव (परीक्षा)	- संयोजक	- उपस्थित

बैठक की कार्यवाही

उपर्युक्त बैठक की कार्यवाही के क्रम में आज की बैठक के कार्यवाही में प्रो॰ युगल किशोर मिश्र जी समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित बयान प्रस्तुत किये। जबकि प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी द्वारा एक बार पुनः समिति के समक्ष उपस्थित न होकर अपनी लिखित आख्या प्रेषित किया गया है, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पत्र में प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी द्वारा जाँच समिति पर आरोप-प्रत्यारोप किया गया है तथा श्री रविशरण सिंह को समिति के सक्षम उपस्थित होने के पत्र को पत्रवाहक के द्वारा श्री रविशरण सिंह के पत्राचार का पता- एल-2/15, कैलगढ़ कालोनी, जगतगंज, वाराणसी एवं स्थाई निवास स्थान का पता-ग्राम व पोस्ट- मरूई, वाराणसी पर भेजा गया। पत्रवाहक को दोनो स्थान पर श्री रविशरण सिंह अनुपलब्ध होने की सूचना प्राप्त हुई।

उपर्युक्त कार्यवाही के उपरान्त जाँच समिति के द्वारा अधोलिखित रूप में अपनी आख्या कुलपति महोदय को प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

निष्कर्ष

समस्त तथ्यों एवं पत्रजातों के अवलोकनोपरान्त समिति निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचती है कि -

I. (1) पूर्वमध्यमा प्रथम परीक्षा वर्ष 1996 के अनुक्रमांक 6799 एवं 6804 के छात्र क्रमशः उमेश चन्द्र तिवारी पुत्र प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी, वन्दना तिवारी पुत्री प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी एवं अनुक्रमांक- 6800 के छात्र शशिभूषण त्रिपाठी पुत्र श्री हरिशंकर त्रिपाठी के परीक्षाफल सारणीयन पंजिका में अनुपस्थित (AA) को काटकर हस्तलिखित अंक चढ़ाया गया है किन्तु प्राप्त अंकचिट में तीनों अनुक्रमांक अंकित नहीं है। अर्थात अनुपस्थित है।

(2) पूर्वमध्यमा प्रथम के द्वितीय पत्र के बण्डल संख्या-42 के परीक्षक संख्या- 22/15 के परीक्षक श्री युवराज पाण्डेय, श्री सुमन्तेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, हनुमानफाटक, वाराणसी द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के अंकचिट में अनुक्रमांक 6799, 6800 एवं 6804 का अंकन नही किया है। इसलिए परीक्षाफल पूर्णतया कूटरचित है।

(3) पूर्वमध्यमा प्रथम के तृतीय पत्र के बण्डल संख्या-237 के परीक्षक संख्या- 23/40 के परीक्षक श्री निवास उपासनी, रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के अंकचिट में अनुक्रमांक 6799, 6800 एवं 6804 का अंकन नही किया है। इसलिए यह भी पूर्णतया कूटरचित है।

(4) सारणीयन पंजिका के पृष्ठ संख्या-22 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अंकचिट के विपरीत अनुक्रमांक- 6799, 6800 एवं 6804 पर अंकित छात्रनाम, पित्र नाम टंकित है, तथा कूट रचित अंक हस्तलिखित चढ़ाये गये हैं। अनुक्रमांक- 6800 पर शशिभूषण त्रिपाठी के जन्मतिथि में भी दिनांक 01.08.1983 को काटकर दिनांक 01.08.1984 का कूट रचित अभिलेख तैयार किया गया है।

(5) प्रथम प्रति सारणीयन पंजिका में तीनो अनुक्रमांक क्रमशः 6799, 6800 एवं 6804 पर मुद्रित अनुपस्थित (AA) को काटकर कूटरचना कर अंक हस्तलिखित अंकित किया गया है।

(6) द्वितीय प्रति सारणीयन पंजिका में इन तीनों अनुक्रमांकों- 6799, 6800 एवं 6804 में भी कूटरचना की गयी है। ऐसा तत्कालीन पटल सहायक श्री अमरनाथ पाल के लिखित बयान से स्पष्ट है- ''वर्ष 1996 की परीक्षा पूर्वमध्यमा प्रथम के सारणीयनपंजिका की द्वितीय प्रति में समय-समय पर प्राप्त कापियों के व्यतिक्रम में प्राप्त अंकों को सारणीयनपंजिका में मेरे द्वारा चढ़ाया गया है। मैनें अपने कार्यकाल में जो संशोधन किया है। वहाँ अपना हस्ताक्षर किया है। **इसके अतिरिक्त किसी अनुक्रमांक- 6799, 6800 एवं 6804 के अनुक्रमांक पर जो अंक अनुपस्थित रहने पर चढ़ाया गया है। उस पर मेरा हस्ताक्षर नही है न ही मै उस परीक्षाफल को बनाया हूँ**''। तत्कालीन सहायक, श्री पाल के अतिरिक्त कूटरचित अभिलेख पर अन्य किसी बाह्य व्यक्ति के अस्पष्ट हस्ताक्षर हैं, जिसको चिन्हित नहीं किया जा सका। श्री पाल के उक्त आख्या से भी स्पष्ट है कि सारणीयन पंजिका में कूटरचना की गयी है। तीनों अनुक्रमांकों के पूर्ण किये गये फर्जी परीक्षाफल पर किसी अधिकृत व्यक्ति (श्री पाल) के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा अपठनीय हस्ताक्षर किया गया है। अर्थात मात्र इन्हीं तीनों अनुक्रमांकों 6799, 6800 एवं 6804 पर ही श्री पाल के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर है। **जिससे सिद्ध होता है कि इन तीनों अनुक्रमांकों का परीक्षाफल कूट रचित अभिलेख को फर्जी ठंग से पूर्ण किया गया है। इस प्रकार अभिलेखीय साक्ष्यों से तीनों अनुक्रमांकों- 6799, 6800 एवं 6804 के कूटरचित/फर्जी होने की पुष्टि होती है।**

II. (1) उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य के रूप में विश्वविद्यालय में कार्यरत सम्बद्ध कर्मचारियों की आख्या/बयान दर्ज किया गया, जिसमें परीक्षाफल कूटरचित/फर्जी होने का सबसे अहम प्रमाण सिस्टम मैनेजर की आख्या है, जिसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि **''वर्ष 1996 के सारणीयन पंजिका में मुद्रण के समय जो परीक्षाफल की स्थिति क्रासलिस्ट में है वही संगगणकीय स्थिति है।'**। सिस्टम मैनेजर के बयान से स्वतः स्पष्ट है कि उक्त तीनों अनुक्रमांकों का परीक्षाफल पूर्णतः कूटरचित एवं फर्जी है। इसकी पुष्टि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 04.12.2012 में लिये गये निर्णय कि ''**संगणकीय अभिलेख को प्रमाणिक माना जाय।**'' से भी होती है।

(2) -क- प्राचार्य, सुभाष संस्कृत महाविद्यालय, गाजीपुर को कई बार मूल अभिलेखों के साथ जाँच समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, फिर भी प्राचार्य एक भी बार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, तथा प्राचार्य द्वारा बिना दिनांक के अपेक्षित मूल अभिलेख के स्थान पर छायाप्रति डाक द्वारा प्रेषित किया गया है। जिसमें इन तीनों अनुक्रमांकों- 6799, 6800 एवं 6804 के छात्रों को उत्तीर्ण दर्शाया गया है। प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत अभिलेख भी संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि इनके द्वारा न तो छात्र विवरण पंजिका का वर्षवार विवरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। मात्र एक ही पेज पर पूर्वमध्यमा शास्त्री प्रथम एवं शास्त्री द्वितीय के छात्रों का परीक्षाफल विवरण दिया गया है। वह भी व्यतिक्रम में है जो संदिग्धता को दर्शाता है।

(ख)- प्राचार्य के उपस्थित न होने पर उक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए इनके महाविद्यालय की मान्यता, प्रबन्ध तन्त्र से सम्बन्धित पत्रावली की गहन समीक्षा की गयी, तो सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) द्वारा सूचित किया गया कि ''सुभाष संस्कृत महाविद्यालय, गाजीपुर की पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नही है।''

(3) उक्त जाँच में मात्र दो ही पत्र (द्वितीय व तृतीय) का अंक चिट प्राप्त है जिसमें इन अनुक्रमांकों- 6799, 6800 एवं 6804 का उल्लेख नही है, अर्थात अनुपस्थित है। इससे सम्बन्धित अन्य पत्रों के अंकचिटों की उपलब्धता की माँग किया गया। जिस पर अधीक्षक गोपनीय द्वारा दिनांक 13.01.2014 को एतदर्थ गठित जाँच समिति के समक्ष सभी सील अलमारियों को सील करने वाले पदाधिकारियों की उपस्थिति में अप्राप्त अंकचिट को गहनता पूर्वक फिर से खोज की गयी। किन्तु उक्त अनुक्रमांकों से सम्बन्धित कोई अंकचिट एवं डाकेट प्राप्त नही हो सकी।''

(4) सम्बन्धित कर्मचरियों की आख्या के अन्तर्गत श्री कृपाशंकर पाण्डेय की आख्या जिसमें ''ऐसे अनेको परीक्षाफलों को तत्कालिन व्यवस्था एवं उच्चाधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों पर, व्यतिक्रम अनुक्रमांकों से, व्यतिक्रम उत्तर पुस्तिकाओं एवं कभी एक ही अनुक्रमांक की कई-कई उत्तरपुस्तिकाओं के प्राप्त होने पर, सम्बन्धित कार्यालय सहायकों द्वारा छानबीन करने के अनन्तर परीक्षाफल पूर्ण किया जाता रहा है।'' के सन्दर्भ श्री पाण्डेय से जब स्पष्टीकरण माँगा गया तो उन्होंने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 12.01.2014 जिसमें मेरे द्वारा अवगत कराया गया था कि ''तत्कालीन परीक्षाधिकारी, विशेषाधिकारी एवं तदसमय कार्यरत कर्मचारियों से इसकी पुष्टि की जा सकती है। उसका यदि कोई साक्ष्य होगा तो वह तत्कालीन कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों अथवा परीक्षानुभाग में होगा।'' से पूरी तरह साक्ष्यरहित एक सम्भावना बताते हुए अपने कथन से मुकर गये और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सके।

(5)-(क)- तत्कालीन द्वितीय प्रति सारणीयन पंजिका के पटल सहायक श्री अमरनाथ पाल द्वारा प्रथम प्रति सारणीयन पंजिका पर किये गये संशोधन के हस्ताक्षर को पहचान कर सम्भावना व्यक्त की गयी कि संभवतः श्री रविशरण सिंह के हस्ताक्षर है, जिसके आधार पर श्री सिंह को नोटिस गयी अनुपलब्धता के कारण श्री सिंह उपस्थित नहीं हुए। जिससे हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं हो सकी।

(ख)- प्रथम प्रति में किये गये अधिकांश संशोधन पर सम्भवतः श्री रविशरण सिंह के ही हस्ताक्षर है। इस सम्भावना के तहत श्री रविशरण सिंह को हस्ताक्षर की पुष्टि हेतु पत्र प्रेषित करने हेतु अधीक्षक (प्रशासन) से सेवा निवृत्त कर्मचारी श्री रविशरण सिंह की व्यक्तिगत पत्रावली की माँग की गयी। अधीक्षक (प्रशासन) द्वारा पत्रावली उपलब्ध करायी गयी, पत्रावली से श्री रविशरण सिंह के स्थायी एवं पत्राचार के पते पर पत्र के साथ पत्रवाहक को भेजा गया। स्थायी पते- ग्राम व पोस्ट- मरूई, वाराणसी पर जाने पर पता चला कि उनके घर में ताला लगा हुआ है। जिससे उनसे सम्पर्क नही हो सका तथा अस्थाई पते- एल॰ 2/15, कैलगढ़ कालोनी, जगतगंज, वाराणसी पर जाने पर पता चला कि इस आवास में कोई अन्य किरायेदार रहता है।

III. (1) -क- तत्कालीन उपकुलसचिव (परीक्षा) श्री महेन्द्र कुमार का कथन है कि **''प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्री के अंकपत्र की द्वितीय प्रति निर्गत करने के लिये मेरे ऊपर दबाव बनाया गया है,''** का बयान पूर्णतया तथ्यपरक है।

(ख)- इसकी पुष्टि तत्कालीन कुलपति प्रो॰ युगल किशोर मिश्र द्वारा भी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षाशास्त्र विभाग के आचार्य प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी द्वारा कूटरचित अभिलेख को सही करने का कलुषित प्रयास किया गया है जो उक्त दोनों व्यक्तियों (तत्कालीन उपकुलसचवि (परीक्षा) श्री महेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन कुलपति प्रो॰ युगलकिशोर मिश्र के जवाब से प्रमाणित है। इस प्रकार सरकारी कार्यों में व्यवधान एवं कूटरचित अभिलेख को सही करने के लिए अनावश्यक दबाव बनाने के लिये प्रो॰ तिवारी दोषी हैं।

(ग)- प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी को समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के निमित्त उपस्थित होने के निर्गत पत्र संख्या-उप॰कुस॰(प॰)1020/2013 दिनांक 24.12.2013, उप॰कुस॰(प॰)1024/2013 दिनांक 28.12.2013 एवं उप॰कुस॰(प॰)1047/ 2013 दिनांक 16.01.2014 के सापेक्ष में प्रो॰ तिवारी द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित न होकर समिति से ही जाँच से अलग हटकर पत्र प्रेषित कर कई प्रश्न किये हैं, जो नियम विरूद्ध है, जो दुराचरण की श्रेणी में आता है, दुराचरण अर्थात सक्षम अधिकारी के आदेशों की अवज्ञा स्वतः सिद्ध है। प्रो॰ तिवारी ने अपने पत्र में दोनो छात्र एवं छात्रा को अपना पाल्य स्वीकार किया है। प्रो॰ तिवारी के पुत्र एवं पुत्री के परीक्षाफल कूटरचित/फर्जी हैं, इसलिए प्रो॰ तिवारी को उक्त कूटरचित अभिलेख बनवाने में अपने पद के दुरूपयोग का समिति दोषी मानती है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी ने अपने पद का दुरूपयोग कर पुत्र एवं पुत्री के कूटरचित/फर्जी अभिलेख बनवाने में संलिप्तता के कारण ही समिति के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखा, बल्कि समिति से ही प्रश्नों की बौछार की है, प्रो॰ तिवारी ने सहयोग न कर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचायी है।

इस प्रकार प्रो॰ तिवारी को जाँच समिति कूटरचित अभिलेख निर्माण में पद एवं प्रभाव का दुरूपयोग करने, दुराचरण एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं अधिकरियों पर कूटरचित अभिलेखों को सही करने सम्बन्धित दबाव बनाने का दोषी मानती है।

III. (2)- श्री हरिशंकर त्रिपाठी ने अपने पद का दुरूपयोग एवं कार्यालय की मिलीभगत से अपने पुत्र के जन्मतिथि एवं प्राप्तांकों में कूट रचना कर फर्जी अभिलेख बनवाया है। अतः श्री त्रिपाठी भी इस कृत्य में दोषी हैं।

संस्तुति

उपलब्ध अभिलेखों, पत्रजातों एवं सम्बन्धित व्यक्तियों की आख्या का सम्यक परीक्षण के पश्चात जाँच समिति सर्वसम्मति से पूर्वमध्यमा प्रथम परीक्षा वर्ष 1996 अनुक्रमांक 6799 श्री उमेश चन्द्र तिवारी पुत्र प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी, पूर्वमध्यमा प्रथम परीक्षा वर्ष 1996 अनुक्रमांक 6804 सुश्री वन्दना तिवारी पुत्री प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी एवं पूर्वमध्यमा प्रथम परीक्षा वर्ष 1996 अनुक्रमांक 6800 श्री शशिभूषण त्रिपाठी पुत्र श्री हरिशंकर त्रिपाठी के तीनो अनुक्रमांकों के परीक्षाफल कूट रचित/फर्जी होने के कारण तीनों का परीक्षाफल तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की संस्तुति करती है।

श्री उमेश कुमार तिवारी एवं सुश्री वन्दना तिवारी के पिता शिक्षाशास्त्र विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के आचार्य प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी को पद एवं प्रभाव का दुरूपयोग कर पुत्र एवं पुत्री के कूटरचित अभिलेख बनवाने, अधिकारियों पर दबाव बनाने, दुराचरण एवं सरकारी कार्य में सहयोग न करने एवं व्यवधान का दोषी मानते हुए प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने की प्रबल संस्तुति करती है।

श्री शशिभूषण त्रिपाठी के पिता श्री हरिशंकर त्रिपाठी, कार्यालय पंडित, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को पद के दुरूपयोग का दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की संस्तुति करती है।

हस्तारक्षर
(प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दूबे)
प्रतिकुलपति
स॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी
(अध्यक्ष)

हस्तारक्षर
(प्रो॰ जितेन्द्र कुमार)
विभागाध्यक्ष, विज्ञान विभाग
स॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी
(सदस्य)

(प्रो॰ जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी)
संकायाध्यक्ष, दर्शन संकाय
स॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी
(सदस्य)

हस्तारक्षर
(डॉ॰ पद्माकर मिश्र)
निदेशक, प्रकाशन
स॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी
(सदस्य)

हस्तारक्षर
उपकुलसचिव (परीक्षा)
स॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी
(संयोजक)

निर्णय जाँच समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में परीक्षा समिति के सदस्यों द्वारा गहनतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के क्रम में समिति के दो सदस्य प्रो॰ व्यास मिश्र, वेदवेदांग संकायाध्यक्ष एवं प्रो॰ आशुतोष मिश्र, साहित्य संस्कृति संकायाध्यक्ष बार-बार जाँच समिति की संस्तुति के सम्बन्ध में यह अनुरोध करते रहे कि अध्यापक तथा कर्मचारी के पुत्र/पुत्री से सम्बन्धित कार्यवाही होने के कारण, जाँच समिति की आख्या/संस्तुति स्वीकार न की जाय, क्योंकि इससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। जबकि परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं उपस्थित अन्य सदस्यों का यह कथन था कि यह गम्भीर प्रकरण है।। विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में दोहरे मापदण्ड नही अपना सकता कि विश्वविद्यालय के अध्यापक/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री से सम्बन्धित प्रकरण होने के कारण उनके सम्बन्ध में नियमानुसार कोई कार्यवाही न की जाय और विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के अन्य छात्र/छात्रा के विरूद्ध इस प्रकार के

कूट रचित/फर्जी प्रकरणों में कार्यवाही की जाय, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार के कूट रचित/फर्जी प्रकरणों में विधिक कार्यवाही की गयी है और की भी जा रही है। वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी के पुत्र/पुत्री के कूट रचित/फर्जी अभिलेख प्रमाणित होने के पश्चात इनके विरूद्ध कार्यवाही न करना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नही होगा।

परीक्षा समिति की इस बैठक में उक्त दोनों संकायाध्यक्ष इस बिन्दु पर अपनी मौखिक विमति व्यक्त करते हुए लगभग अपराह्न 03:20 बजे बैठक की कार्यवाही छोड़कर समिति कक्ष से बाहर चले गये तथा कुछ समय पश्चात समिति की एक सदस्या प्रो॰ शारदा चतुर्वेदी परीक्षा सम्बन्धी किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु अध्यक्ष, परीक्षा समिति से अनुमति लेकर, समिति की बैठक से उठकर बाहर चली गयी। तत्पश्चात प्रो॰ व्यास मिश्र द्वारा समिति की जाँच आख्या/संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में एक विमति पत्र प्राप्त कराया गया। जिसमें प्रो॰ व्यास मिश्र, प्रो॰ आशुतोष मिश्र के अतिरिक्त प्रो॰ शारदा चतुर्वेदी का हस्ताक्षर अंकित था। उक्त विमति पत्र अधोलिखित है –

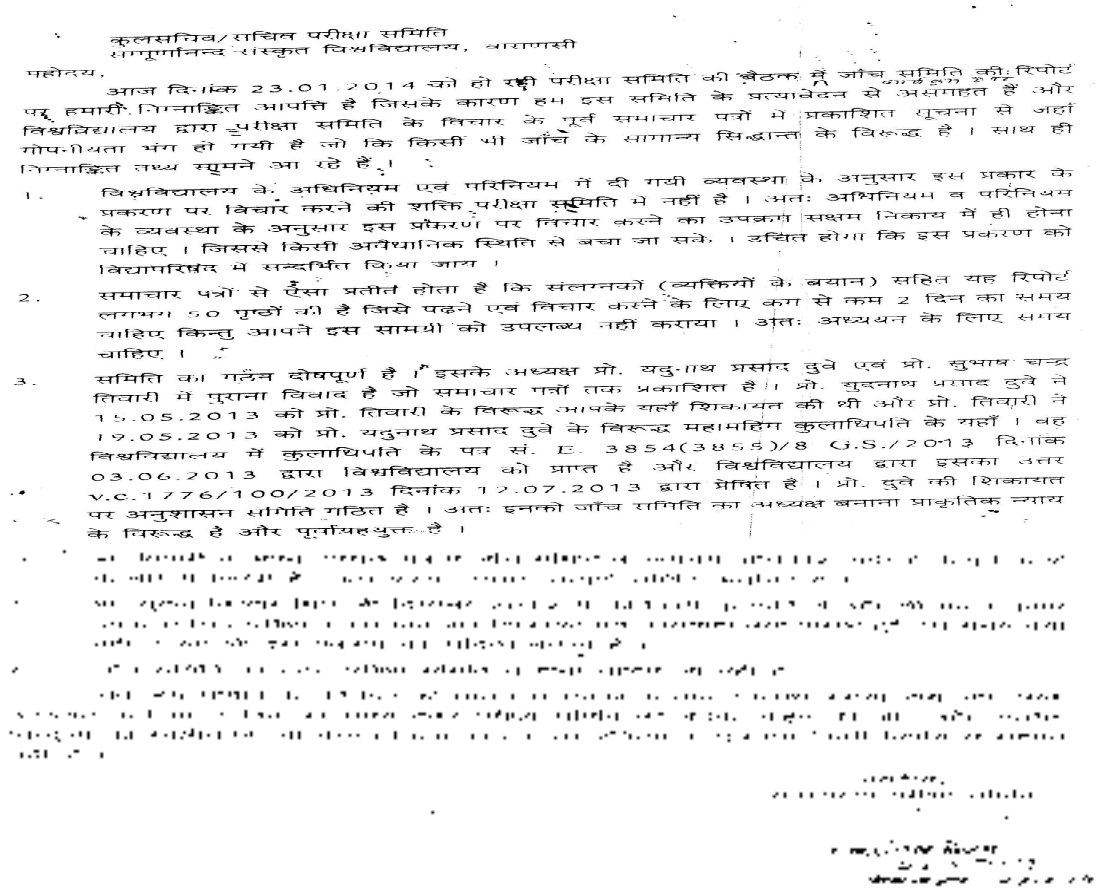

कुलसचिव/सचिव परीक्षा समिति
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

महोदय,

आज दिनांक 23.01.2014 को हो रही परीक्षा समिति की बैठक में जाँच समिति की रिपोर्ट पर हमारी निम्नांकित आपत्ति है जिसके कारण हम इस समिति के सत्यापेदन से असंगाहत हैं और विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा समिति के विचार के पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना से जहाँ गोपनीयता भंग हो गयी है जो कि किसी भी जाँच के सामान्य सिद्धान्त के विरूद्ध है । साथ ही निम्नांकित तथ्य सामने आ रहे हैं ।

1. विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार के प्रकरण पर विचार करने की शक्ति परीक्षा समिति में नहीं है । अतः अधिनियम व परिनियम के व्यवस्था के अनुसार इस प्रकरण पर विचार करने का उपक्रम सक्षम निकाय में ही होना चाहिए । जिससे किसी अनैधानिक स्थिति से बचा जा सके । उचित होगा कि इस प्रकरण को विद्यापरिषद में सन्दर्भित किया जाय ।

2. समाचार पत्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि संलग्नकों (व्यक्तियों के बयान) सहित यह रिपोर्ट लगभग 50 पृष्ठों की है जिसे पढ़ने एवं विचार करने के लिए कम से कम 2 दिन का समय चाहिए किन्तु आपने इस सामग्री को उपलब्ध नहीं कराया । अतः अध्ययन के लिए समय चाहिए ।

3. समिति का गठन दोषपूर्ण है । इसके अध्यक्ष प्रो. यदुनाथ प्रसाद दुबे एवं प्रो. सुभाष चन्द्र तिवारी में पुराना विवाद है जो समाचार पत्रों तक प्रकाशित है । प्रो. सुदनाथ प्रसाद दुबे ने 15.05.2013 को प्रो. तिवारी के विरूद्ध आपके यहाँ शिकायत की थी और प्रो. तिवारी ने 17.05.2013 को प्रो. यदुनाथ प्रसाद दुबे के विरूद्ध महामहिम कुलाधिपति के यहाँ । वह विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के पत्र सं. E. 3854(3855)/8 G.S./2013 दिनांक 03.06.2013 द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त है और विश्वविद्यालय द्वारा इसका उत्तर V.C.1776/100/2013 दिनांक 12.07.2013 द्वारा प्रेषित है । प्रो. दुबे की शिकायत पर अनुशासन समिति गठित है । अतः इनको जाँच समिति का अध्यक्ष बनाना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है और पूर्वाग्रहयुक्त है ।

प्रस्ताव सं॰ 9 2014 वर्षीय परीक्षा के गोपनीय मुद्रण की छपाई में सुरक्षा, मितव्ययिता एवं प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये गत वर्ष की भाँति 'गोपनीय मुद्रण समिति' का गठन अपेक्षित है। क्योंकि गोपनीय मुद्रण समिति के गठन के पश्चात ही परिसीमित प्रश्न पत्रों को मुद्रित कराने की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकेगा। अतः गोपनीय मुद्रण समिति के गठन पर विचार।

निर्णय उपर्युक्त प्रस्तुत प्रस्ताव से समिति अवगत हुई तथा गोपनीय मुद्रण कराने के सम्बन्ध में महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय के पत्र संख्या–17826 जी॰एस॰ दिनांक 20.11.1976 के अनुपालन में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03.03.2011 को 2011 वर्षीय परीक्षा के लिये प्रश्नपत्रों का गोपनीय मुद्रण विश्वविद्यालय प्रेस से सफलता पूर्वक कराये जाने के क्रम में गत वर्षों की भाँति 2014 वर्षीय परीक्षा के लिये भी आर्थिक बचत की दृष्टि से गोपनीय प्रश्नपत्रों का मुद्रण विश्वविद्यालय प्रेस से कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा गोपनीय प्रश्नपत्रों की छपाई मे सुरक्षा, मितव्ययिता एवं प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये अधोलिखित अध्यापकों/अधिकारियों की गोपनीय मुद्रण समिति का गठन किया गया –

1. प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे – अध्यक्ष
2. प्रो॰ गिरिजेश कुमार दीक्षित – सदस्य
3. प्रो॰ जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी – सदस्य
4. प्रो॰ व्यास मिश्र – सदस्य
5. प्रो॰ आशुतोष मिश्र – सदस्य
6. सुश्री विनिता सिंह, विशेषाधिकारी (संगणक) – सदस्य
7. श्री लालजी मिश्र, विशेषाधिकारी (परीक्षा) – सदस्य
8. वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी – सदस्य
9. कुलसचिव/उपकुलसचिव (परीक्षा) – संयोजक/सचिव
10. प्रेस व्यवस्थापक – सदस्य

गोपनीय मुद्रण का समस्त कार्य उपर्युक्त समिति के निर्देशन में सम्पन्न होगा तथा सम्पूर्ण गोपनीय प्रश्नपत्रों के मुद्रण कार्य के साथ–साथ परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों के प्रेषण तक, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता/सुरक्षा एवं पारदर्शिता बनाये रखने का दायित्व उक्त समिति का होगा। तदनन्तर प्रश्नपत्रों की गोपनीयता का दायित्व विश्वविद्यालय से प्रश्नपत्रों को ले जाने वाले प्राचार्यो/केन्द्राध्यक्षों का होगा। प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग होने पर सम्बन्धित के विरूद्व विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त समिति द्वारा ही गोपनीय कार्यों में आने वाले समस्त व्ययों पर निर्णय लिया जायेगा साथ ही आवश्यकतानुसार कुलपति महोदय की अनुमति से समस्त व्ययों का विवरण वित्त समिति/सभा/कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रस्ताव सं॰ 10 विभिन्न वर्षों में कक्षा स्थानान्तरण के प्रकरण निस्तारण हेतु परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.01.2013 में दिये गये आदेशानुसार संकायाध्यक्षों द्वारा कक्षा स्थानान्तरण के अधोलिखित अनुक्रमांकों के छात्रों के प्रत्यावेदनों पर कक्षा स्थानान्तरण के परिप्रेक्ष्य में की गयी संस्तुति को परीक्षा समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

क्र॰सं॰	वर्ष	अनुक्रमांक	स्थानान्तरण	
			कक्षा से	कक्ष में
1.	2010	7241	पूर्वमध्यमा द्वितीय	उत्तरमध्यमा द्वितीय
2.	2010	5415	पूर्वमध्यमा प्रथम	उत्तरमध्यमा प्रथम
3.	2011	30393	उत्तरमध्यमा द्वितीय	उत्तरमध्यमा प्रथम
4.	2011	216948	शास्त्री द्वितीय	शास्त्री तृतीय
5.	2010	264080	शास्त्री द्वितीय	शास्त्री तृतीय
6.	2010	264233	शास्त्री द्वितीय	शास्त्री तृतीय
7.	2010	284279	शास्त्री द्वितीय	शास्त्री तृतीय
8.	2008	134946	शास्त्री द्वितीय	शास्त्री तृतीय
9.	2011	301671	शास्त्री तृतीय	शास्त्री द्वितीय
10.	2013	480035	आचार्य प्रथम	आर्चाय द्वितीय
11.	2010	119871 से 119876 तक	शास्त्री द्वितीय	शास्त्री तृतीय
12.	2010	83909 से 83911 तक	शास्त्री द्वितीय	शास्त्री तृतीय
13.	2010	85320	शास्त्री द्वितीय	शास्त्री तृतीय
14.	2011	207231	शास्त्री द्वितीय	शास्त्री तृतीय
15.	2011	206333	शास्त्री द्वितीय	शास्त्री तृतीय
16.	2010	253014	शास्त्री प्रथम	शास्त्री द्वितीय
17.	2010	275425	शास्त्री तृतीय	शास्त्री द्वितीय
18.	2008	101940	शास्त्री द्वितीय	शास्त्री तृतीय
19.	2011	480345	आचार्य प्रथम	आचार्य द्वितीय
20.	2011	205446	शास्त्री द्वितीय	शास्त्री तृतीय
21.	**2013**	**515389**	**आचार्य द्वितीय (संस्थागत)**	**आर्चाय द्वितीय (व्यक्तिगत)**

क्रम संख्या- 1 से 20 तक कक्षा स्थानान्तरण तथा क्रम संख्या-21 के सन्दर्भ में समिति द्वारा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आचार्य द्वितीय संस्थागत परीक्षा वर्ष 2013 के अनुक्रमांक- 515389 को आचार्य द्वितीय व्यक्तिगत में स्थानान्तरण की कार्यवाही हेतु संस्थागत से व्यक्तिगत का अन्तर शुल्क लेकर किया जाय, किन्तु इसको उदाहरण न बनाया जाय, की संस्तुति किया गया है। **जबकि उपर्युक्त क्रम संख्या-21 की तरह के प्रकरण को परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.02.2011 एवं 06.08.2011 में संस्थागत परीक्षा से व्यक्तिगत परीक्षा में स्थानान्तरण के निर्णय को अमान्य किया गया है।**

उक्त प्रकरण को परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 21.12.2013 में प्रस्तुत किया गया। जिसपर परीक्षा समिति द्वारा निर्णयार्थ आगामी परीक्षा समिति में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार परीक्षा समिति के निर्णयार्थ प्रकरण प्रस्तुत।

निर्णय कक्षा स्थानान्तरण के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत संस्तुति पर स्वीकृति के क्रम में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संकायाध्यक्षों द्वारा संस्तुत सूची के क्रम संख्या 01 से 20 तक के प्रकरण पर कक्षा स्थानान्तरित करने की सहमति प्रदान किया गया जबकि क्रम संख्या-21 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व की परीक्षा समिति दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 06.08.2011 के निर्णयानुसार में क्रम संख्या-21 पर स्थानान्तरण की संस्तुति को अमान्य किया गया।

प्रस्ताव सं॰ 11 प्रमाणपत्र एवं उपाधिपत्र की द्वितीय प्रति के निर्गत हेतु छात्र/छात्रा द्वारा प्रमाणपत्र/उपाधिपत्र खो जाने के आशय का समाचार पत्र में विज्ञापन, इसी आशय का एफ॰आई॰आर॰ की कापी तथा स्टाम्प पेपर पर हलफनामा एवं अंकपत्र की छायाप्रति ` 200/-(दो सौ) के शुल्क रसीद की उपलब्धता औपचारिकता पूर्ण कराकर द्वितीय प्रति प्रमाणपत्र तथा उपाधिपत्र निर्गत किया जाता रहा है। किन्तु वर्तमान कुलसचिव द्वारा उक्त प्रक्रिया एवं औपचारिकता के लागू होने

के आदेश के प्रति की अपेक्षा किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रभारी प्रमाणपत्र शाखा द्वारा अवगत कराया गया है कि **''पूर्व की परीक्षा समिति में उक्त के अनुसार कार्यवाही का निर्णय नही हुआ है। जबकि वर्ष 1983 में मुद्रित निर्देशिका में चार रूपये पचास पैसे के स्टाम्प पत्र पर यह वही व्यक्ति है, जिसका प्रमाणपत्र खो गया है के आशय के निर्गत हलफनामा, जोकि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित हो तथा द्वितीय प्रति प्रमाणपत्र खो जाने के आशय के प्रार्थनापत्र की औपचारिकता का विधान है।''** अतः द्वितीय प्रति प्रमाणपत्र/उपाधिपत्र निर्गमन के सन्दर्भ में निर्देशिका में दिये गये निर्देश एवं वर्तमान में द्वितीय प्रति प्रमाणपत्र/उपाधिपत्र निर्गमन के लिये पूर्ण करायी जा रही औपचारिकता के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की कार्यवाही पर स्वीकृति हेतु परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 21.12.2013 में प्रस्तुत किया गया। जिसपर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि द्वितीय प्रति प्रमाणपत्र/उपाधिपत्र के निर्गमन से पूर्व उपर्युक्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर, द्वितीय प्रति प्रमाणपत्र/उपाधिपत्र निर्गमन का निर्णय नीतिगत निर्णय है। अतः इसे आगामी परीक्षा समिति में प्रस्तुत कर एतद्र्थ स्वीकृति प्राप्त किया जाय, के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय उपर्युक्त प्रस्तुत प्रस्ताव से परीक्षा समिति अवगत हुई, तत्पत्श्चात् द्वितीय प्रति प्रमाणपत्र/उपाधिपत्र निर्गमन हेतु पूर्व के निर्देशिका में वर्णित व्यवस्था एवं वर्तमान में द्वितीय प्रति प्रमाणपत्र/उपाधि पत्र निर्गमन हेतु पूर्ण करायी जा रही औपचारिकता पर निर्णय लिया गया कि अधोलिखित प्रपत्रों एवं शुल्क की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये तथा इस व्यवस्था के लागू होने तथा पूर्व की व्यवस्था/प्रावधान को निष्प्रभावी होने की स्वीकृति विद्यापरिषद् से प्राप्त किया जाय।

1. प्रमाणपत्र/उपाधि पत्र के खोने के आशय का प्रार्थनापत्र।
2. सम्बन्धित प्रमाण पत्र/उपाधि पत्र की कक्षा का स्वप्रमाणित अंकपत्र की छायाप्रति।
3. आवेदक/छात्र द्वारा स्वप्रमाणित फोटोयुक्त पहचान पत्र की छायाप्रति।
4. रूपये दस के स्टाम्प पत्र पर निर्गत हलफनामा जोकि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित हो की मूल प्रति।
5. दैनिक समाचार पत्र में प्रमाणपत्र/उपाधि पत्र खोने के विज्ञापन की कटिंग।
6. प्रमाणपत्र/उपाधि पत्र खोने के आशय का F.I.R. की मूल प्रति।
7. द्वितीय प्रति प्रमाणपत्र/उपाधि पत्र निर्गमन का शुल्क ` 500/- (पाँच सौ) के विश्वविद्यालय कोष में जमा होने के रसीद की मूलप्रति।

यदि आवेदक द्वारा उपर्युक्त सभी प्रपत्रों की उपलब्धता करा दी जाती है तो इन प्रपत्रों के आधार पर प्रभारी, प्रमाणपत्र द्वारा द्वितीय प्रति प्रमाणपत्र/उपाधि पत्र निर्गमन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाय तथा प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में द्वितीय प्रति प्रमाणपत्र/उपाधि पत्र निर्गत किया जाय।

प्रस्ताव सं॰ 12 विशेषाधिकारी (परीक्षा) द्वारा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि अपूर्ण परीक्षाफल को पूर्ण करने हेतु एक समय-सीमा निर्धारित किया जाय। जिससे अत्यन्त प्राचीन वर्षों के अपूर्ण परीक्षाफल को पूर्ण करने की कार्यवाही पर रोक लगायी जा सके। इस प्रकरण को परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 21.12.2013 प्रस्तुत किया गया। जिस पर निर्णय लिया गया कि प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए इस पर निर्णय हेतु प्रकरण को आगामी परीक्षा समिति की बैठक में उपस्थापित किया जाय, के निर्णयानुसार विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय उपर्युक्त प्रस्तुत प्रस्ताव से परीक्षा समिति अवगत हुई। तत्पश्चात् विचार-विमर्श के अनन्तर वर्तमान सत्र से छः वर्ष पूर्व तक के ही अपूर्ण परीक्षाफल, अभिलेखों के आधार पर पूर्ण किये जा सकेंगे, जबकि प्रकाशित परीक्षाफल के अंकपत्र/प्रमाणपत्र/उपाधिपत्र में वंतनी सम्बन्धी आंशिक संशोधन सम्बन्धी परीक्षा समिति के निर्णय दिनांक 05.09.2013 में पूर्व वर्षों के अभिलेखों के आधार पर पूर्व की परीक्षा समिति में एतदर्थ निर्धारित संशोधन शुल्क के साथ मात्र बर्तनी सम्बन्धी आंशिक संशोधन हो सकेगा तथा अंकों के कारण अपूर्ण परीक्षाफल पूर्ण नही किये जायेंगे, जबकि 2010 वर्षीय परीक्षा के अपूर्ण परीक्षाफल पूर्ण करने हेतु परीक्षा समिति के निर्णय दिनांक 04.12.2012 में 2010 वर्षीय परीक्षा के अपूर्ण परीक्षाफल को पूर्ण कराने हेतु निर्धारित तिथि 15.12.2012 के पश्चात् अंकों के कारण अपूर्ण परीक्षाफल पूर्ण नही किये जायेंगे, जबकि पूर्व वर्ष के विवरण के अभाव में अपूर्ण परीक्षाफल पूर्ण किये जा सकेंगे, का निर्णय लिया गया है। समिति द्वारा तद्नुसार ही कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

पूरक प्रस्ताव-1 - विशेषाधिकारी (परीक्षा) द्वारा 2014 वर्षीय विश्वविद्यालय (परिसर) के शास्त्री/आचार्य परीक्षा दिनांक 01 मार्च, 2014 से 13 मार्च, 2014 तक तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षा दिनांक 19.04.2014 दिनांक 01.05.2014 तक के आयोजन का समय-चक्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचार।

निर्णय विश्वविद्यालय के 2014 वर्षीय परीक्षा को दो चरणों में आयोजित कराने हेतु परीक्षा समिति के निर्णय दिनांक 15.09.2013 का औचित्य प्रतिपादित किया गया कि यदि विश्वविद्यालय परिसर की मुख्य परीक्षा, सम्बद्ध महाविद्यालय की मुख्य परीक्षा से पूर्व ही सम्पन्न हो जाती है तो विश्वविद्यालय परिसर समस्त प्राध्यापकगण को सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु अधिकृत किया जा सकेगा, जिससे महाविद्यालयों की परीक्षा केन्द्र पर नकल विहीन, शुचितापूर्वक परीक्षा सम्पन्न कराया जा सकेगा, के अनुसार परिसर की परीक्षा दिनांक 01 मार्च, 2014 से 13 मार्च, 2014 तक तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षा दिनांक 19.04.2014 दिनांक 01.05.2014 तक के प्रस्तावित समय-चक्र को स्वीकृति प्रदान किया गया। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि यदि किसी कक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण न हुआ हो तो अतिरिक्त कक्षाएँ लगाकर पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया जाय, एतदर्थ समस्त संकायाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष को सूचित कर दिया जाय।

पूरक प्रस्ताव-2 - परीक्षा विभाग द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि अंकपत्र पर मुद्रित नाम आदि में विसंगति/त्रुटि के संशोधन की समयावधि निर्धारित करते हुए 2014 वर्षीय परीक्षा अंकपत्र पर यह निर्देश मुद्रित कराया जाय। कि परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से 120 दिन या चार माह के अन्दर अंकपत्र पर मुद्रित नाम, प्राप्तांक, विषय आदि का अपने पूर्व वर्षों के अभिलेख से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लें कि अंकपत्र पर कोई त्रुटि मुद्रित नही है। त्रुटि की दशा में सम्बन्धित त्रुटि अनिवार्य रूप से निर्धारित अवधि 120 दिन में संशोधित करा लें अयन्था इस अवधि के पश्चात् संशोधन सम्भव नहीं होगा, के नियम निर्धारण का प्रस्ताव दिया गया।

निर्णय परीक्षा समिति के प्रस्तुत उपर्युक्त प्रस्ताव पर परीक्षा समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया और विशेषाधिकारी (परीक्षा/संगणक) को उपर्युक्त के अनुसार 2014 वर्षीय अंकपत्र पर अति आवश्यक निर्देश के रूप में निर्धारित समय-सीमा को मुद्रित कराने निर्णय लिया गया।

पूरक प्रस्ताव-3 - छात्र बच्चू सिंह पुत्र श्री बृजराज सिंह वर्ष 2009 में शास्त्री प्रथम, 2010 में शास्त्री द्वितीय की परीक्षा उत्तीर्ण है। जबकि वर्ष 2011 में अनुक्रमांक-334158 से पर्यावरण सहित शास्त्री तृतीय की परीक्षा दिया किन्तु अनुत्तीर्ण हो गया। जबकि पर्यावरण अध्ययन में 56 अंक प्राप्त है। छात्र पुनः 2013 में अनुक्रमांक 332814 से बिना पर्यावरण अध्ययन के शास्त्री तृतीय की परीक्षा दिया। पर्यावरण अध्ययन के प्राप्तांक के अभाव में शास्त्री तृतीय का परीक्षाफल अपूर्ण है। परीक्षावर्ष 2011 के शास्त्री तृतीय अनुक्रमांक 334158 से अनुत्तीर्ण परीक्षाफल में पर्यावरण अध्ययन के प्राप्तांक 56 अंक से 2013 वर्षीय शास्त्री तृतीय अनुक्रमांक 332814 को पूर्ण करने की माँग किया गया है। जिसे परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 21.12.2013 में प्रस्तुत किया गया। जिस पर निर्णय लिया गया कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत, परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को आगामी परीक्षा समिति में प्रस्तुत करने का निर्णय प्राप्त किया जाय, के निर्णयानुसार परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय - परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 2011 वर्षीय शास्त्री तृतीय परीक्षा अनुक्रमांक- 334158 से प्राप्त पर्यावरण अध्ययन के 56 अंक प्राप्तांक से 2013 वर्षीय शास्त्री तृतीय अनुक्रमांक- 332814 के अनिवार्य पत्र पर्यावरण अध्ययन को पूर्ण नही किया जा सकता। किन्तु छः वर्ष में शास्त्री पाठ्यक्रम/उपाधि पूर्ण करने के नियमानुसार छात्र का 2009 से 2013 तक पाँच वर्ष हो चुका है। इस प्रकार छात्र को शास्त्री पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु एक वर्ष का समय शेष है। अतः छात्र को 2014 वर्षीय परीक्षा में बैक परीक्षावेदनपत्र पर मात्र पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति प्रदान करने के साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि छात्र बैक परीक्षावेदनपत्र विश्वविद्यालय से स्वयं प्राप्त कर श्री आर्य महाविद्यालय किरठल, बागपत, के प्राचार्य से बैक परीक्षावेदनपत्र प्रमाणित कराकर विश्वविद्यालय में शीघ्र जमा करने पर ही पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा प्रविष्ट हो सकेगें तथा उत्तीर्ण होने की दशा में शास्त्री तृतीय का परीक्षाफल पूर्ण किया जा सकेगा। इस आशय की सूचना, छात्र के व्यक्तिगत पते पर शीघ्र प्रेषित कर दिया जाय।

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपराह्न 4:00 बजे परीक्षा समिति बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

संख्या : उप.कु.स.(प.) /2014 दिनांक 25.01.2014
प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति जी।
3. परीक्षा समिति के माननीय पदाधिकारीगण।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्ताधिकारी।
5. विशेषाधिकारी (परीक्षा/संगणक)।
6. उपकुलसचिव (परीक्षा/प्रशासन)।
7. नोडल अधिकारी (विधि)।
8. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)।
9. अधीक्षक, परीक्षा।
10. अधीक्षक, छात्रकल्याण विभाग।
11. जनसम्पर्क कार्यालय।
12. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

परीक्षा समिति के उपर्युक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में विद्यापरिषद् को उपकुलसचिव (परीक्षा) ने अवगत कराया कि परीक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव सं॰-7 एवं 8 पर की गयी संस्तुतियों पर विद्यापरिषद् में विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिये परीक्षा समिति ने निर्देश दिया है। अतः परीक्षा समिति की उपर्युक्त संस्तुति विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। शेष अन्य संस्तुतियां विद्यापरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

1- परीक्षा समिति के उपर्युक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम विद्यापरिषद् ने प्रस्ताव संख्या-7 पर विचार व्यक्त करते हुये सदस्यों ने अधोलिखित मत व्यक्त किया-

(i) परिषद् के सदस्य प्रो॰रामकिशोर त्रिपाठी ने कहा कि- विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार बैक परीक्षा को परीक्षार्थी उसके द्वारा दी गयी अगली परीक्षा में देने की व्यवस्था है, अतः उक्त छात्र को भी बैक परीक्षा में प्रविष्ट हेने की अनुमति मिलनी चाहिए।

(ii) परिषद् के सदस्य प्रो॰राम किशोर त्रिपाठी, प्रो॰ प्रेम नारायण सिंह एवं प्रो॰सुभाषचन्द्र तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार विश्वविद्यालय ने श्री बच्चू सिंह के प्रकरण में बैक परीक्षा देने की अनुमति दी है, उसी प्रकार इस छात्र को भी प्रदान किया जाय।

(iii) प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी ने यह भी अवगत कराया कि परीक्षा विभाग 403 नं॰ पर छात्र का अंक ढूंढने का प्रयास करें।

सदस्यों के उपर्युक्त के संदर्भ में परिषद् को अवगत कराया गया कि-

(i) विश्वविद्यालय परिनियम 21.05 में व्यवस्था है कि- ''किसी अभ्यर्थी को अपने परीक्षाफल में सुधार करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय की अगली नियमित परीक्षा में पूर्व स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में और बी॰एड॰ परीक्षा के या एल॰एल॰बी॰ के किसी एक वर्ष की परीक्षा के या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग के, एक प्रश्न-पत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।''

अतः किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय के अगली नियमित परीक्षा में श्रेणी सुधार/बैक परीक्षा देने की अनुमति नियमानुसार दी जाती है, न कि छात्र द्वारा दी गयी उक्त नियम में प्रस्तावित समय के पश्चात् अगली नियमित परीक्षा के साथ।

(ii) प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी द्वारा कथन की 403 नम्बर पर छात्र का अंक ढूंढने का प्रयास करे, के परिप्रेक्ष्य में परिषद् के समक्ष परीक्षा विभाग से सम्बन्धित सहायक को वस्तु स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उन्होने परिषद् को सूचित किया कि सम्बन्धित डाकेट में 403 नही है बल्कि यह 172403 है। इसकी जाँच सम्बन्धित जाँच समिति द्वारा भी पहले कर ली गयी है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रो॰तिवारी का उक्त सुझाव सही नहीं पाया गया।

(iii) श्री बच्चू सिंह का प्रकरण पर्यावरण परीक्षा से सम्बन्धित है, और भिन्न प्रकृति है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों पर गहन विचार-विमर्श करते हुए परिषद् के सदस्य प्रो॰ रामकिशोर त्रिपाठी के आग्रह पर परिषद् ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यापक प्रो॰छोटेलाल त्रिपाठी के सम्बन्धी श्री रामप्रसाद त्रिपाठी की जाँच रिपोर्ट के परीक्षणार्थ अधोलिखित समिति का गठन किया और निर्देशित किया कि समिति सात दिन के अन्तर्गत रिर्पोट कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करें।

1- प्रो॰ केदार नाथ त्रिपाठी, सदस्य विद्यापरिषद् – अध्यक्ष
2- श्री विजय कुमार, सदस्य विद्यापरिषद् – सदस्य
3- उपकुलसचिव (परीक्षा)- सदस्यसंयोजक

2- विद्यापरिषद् ने परीक्षा समिति के उपर्युक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव संख्या-8 पर विचार व्यक्त करते हुये सदस्यों ने अधोलिखित मत व्यक्त किया-

(i) परिषद् के सदस्य प्रो॰व्यास मिश्र एवं प्रो॰आशुतोष मिश्र एवं प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह ने मांग की कि परीक्षा समिति के प्रस्ताव सं॰8 के अंतर्गत जिस जाँच रिर्पोट का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, उस जाँच रिर्पोट के संलग्नक को सदस्यों के पास प्रेषित किया जाय, जिससे सदस्यगण अध्ययन करने के पश्चात अपना मंतव्य प्रस्तुत कर सकें।

सदस्यों के उपर्युक्त मांग के संदर्भ में उपकुलसचिव (परीक्षा) ने विद्यापरिषद् को अवगत कराया कि परीक्षा समिति के समक्ष उपर्युक्त जाँच रिर्पोट से संदर्भित समस्त संलग्नक अभिलेख प्रस्तुत किया गया था और परीक्षा समिति के सभी उपस्थित सदस्यों ने समस्त अभिलेखों एवं जाँच रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ही अपनी संस्तुति की है।

(ii) प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी (शिक्षाशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष) ने प्रश्न किया कि परीक्षा सम्बन्धी रिकार्ड किसके कहने और किसके आदेश से जलाया गया? इस पर कुलपति ने उत्तर दिया कि प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी के भी कहने और सहमति से और उनकी जानकारी में कतिपय वर्तमान में स्थानाभाव के कारण अनुपयोगी परीक्षा के रिकार्ड, जलाये गये और परीक्षा समिति का इस पर निर्णय भी था। यह सब प्रो॰ तिवारी की जानकारी में है। प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी ने पुनः कहा कि बी॰एड॰ के जिन परीक्षा के कागजात जलाने के लिये मैने कहा था वे तो अभी भी बचे है इस पर कुलपति ने उत्तर दिया हो सकता है किसी कारण से अभी हो। इस पर प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह (शिक्षाशास्त्र विभागाध्यक्ष) ने पूछा कि 2004 में और 2011 में कौन-कौन से परीक्षा के अनुपयोगी रिकार्ड जलाये गये है और उनकी जानकारी परिषद् को अभी तक क्यों नही दी गयी है। इस पर कुलपति ने उत्तर दिया कि परीक्षा समिति जिन निर्णयों को विद्यापरिषद् में प्रस्तुत करने का औचित्य

समझती है, उसके निर्देश पर वही परीक्षा समिति का निर्णय विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत होता है। कुलपति ने कुलसचिव से अपेक्षा किया कि वे विद्यापरिषद् की अगली बैठक में समस्त विवरण प्रस्तुत करें।

(iii) परिषद् के सदस्य प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह ने परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.01.2014 में प्रो॰ शीतला प्रसाद उपाध्याय की दर्शन संकायाध्यक्ष के रूप में उपस्थिति पर भी आपत्ति व्यक्त की। जिस पर प्रो॰ उपाध्याय ने परिषद् को अवगत कराया कि दिनांक 23.01.2014 को दर्शन विभाग के संकायाध्यक्ष प्रो॰जयप्रकाश नारायण त्रिपाठी अवकाश पर थे और वे मुझे संकायाध्यक्ष का दायित्व सौंप कर गये थे। मैंने इसकी सूचना परीक्षा समिति की बैठक में कुलपति सहित समस्त सदस्यों को भी दी थी। कुलपति ने इस पर परीक्षा समिति को विचार करने के लिये कहा जिस पर सभी सदस्यों ने मुझे समिति के सदस्य के रूप में उपस्थित होने पर सहमति दी। परीक्षा समिति की उपर्युक्त बैठक में आपत्तिकर्त्ता सदस्य प्रो॰व्यास मिश्र प्रो॰ आशुतोष मिश्र एवं प्रो॰शारदा चतुर्वेदी भी उपस्थित थी।

इस पर कुलपति द्वारा पूछने पर आपत्तिकर्त्ता संकायाध्यक्ष प्रो॰व्यास मिश्र एवं प्रो॰आशुतोष मिश्र ने यह कहा कि हम लोगों ने परीक्षा समिति की बैठक में प्रो॰ उपाध्याय की उपस्थिति पर सहमति प्रदान की थी।

तत्पश्चात् विद्यापरिषद् के सदस्यों ने यह कहा कि जब परीक्षा समिति की बैठक में किसी सदस्य द्वारा आपत्ति नही व्यक्त की तो अब विद्यापरिषद् की बैठक में इस प्रकार की आपत्ति औचित्यहीन है।

(iv) परीक्षा समिति के प्रस्ताव सं॰-8 में की गयी संस्तुति पर प्रो॰ प्रेम नारायण सिंह ने आपत्ति व्यक्त करते हुए पुनः कहा कि जाँच समिति के सदस्य गण पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर रिर्पोट प्रस्तुत की है, इन्होनें समस्त तथ्यों का अवलोकन नही किया है। उक्त का विरोध विशेष रुप से, जाँच समिति के सदस्य जो डा॰पद्माकर मिश्र (निदेशक, प्रकाशन) जो कुलपति द्वारा परिषद् के समक्ष जाँच समिति का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाये गये थे, के सहित जाँच समिति के अन्य सदस्य एवं प्रो॰केदार नाथ त्रिपाठी ने किया और कहा कि तथ्यों के आधार पर रिर्पोट प्रस्तुत की गयी है न कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर।

तत्पश्चात् परिषद् के सदस्य प्रो॰प्रेम नारायण सिंह ने अधोलिखित प्रत्यावेदन परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जाँच समिति की रिर्पोट पर अप ानी आपत्ति व्यक्त की-

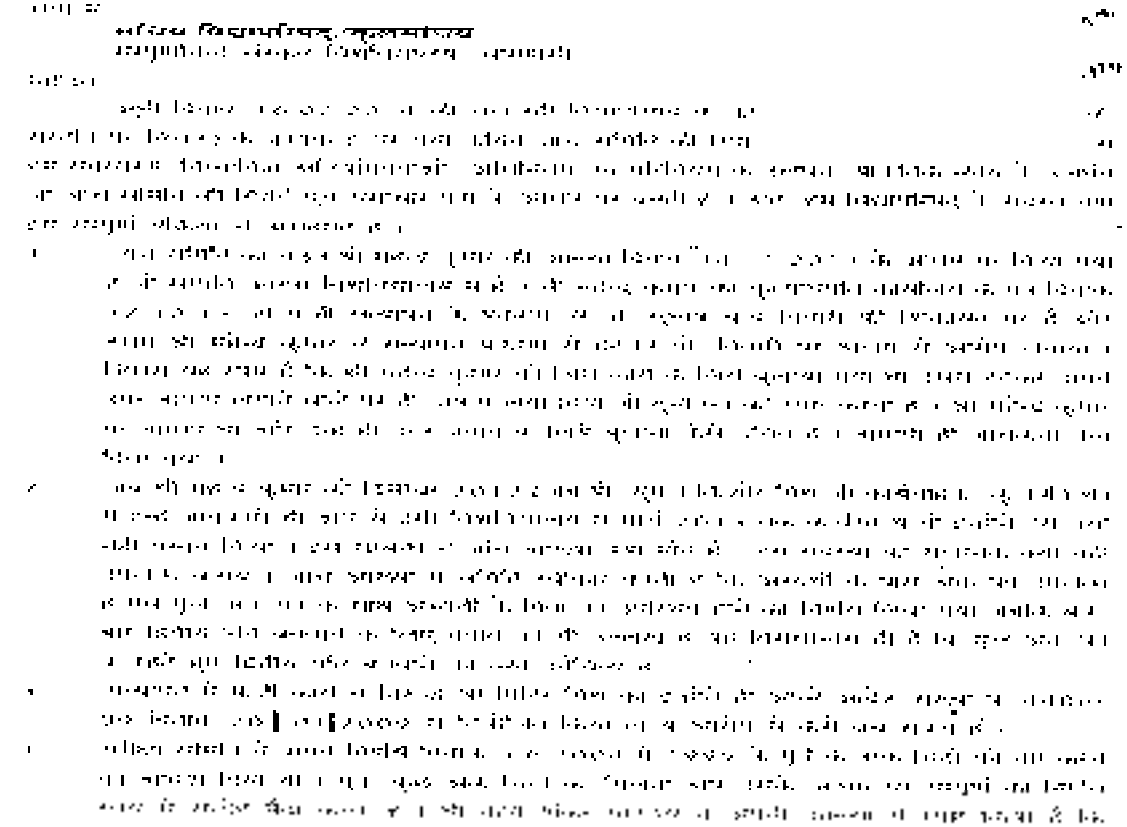

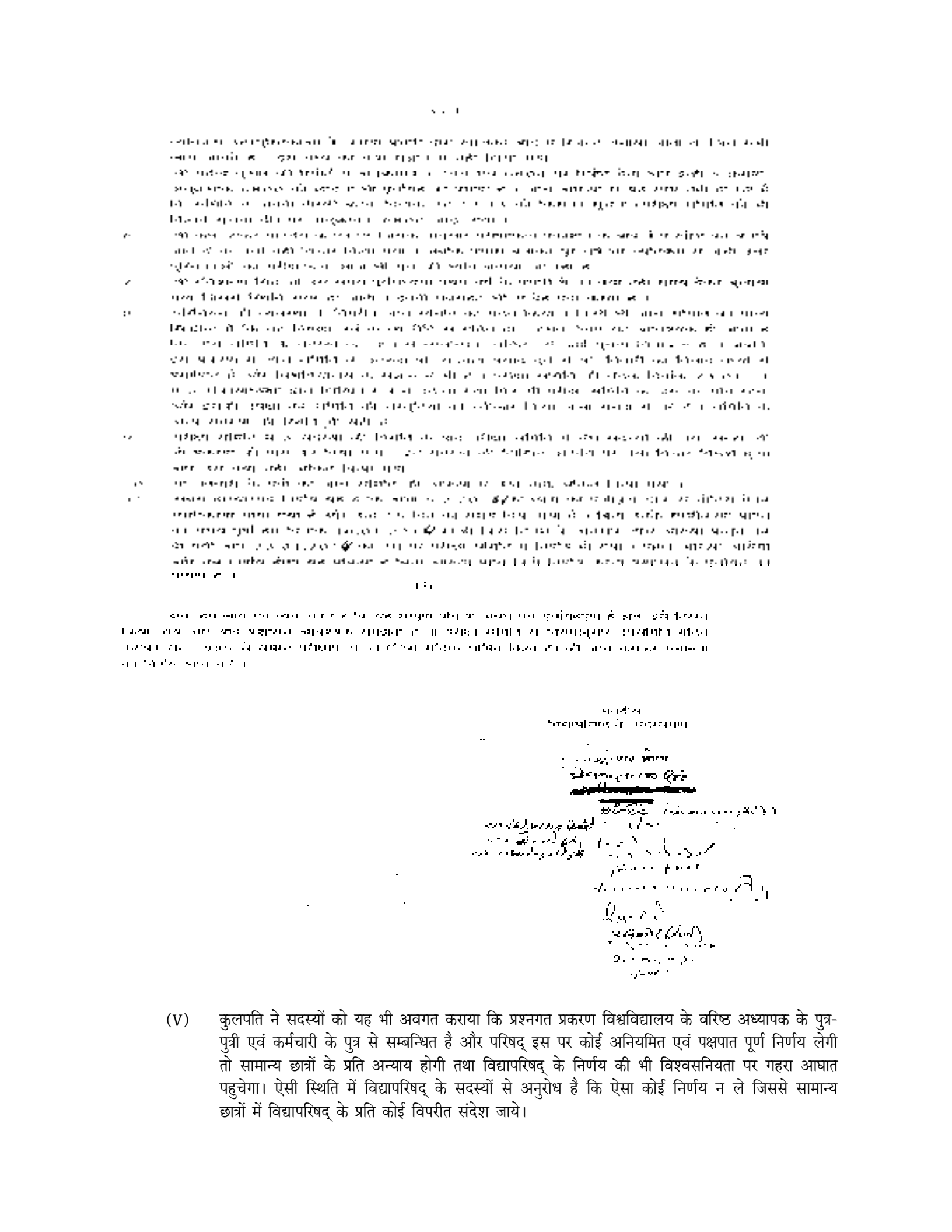

(V) कुलपति ने सदस्यों को यह भी अवगत कराया कि प्रश्नगत प्रकरण विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक के पुत्र-पुत्री एवं कर्मचारी के पुत्र से सम्बन्धित है और परिषद् इस पर कोई अनियमित एवं पक्षपात पूर्ण निर्णय लेगी तो सामान्य छात्रों के प्रति अन्याय होगी तथा विद्यापरिषद् के निर्णय की भी विश्वसनियता पर गहरा आघात पहुचेगा। ऐसी स्थिति में विद्यापरिषद् के सदस्यों से अनुरोध है कि ऐसा कोई निर्णय न ले जिससे सामान्य छात्रों में विद्यापरिषद् के प्रति कोई विपरीत संदेश जाये।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों पर विद्यापरिषद् ने विचार-विमर्श करते हुए निर्णय लिया कि-

यतः उपर्युक्त प्रकरण विश्वविद्यालय अध्यापक एवं कर्मचारी से सम्बन्धित है अतः परीक्षा समिति के प्रस्ताव सं०-8 में की गयी संस्तुतियों पर विचार करने से पूर्व, पूर्वमध्यमा प्रथम वर्ष-1996 के अनुक्रमांक 6799, 6800, 6804 के संदिग्ध परीक्षाफल की जाँच हेतु गठित समिति से प्राप्त संस्तुति तथा उसके परिप्रेक्ष्य में विद्यापरिषद् के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन को, दृष्टि में रखते हुए एक समिति गठित की जाय। समिति में विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष होगें। यह समिति जाँच समिति द्वारा अपने रिर्पोट में संलग्र किये गये अभिलेखों एवं पत्रजातों को देखेगी और उसकी रिर्पोट कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। समिति में सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख या सूचनायें प्रस्तुत करने एवं समिति की बैठक आहूत करने हेतु संयोजक कुलसचिव होंगें वे इसमें सहायक कुलसचिव (परीक्षा) श्री पन्नाराम या अन्य किसी से भी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।

समिति को यह भी निर्देशित किया जाय कि वे अपनी रिर्पोट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

कार्यक्रम संख्या-4- यू०जी०सी० विनियम-2009 के अंतर्गत निर्धारित बिन्दुओं को पूरा करने वाले पूर्व में उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारण पर पुर्न विचार।

विद्यापरिषद् के समक्ष कुलसचिव ने अवगत कराया कि दिनांक 22.10.2013 को विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष एवं वरिष्ठ आचार्यो की बैठक में यू०जी०सी० विनियम-2009 के अंतर्गत निर्धारित बिन्दुओं को पूरा करने वाले पूर्व में उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रमाण पत्र निर्गत करनेके सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारण का विचार किया गया। उक्त बैठक अधोलिखित कार्यवृत्त पस्तुत है-

उक्त कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कुलसचिव ने विद्यापरिषद् को अवगत कराया कि-

- विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.07.2013 में कार्यक्रम संख्या-2 के अन्तर्गत यू०जी०सी० शोध विनियम-2009 के अंतर्गत प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में विचार किया गया-

  विचार-विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् ने निर्णय लिया कि-

विद्यावारिधि (Ph.D.) उपाधि धारी छात्रों को यू०जी०सी० नियमन-2009 के अनुसार पी-एच०डी० होने की प्रक्रिया निर्धारण के लिए यू०जी०सी० कमीशन की बैठक में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत 10 में से 6 बिन्दुओं को पूर्ण करने वाले उपाधि धारियों को प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में परिषद् ने सम्यक विचार करने के बाद निर्णय लिया कि ऐसे उपाधि धारक छात्र अधोलिखित 10 बिन्दुओं में से 6 बिन्दु पूरे करते है उन्हे निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। आवेदन को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा यथा विधि प्रमाणित करते हुए कुलसचिव को संस्तुति की जाएगी। उक्त संस्तुति के आधार पर कुलसचिव द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 के अन्तर्गत शोध कार्य हेतु निर्धारित दस बिन्दु

1- विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पञ्जीकरण - सम्पूर्ण
2- शोध प्रारूप एवं शोध निर्देशक निर्धारण, अनुसन्धानोपाधि समिति द्वारा
3- न्यूनतम पूर्णकालिक शोध कालंश (शोध कार्य की न्यूनतम अवधि) - 2 वर्ष सम्पूर्ण
4- कोर्स वर्क (एक सेमेस्टर अवधि)
5- अर्धवार्षिक प्रगति पत्र प्रस्तुति एवं परीक्षण
6- परीक्षकों की संख्या तथा उनकी नियुक्ति की अनुसंधान प्रक्रिय पैनल में परीक्षक के नामों की न्यूनतम संख्या तथा परीक्षक पैनल की स्वीकृति अनुसंधानोपाधि समिति द्वारा।
7- प्री०सबमिशन सेमीनार
8- शोध प्रबन्ध प्रस्तुति के पूर्व विभाग तथा मान्य शोध पत्रिकायें शोध पत्र के प्रकाशन की अनिवार्यता
9- खुली मौखिक परीक्षा।
10- मुद्रित टंकित पी-एच०डी० शोध प्रबन्ध के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निरीक्षण हेतु साफ्ट (सी०डी०) प्रति की संस्तुति

- विद्यापरिषद् की उपर्युक्त संस्तुति पर कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांङ्क 20.07.2013 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी सूचनीय है कि विद्यापरिषद् की बैठक दिनांङ्क 27.08.2013 में कार्यक्रम संख्या-2 विद्यापरिषद् की बैठक दिनांङ्क 17.07.2013 एवं 18.07.2013 में लिये गये निर्णयों के क्रियांवयन की सूचना पर विचार करते हुए विद्यापरिषद् ने निर्देश दिया कि-

विद्यापरिषद् के समक्ष कुलसचिव ने विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 17.07.2013 एवं 18.07.2013 में लिये गये निर्णयों के क्रियांवयन रिर्पोट प्रस्तुत करते हुए सूचित किया कि दिनांक 16-17 जनवरी को सम्पन्न शिक्षाशास्त्र विभागीय अनुसंधानोपाधि समिति की बैठक में सर्व सम्मत से चयनित संवर्गवार सूची को विद्यापरिषद् के निर्णय दिनांक 18.07.2013 के अनुसार कुलपति जी द्वारा स्वीकार किया गया है।

क्रियांवयन रिर्पोट पर विचार करते हुए विद्यापरिषद् ने निर्देश दिया कि-

1- यू॰जी॰सी॰ शोध विनियम-2009 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन करने वाले शोध उपाधि धारक प्रत्यावेदको का प्रत्यावेदन शैक्षिक अनुभाग में प्रस्तुत किया जाएगा। शैक्षिक अनुभाग द्वारा सम्बन्धित शोध छात्र के शोध सम्बन्धी पत्रावली प्राप्त कर प्रत्यावेदन के साथ सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष द्वारा प्रत्यावेदन पर अपनी संस्तुति अंकित करते हुए प्रत्यावेदन एवं पत्रावली को शैक्षिक अनुभाग को प्रत्यावर्तित किया जाएगा। तत्पश्चात् विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष के संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में प्रमाण-पत्र कुलसचिव द्वारा निर्गत किया जाएगा।

- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2013 में यू॰जी॰सी॰ विनियम-2009 के अंतर्गत निर्धारित बिन्दुओं को पूरा करने वाले पूर्व में उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारण पर विचार के क्रम में कार्यपरिषद् को-

कार्यपरिषद् को कुलसचिव ने अवगत कराया कि प्रतिकुलपतिजी ने निर्देश दिया है कि दिनांक 20.10.2013 को विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष एवं वरिष्ठ आचार्यो की बैठक में यू॰जी॰सी॰ विनियम-2009 के अंतर्गत निर्धारित बिन्दुओं को पूरा करने वाले पूर्व में उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारण पर विचार किया गया है। उक्त बैठक का कार्यवृत्त कार्यपरिषद् में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

उक्त सूचना से अवगत होकर कार्यपरिषद् ने निर्देश दिया कि यू॰जी॰सी॰ विनियम-2009 के अंतर्गत निर्धारित बिन्दुओं को पूरा करने वाले पूर्व में उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में प्राप्त कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विचार-विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् ने निर्देश दिया कि- **यू॰जी॰सी॰ शोध विनियम-2009 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन करने वाले शोध उपाधि धारक प्रत्यावेदको का प्रत्यावेदन शैक्षिक अनुभाग में प्रस्तुत किया जाएगा। शैक्षिक अनुभाग द्वारा सम्बन्धित शोध छात्र के शोध सम्बन्धी पत्रावली प्राप्त कर प्रत्यावेदन के साथ सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष द्वारा प्रत्यावेदन पर अपनी संस्तुति निर्धारित दस बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में अंकित करते हुए प्रत्यावेदन एवं पत्रावली को शैक्षिक अनुभाग को प्रत्यावर्तित किया जाएगा। तत्पश्चात् विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष के संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में प्रमाण-पत्र कुलसचिव द्वारा निर्गत किया जाएगा।**

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।

कुलसचिव
सं.सं॰वि॰वि॰,वाराणसी

विद्या परिषद् की बैठक में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.01.2014 के प्रस्ताव संख्या-8 के अर्न्तगत गठित की गयी जाँच समिति को भी कार्यपरिषद् के निर्णय में अंकित कराये जाने हेतु कतिपय सदस्यों द्वारा पक्ष रखा गया और यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय अधिवक्ता की दिनांक 06.02.2014 के विधिक राय से स्पष्ट होता है कि कार्यवाही व्यक्तिगत द्वेष से अधिनियम की धारा 67 एवं 29 तथा परिनियम खण्ड 14.03 के विपरीत की गई है अतः वर्ष 1985 से 2008 तक की परीक्षा के सम्बन्ध में होने वाले निर्णय को समानता के आधार पर इस प्रकरण पर भी लागू किया जाये।

परिषद् को यह अवगत कराया गया कि- चूंकि कमेटी का गठन विद्यापरिषद् द्वारा किया गया था इसलिये जाँच समिति से जो आख्या प्राप्त होगी वह विद्या परिषद् में विचारार्थ प्रस्तुत की जायेंगी। तत्पश्चात् नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया जायेगा। अतः इस समय इस बिन्दू पर कार्यपरिषद् में निर्णय लेने का अवसर नही है।

अतः सर्वसम्मत्ति से यह निर्णय लिया गया कि जाँच समिति की जो रिर्पोट प्राप्त हो उसे विद्यापरिषद् की अगली बैठक में रखा जाय इस अभ्युक्ति के साथ कार्यपरिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 16.02.2014 की संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -5- प्रो॰ रजनीश कुमार शुक्ल की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत आचार्य पद पर प्रोन्नति की सूचना एवं अनुमोदन।

कार्यपरिषद् ने प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत आचार्य पद पर प्रोन्नति की सूचना से अवगत होते हुए उस पर अनुमोदन प्रदान किया साथ ही परिषद् प्रो. जितेन्द्र कुमार, प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी, प्रो. बीना श्रीवास्तव, प्रो. विनीता सिंह की भी कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत आचार्य पद पर प्रोन्नति की सूचना से अवगत होते हुए उस पर भी अनुमोदन प्रदान किया ।

कार्यक्रम संख्या -6- सम्बद्धता समिति के एक सदस्य को नामित करने पर विचार।

कुलसचिव ने कार्यपरिषद् को यह अवगत कराया कि विश्वविद्यालय परिनियम 12.11(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालय/विद्यालय की सम्बद्धता के लिए किसी आवेदन पत्र को कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने से पूर्व उसका परीक्षण सम्बद्धता समिति द्वारा किया जाता है, सम्बद्धता समिति में निम्न होते है-

क- कुलपति	- अध्यक्ष
ख- **कार्य परिषद् का एक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति**	- सदस्य
ग- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद से कम का न होगा।	- सदस्य
घ- निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उत्तर-प्रदेश या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो किसी राजकीय डिग्री कालेज के प्राचार्य के पद से कम का न होगा।	- सदस्य
ङ- कुलसचिव	- सदस्य, सचिव

उपर्युक्त के क्रम में 'ख' के परिप्रेक्ष्य में कार्यपरिषद् का एक नाम निर्दिष्ट सदस्य प्रो.गिरिजेश कुमार दीक्षित का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

अतः कार्यपरिषद् द्वारा एक सदस्य का नामित होना अपेक्षित है।

विचार-विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्वसम्मति से प्रो. सुवाष चन्द्र तिवारी, आचार्य , शिक्षा शास्त्र विभाग को विश्वविद्यालय परिनियम 12.11(1)(ख) के अंतर्गत सम्बद्धता समिति का सदस्य नामित किया साथ ही परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि नामित सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

कार्यक्रम संख्या -7- नवीन महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने पर विचार।

परिषद् को कुलसचिव ने अवगत कराया कि -

वर्ष 2008 से 2014 तक के अनेक मान्यता/सम्बद्धता के आवेदन लम्बित है। कुछ आवेदन पत्रों का परीक्षण होने के उपरान्त उनके पूर्ण होने की दशा में निरीक्षण मण्डल के गठन की कार्यवाही प्रस्तावित थी परन्तु कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25-10-2013 के निर्णय ''**विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों की संख्या अत्यधिक होने तथा उन पर विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रण पर्यवेक्षण में कठिनाई उत्पन्न होने के कारण नवीन मान्यता फार्मों की विक्रय तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाय तथा जिनका आवेदन पत्र पूर्ण हो कर प्राप्त हो चुके है उन पर मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही न की जाय तथा इसकी सूचना सम्बन्धित महाविद्यालयों को दे दी जाय। साथ ही मान्यता समिति ने यह निर्णय लिया कि जिन महाविद्यालयों द्वारा मान्यता हेतु आवेदन पत्र के साथ मान्यता शुल्क जमा किया गया है यदि महाविद्यालय चाहे तो निर्धारित प्रपत्र पूरित कर विश्वविद्यालय से मान्यता शुल्क वापस प्राप्त की कार्यवाही कर सकता है।**'' उक्त निर्णय के उपरान्त समस्त कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है।

कार्यपरिषद के निर्णय दिनांक 25-10-13 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय मे 3 याचिकायें लम्बित है। वर्तमान स्थिति यह है अनेक महाविद्यालयों द्वारा जो मान्यता आवेदन पत्र नियमानुसार पूर्ण कर कार्यालय को काफी समय पूर्व उपलब्ध करायें गये है वह लम्बित है। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी को मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने का अधिकार सम्पूर्ण भारत में है। इन आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु निर्णय लिया जाना उचित है

उपर्युक्त तथ्यों पर कार्यपरिषद् ने विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि-

यतः विश्वविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से कि गयी है कि विश्वविद्यालय संस्कृत पालि तथा प्रकृत विद्या एव अन्य सम्बद्ध विषयों जिसके अंतर्गत आयुर्वेद भी है, में शिक्षण की व्यवस्था करे तथा अनुसंधान कार्यो और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त भी व्यवस्था करें। इसी को दृष्टि में रखते हुए ही विश्वविद्यालय को मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने का अधिकार सम्पूर्ण भारत में है। ऐसी स्थिति में संस्कृत तथा प्राच्य विद्य के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिए किसी महाविद्यालय की स्थापना होती है तो उसको रोकना विश्वविद्यालय के उद्देश्य के विपरीत है अतः परिषद् सर्वसम्मति से कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2013 में लिये गये निर्णय को समाप्त करते हुए नवीन संस्कृत महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने एवं आवेदन पत्र विक्रय की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ किये जाने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करती है।

साथ ही परिषद् नवीन विद्यालयों/महाविद्यालयों को मान्यता हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक को दृष्टिगत कर मानक निर्धारित करने हेतु निम्न सदस्यों की एक समिति गठित करती है-

1- प्रो. सुवाष चन्द्र तिवारी

2- प्रो. केदार नाथ तिवारी

3- सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

उपर्युक्त समिति 15 दिन के अन्दर मानक निर्धारित करेगी।

कार्यक्रम संख्या -8- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 107 विद्यालयों/महाविद्यालयों को प्रदत्त अस्थायी मान्यता/सम्बद्धता को स्थायी करने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.10.2009 में लिये गये निर्णय पर पुर्नविचार।

(**A**) कुलसचिव ने परिषद के समक्ष 107 विद्यालयों/महाविद्यालयो की सूची प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि शासन के पत्र संख्या 3315/15-9-25(03)2007 दिनांक 13 अगस्त 2009 द्वारा शासन ने 304 विद्यालयों/महाविद्यालयों की सूची प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि उक्त विद्यालयों के स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में विवरण प्रेषित किया जाय। उक्त सूची के अन्तर्गत 107 विद्यालयों को अस्थायी मान्यता प्राप्त है, जिसके सम्बन्ध में शासन ने निर्देश दिया कि उक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान करने बाद ही अनुदान सूची में सम्मिलित किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में सूचनीय है कि माध्यमिक संस्कृत शिक्षा बोर्ड के गठन दिनांक 01 नवम्बर, 2000 के पश्चात तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश कि विद्यालयों को स्थायी मान्यता ही प्रदान की जा सकती है, सभी अस्थायी मान्यता

प्राप्त विद्यालयों की स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। उक्त सन्दर्भित 107 विद्यालयों/महाविद्यालयों की सम्बद्धता के स्थायीकरण का प्रकरण दिनांक 13-10-2009 की कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया गया कार्यपरिषद ने निम्न निर्णय दिया '' विचार विमर्श के अनन्तर परिषद ने सर्वसम्मति से उपर्युक्त विद्यालयों/महाविद्यालयों को पूर्व प्रदत अस्थायी मान्यता को स्थायीकरण करने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की''

उक्त के पश्चात कतिपय विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्रबन्धक, जनप्रतिनिधियों, कार्यपरिषद के पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13-10-2009 में लिए गये निर्णय में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि उक्त निर्णय में विद्यालय/महाविद्यालय को स्थायीकरण की तिथि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है इस कारण ऐसे पुराने 88 विद्यालय/महाविद्यालय जिनकी स्थायीकरण की अर्हता वर्ष 2000 के पूर्व की बनती है वे सरकारी अनुदान से वंचित हो रहे है। सन्दर्भित कार्यपरिषद की बैठक में उल्लखित 107 विद्यालय/महाविद्यालयों में से 19 की अस्थायी सम्बद्धता 2001 अथवा उसके बाद की दिखायी गयी है। अतः इनके स्थायी करण के विषय में कार्यपरिषद के उक्त निर्णय को ही कट आफ डेट माना जा सकता है।

क्र. सं.	विद्यालय नाम	मान्यता स्तर	मान्यता समिति	मान्यता क्रमांक	कार्यपरिषद	कार्यपरिषद क्रमांक	अर्हता
1	कान्यकुब्ज संस्कृत महाविद्यालय, सकरकन्दगली, वाराणसी	उ.म.	09-03-1991	162	13–03–1991	9/135	
2	संस्कृत ज्ञान मन्दिर माध्यमिक विद्यालय, पुरदिल हाथरस	उ.म.	16-08-1995	10	20–08–1995	10.5/9	
3	श्रीमती चन्द्रकली संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोडरिया, कुशीनगर	उ.म.	09-03-1991	94	10–03–1991	9/80	
4	श्री रामकृपाल बालिका संस्कृत महाविद्यालय डूडी, रानीपुर, मंझनपुर कौशाम्बी	पू.म.	29-07-1996	05	30–10–1996	14.6/05	
5	श्री बजरंगबली माध्यमिक संस्कृत शिक्षा संस्था, भुइली भदेवरा, जौनपुर	उ.म.	13-02-1991	72	10–03–1991	9/58	
6	श्री लालबहादुर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अगस्तपार देवरिया	उ.म.	09-03-1991	101	10–03–1991	9/86	
7	जनता संस्कृत विद्यालय नूरपुर सरायहाजी, मुबारकपुर, आजमगढ़	उ.म.	13-02-1991, 02-07-1991	44 व 194	10–08–1991	17/07	
8	सच्चिदानन्द संस्कृत विद्यालय सान्दियाबुजुर्ग, किशुनदेवपुर, कुशीनगर	उ.म.	13-02-1991	36	10–03–1991	9/34	
9	श्री राम संस्कृत उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, बतरडेरा, कुशीनगर	पू.म.	02-07-1991	196	10–08–1991	17/08	
10	श्री विनोद संस्कृत उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, खोजवां मिर्जामुराद, वाराणसी	उ.म.	09-03-1991	110	10–03–1991	09/93	
11	श्री परमानन्द संस्कृत उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, चॉदी, कोरॉव इलाहाबाद	उ.म.	13-02-1991	50	10–03–1991	9/42	
12	श्री उमाकान्त संस्कृत उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुर, पैतिहा, इलाहाबाद	उ.म.	13-02-1991	49	10–03–1991	9/41	
13	श्री केशव देशिक संस्कृत उत्तरमाध्यमिक विद्यालय, मोरी दारागंज, इलाहाबाद	उ. म.	13-02-1991	57	10–03–1991	9/48	
14	श्री गौरीशंकर संस्कृत उ.मा.वि., राजाबारी, ठूठीबारी, महराजगंज	उ. म.	09-03-1991	138	10–03–1991	9/113	
15	श्री पार्वती संस्कृत महाविद्यालय दोहरीघाट, मऊ शास्त्रीनगर	शास्त्री (ज्योतिष)	06-09-1992	20	13–09–1992	23/14	
16	बगलाम्बा पूर्व माध्यमिक संस्कृत महिला विद्यालय अस्सी वाराणसी	पू. म.	06-09-1992	16	13–09–1992	23/10	

17	आदर्श शंकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मरूई, वाराणसी	उ. म.	09-03-1991	156	10—03—1991	9/131	
18	श्री दुर्गाजी सं0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपराचन्द्रभान, देवरिया	पू. म.	24-01-1992	273	27—01—1992	23.5/26	
19	श्रीमती गुजराती देवी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय कोहरा, सुतावर, देवरिया	पू. म.	24-01-1992	272	27—01—1992	23क/25	
20	श्री दुर्गाजी उमाशंकर सं0 वि0, लक्ष्मीपुर, एकडंगा, महराजगंज	उ. म.	09-03-1991	139	10—03—1991	9/114	
21	देवीदत्त संस्कृत पाठशाला रावतपुर उन्नाव	पू. म.	29-08-1992	पुनः संचालित	13—09—1992	पुनः संचालित	
22	शिवबुढ़वा बाबा सं0 माध्यमिक विद्यालय, खैरीघाट बहराइच	पू. म.	29-08-1992	401 / 116	13—09—1992	23.14/31	
23	सवित्रीदेवी बालिका संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजापुर बैरिहवा बस्ती	पू. म.	29-08-1992	343 / 58	13—09—1992	23.14/18	
24	श्री बाबा गोपाल भारती माध्यमिक सं0 वि0 कोड़रीताल मनिकपुरकला प्रयागपुर बहराइच	पू. म.	06-09-1992	23	13—09—1992	23/16	
25	श्री सनातन देवीदास सं0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शुदनीपुर जौनपुर	उ. म.	06-09-1992	14	13—09—1992	23/08	
26	हीरा त्रिलोकी इन्द्रावती शान्ति सं0उ0मा0वि0 सोहरवलिया पुरन्दरपुर, महराजगंज	पू. म.	29-08-1992	350 / 65	13—09—1992	23/21	
27	श्री रामकृपाल त्रिपाठी सं0उ0मा0वि. भोगनमोजा खिवली कोरांव इलाहाबाद	पू. म.	29-08-1992	325 / 40	13—09—1992	23/12	
28	भगवान राधाकृष्ण मंदिर संस्कृत उ.मा. वि. लछिया कुशीनगर	पू. म.	09-06-1994	75	17—08—1994	11/32	
29	श्री विष्णु गिरिजादित्य सं0 मा0 वि0 गोपालपुर, सांगीपुर, प्रतापगढ़	पू. म.	23-02-1994	47	17—08—1994	11/17	
30	कमल नारायण पाण्डेय सं0 वि0 खजुरी, कोरांव इलाहाबाद	पू. म.	23-02-1994	38	17—08—1994	11/05	
31	पूर्वांचल प्राच्य वेद विद्यालय भरौली तारा रोड़ मझौली, देवरिया	उ. म.	09-03-1991	103	10—03—1991	9/88	
32	सुबास चन्द्र बोस संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ललितपुर लुदही मउ	पू. म.	09-06-1994	95	17—08—1994	11/40	
33	ज्ञानचन्द्र संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ताजुपुर हजपुरा अम्बेडकरनगर	पू. म.	23-02-1994	22	17—08—1994	11/02	
34	रामप्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमसिन फैजाबाद	उ. म.	23-02-1994	27	17—08—1994	11/04	
35	श्री सीताराम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बटौरा लोहांगी, गोण्डा	पू. म.	23-02-1994	15	17—08—1994	11/01	
36	सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेलवना, बाला पकौली, अम्बेडकरनगर	पू. म.	23-02-1994	26	17—08—1994	11/03	
37	श्री जगदीश चन्द्र संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेड़ा सिरौली फर्रूखाबाद	पू. म.	23-02-1994	53	17—08—1994	11/20	
38	श्री गर्ग संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, कैथल चन्दौसी, मुरादाबाद	पू. म.	16-08-1995	05	20—08—1995	11.05/05	
39	श्री बंशी लाल सिंह सं.वि. केशवपुर,	पू. म.	16-08-1995	04	20—08—1995	10.05/04	

	करछना, इलाहाबाद						
40	श्री रामजानकी शिव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय कैलाशबाग परसियाआलम, प्रयागपुर, बहराइच	पू. म.	23-02-1994	14	17—08—1994	11/09	
41	श्री सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,नरैली, चिउटीडाड़, मऊ	पू. म.	16-08-1995	01	20—08—1995	10.05/01	
42	श्री संस्कृत उच्चतर माध्यमिक, महलिया मोहब्बतपुर, शाहगढ़ आजमगढ़	पू. म.	09-06-1994	104	17—08—1994	11/41	
43	आदर्श संस्कृत कालेज, बल्लोच टोला जौनपुर	उ. म.	13-02-1991	75	10—03—1991	9/61	
44	डा0 भीमराव अम्बेडकर सं.उ.मा.वि. नवाबगंज, अटरामपुर इलाहाबाद	पू. म.	23-02-1994	45	17—08—1994	11/15	
45	सुन्दर दुबे संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अड्डाबाजार, महराजगंज	पू. म.	09-06-1994	91	17—08—1994	11/38	
46	दीप नारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हडियाडीह (बढुआ) वाराणसी	पू. म.	29-07-1996	16	30—10—1996	14.6/16	
47	बाबा साधवराम संस्कृत शिक्षा विकास महाविद्यालय, साधवगंज, बरसरा खालसा आजमगढ	पू. म.	09-06-1994	94	17—08—1994	11/29	
48	विन्ध्याचल संस्कृत विद्यालय, धरवरियासाथ, मऊ	पू. म.	29-07-1996	13	30—10—1996	14.6/13	
49	श्री ब्रह्मप्रणव योग चिन्तन संस्कृत विद्यालय, उमरछा, जौनपुर	पू. म.	29-08-1992	373 / 88	13—09—1992	23/26	
50	श्री पवनसुत संस्कृत विद्या मन्दिर, लखमीपुर उतरेपू, अम्बेडकरनगर	पू. म.	16-08-1995	12	20—08—1995	10.5/11	
51	कमलापति संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, बांगरसुर्द महौती, तुलसीपट्टी, सुल्तानपुर	पू. म.	29-07-1996	11	30—10—1996	14.6/11	
52	रामकृष्ण सं.मा.वि. पवॉरा, जौनपुर	पू. म.	09-03-1991	115	10—03—1991	9/95	
53	श्री श्रृंगी ऋषि महाराज संस्कृत विद्यालय, ढ़ाई शाहजहॉपुर	पू. म.	29-07-1996	07	30—10—1996	14.6/07	
54	लालामथुरा प्रसाद संस्कृत विद्यालय, जखिया शाहजहॉपुर	पू. म.	13-02-1996	02	08—04—1996	21.6/02	
55	श्रीमती रामदुलारी भारतीय कन्या संस्कृत उ.मा.वि. अगीयावीर, गड़ौली मीरजापुर	पू. म.	24-01-1992	283	27—01—1992	23क/16	
56	श्री श्रीकान्त प्राच्य शिक्षा सदन, पड़ाव गड़ौली मीरजापुर	पू. म.	24-01-1992	284	27—01—1992	23क/17	
57	महन्त रामकृपाल दास संस्कृत बालिका विद्यालय कल्याणपुर, छितौना टिकरी फैजाबाद	पू. म.	14-08-1997	06	22—08—1997	17.03/	
58	आचार्य बदरीनाथ शुक्ल स्मारक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय डुमरिया बुजुर्ग सिद्धार्थनगर	उ. म.	10-02-2001	11	11—02—2001	10	
59	श्री हरिशंकर संस्कृत महाविद्यालय, किशुनदासपुर आजमगढ़	पू. म.	16-08-1995	15	20—08—1995	10.5/14	
60	श्री बाबा नागेश्वर आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोनाडीह अमिला मऊ	पू. म.	29-07-1996	12	30—10—1996	14.6/12	
61	श्री विष्णुजी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहगढ़ महालिया आजमगढ़	पू. म.	29-07-1996	14	30—10—1996	14.6/14	

62	सरस्वती बालिका सं.म.वि. शिवपुर विलवना, वाला पैकौली अम्बेडकरनगर	शास्त्री (साहित्स व्याकरण)	14-08-1997	04	22—08—1997	17/04	
63	सूर्यनारायण रामदास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आशाजीतपुर बेनीपुर अम्बेडकरनगर	उ. म.	27-04-2000	12	11—02—2001	22	
64	नारायण सं.उ.मा.वि. कुशगढ़ करछना इलाहाबाद	पू. म.	18-11-1996	01	22—08—1997	17/01	
65	महर्षि दयानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय धोलिया डेहरियावॉ सुल्तानपुर	पू. म.	29-07-1996	02	30—10—1996	14.6/02	
66	स्वामी प्रेमाश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय तिरवा खास कन्नौज	पू. म.	29-07-1996	08	30—10—1996	14.6/08	
67	भवानी श्रीराम संस्कृत विद्यालय सेवाश्रम, भवानी छापर खुखुन्दु देवरिया	पू. म.	29-08-1992	361 / 76	13—09—1992	23.14/17	
68	आचार्य चन्द्रदेव मणि माध्यमिक संस्कृत विद्यालय भैसहीं बालवरगंज, जौनपुर	पू. म.	09-06-1994	147	17—08—1994	11/54	
69	राम प्रताप संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, अतरौरा रामबाबा अम्बेडकरनगर	पू. म.	09-06-1994	128	17—08—1994	11/49	
70	श्री विचारदास संस्कृत शिक्षा परिषद् टापर शाहजहॉपुर	पू. म.	24-01-1992	262	27—01—1992	23क/10	
71	त्रिपाठी रामस्वरूप सं. वि. कौशाम्बी	उ. म.	02-12-1998	08	30—12—1998	18/08	
72	सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय, गुरवट चोलापुर वाराणसी	शास्त्री (सा. ,व्या.)	02-12-1998	07	30—12—1998	18/07	
73	श्री राम बल्लभ शरण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नान्दी, तौरा चित्रकूट	पू. म.	2-12-1998	14	30—12—1998	18/12	
74	साहब दयाल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मधुपुर मिरलनपुर अम्बेडकरनगर	पू. म.	09-06-1994	130	17—08—1994	11/54	
75	श्री मटुक प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुशींपुर रेही मीरजापुर	उ. म.	13-02-1991	81	10—03—1991	9/67	
76	श्री मथुरा प्रसाद सं. मा. वि. भगसेर कोरांव इलाहाबाद	पू. म.	23-02-1994	46	17—08—1994	11/16	
77	श्रीमती लक्ष्मी देवी सं. पा. अकथा श्रीनगर कालोनी पहड़िया वाराणसी	उ. म.	10-02-2001	07	11—02—2001	06	
78	जोखन सिंह संस्कृत महविद्यालय, गौरा बेलवॉ मड़ियाहूँ जौनपुर	उ. म.	27-04-2000	08	11—02—2001	17	
79	मॉ विन्ध्यवासिनी महिला संस्कृत उ. मा. विद्यालय नया महादेव राजघाट वाराणसी	उ. म.	27-04-2000	19	11—02—2001	29	
80	धर्मचक्रविहार अन्तर्राट्रिय मूल बौद्ध शिक्षा संस्थान मवईया सारनाथ वाराणसी	शास्त्री (पालि, बौद्ध.)	27-04-2000	20	11—02—2001	30	
81	श्री युगल किशोर सनातन धर्म उ.मा. वि. किंधौरा लखगंज गोण्डा	उ. म.	27-04-2000	06	11—02—2001	15	
82	महर्षि शाण्डिल्य संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुमरी खरवनिया, देवरिया	उ. म.	10-02-2001	06	11—02—2001	11/5	
83	विमलादेवी स्मारक संस्कृत माध्यमिक	पू. म.	23-02-1994	23	17—08—1994	11/11	

	विद्यालय, बिडहर अम्बेडकरनगर						
84	श्री रामानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भिउर अहरौली अम्बेडकरनगर	पू. म.	13-02-1996	04	08–04–1996	21.6/4	
85	श्री कर्मा देवी मनीराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खेमापुर भगोला सोनावां अम्बेडकरनगर	पू. म.	13-02-1996	05	08–04–1996	21.6/5	
86	श्रीमती कैलाशवती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय तिन्दवारी बॉदा	उ. म.	13-02-1991	12	10–03–1991	9/10	
87	लोकमान्य तिलक महारानी सं.उ.मा. लाक्षागृह हंडिया इलाहाबाद	उ. म.	23-02-1994	44	17–08–1994	11/14	
88	श्री दुर्गाजी पूर्व माध्यमिक संस्कृत विद्यालय जैसोली पिपरा उत्तर पट्टी देवरिया	पू. म.	29-07-1996	15	30–10–1996	14.6/15	
89	हषीकेश संस्कृत उ.मा.वि. मिक्कीपुर गाजीपुर	उ. म.	10-02-2001	04	11–02–2001	11/3	
90	श्री बाबा महावीर दास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौलताबाद सदर आजमगढ़	उ.म.			11–02–2001	11/31	
91	श्री सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोहीसरन, भदोही	उ.म.	13-11-1999	10	11–02–2001	11/10	
92	गुरूजी माध्यमिक संस्कृत विद्यालय बनकटवा रघुनाथपुर बस्ती	उ.म.	10-02-2001	03	11–02–2001	11/2	
93	किसान संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भैरीपुर महबूबगंज फैजाबाद	उ.म.	02-12-1998	06	30–12–1998	18/6	
94	चन्द्रशेखर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय नौहलिया, बन्दनपुर, फैजाबाद	उ.म.	27-04-2000	09	11–02–2001	11/18	
95	श्री कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाबूसलार, भरौली हुसेपुर, आजमगढ़	उ.म.	02-12-1998	03	30–12–1998	18/03	
96	श्री कालिकाधाम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरूँ वाराणसी	पू. म.	02-12-1998	12	30–12–1998	18/10	
97	श्रीमती विद्यादेवी उ.मा.सं.वि. दसौती मेजा इलाहाबाद	उ.म.	13-11-1999	01	11–02–2001	11/01	
98	राधिका संस्कृत महाविद्यालय, लखनीपुर जौनपुर	उ.म.	10-02-2001	05	11–02–2001	11/04	
99	सर्वोदय सं. आश्रम बालैनी बागपत	उ.म.	02-12-1998	01	30–12–1998	18/01	
100	राधाकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजयपुर, संतरविदासनगर, भदोही	उ.म.	13-11-1999	04	11–02–2001	11/04	
101	श्री शिवशंकर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोसिया संतरविदासनगर, भदोही	उ.म.	27-04-2000	3	11–02–2001	11/13	
102	गुरूकुल आश्रम उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय सेक्टर–डी, जानकीपुरम, लखनऊ	उ.म.	02-12-1998	17	11–02–2001	11/20	
103	श्री रामानन्द आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हनुमतकुंज, रामानन्दनगर, रमणरेती मार्ग वृन्दावन, मथुरा	पू. म.	23-02-1994	05	17–08–1994	11/07	
104	श्रीमती नोहरा देवी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रूकनुद्दीनपुर सरदहा, आजमगढ़	उ.म.	02-12-1998	04	30–12–1998	18/04	
105	पं. श्री श्याम बिन्दा प्रसाद सं. महाविद्यालय, मोइनद्दीनपुर	शास्त्री (सा. व्या.)	29-08-1992	329/44	13–09–1992	23.14/15	

	कोड़ावसराय, अमेला इलाहाबाद (कौशाम्बी)						
106	श्रीमती सोनमती देवी सं. इण्टर कालेज परसौना कोल्हुई, महराजगंज	उ.म.	27-04-2000	13	11–02–2001	23	
107	श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी स्मारक संस्कृत विद्यापीठ/विद्यालय, भटहीखुर्द, कुशीनगर	पू. म.	24-01-1992	279	27–01–1992	23क/21	

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिन 88 विद्यालयों को वर्ष 2000 से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किया गया है और जिनकी सूची निम्नवत है, उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम 2000 के गठन सम्बन्धी अधिसूचना की तिथि 1 नवम्बर 2000 से पूर्व की दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 से स्थायी मान्यता की तिथि निर्धारित करते हुए स्थायी मान्यता मानते हुए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.10.2009 में लिये गये निर्णय का स्पष्टीकरण किया जाय।

क्र. सं.	विद्यालय नाम	मान्यता स्तर	मान्यता समिति	मान्यता क्रमांक	कार्यपरिषद	कार्यपरिषद क्रमांक	अर्हता
1	कान्यकुब्ज संस्कृत महाविद्यालय, सकरकन्दगली, वाराणसी	उ.म.	09-03-1991	162	13–03–1991	9/135	
2	संस्कृत ज्ञान मन्दिर माध्यमिक विद्यालय, पुरदिल हाथरस	उ.म.	16-08-1995	10	20–08–1995	10.5/9	
3	श्रीमती चन्द्रकली संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोडरिया, कुशीनगर	उ.म.	09-03-1991	94	10–03–1991	9/80	
4	श्री रामकृपाल बालिका संस्कृत महाविद्यालय डूडी, रानीपुर, मंझनपुर कौशाम्बी	पू.म.	29-07-1996	05	30–10–1996	14.6/05	
5	श्री बजरंगबली माध्यमिक संस्कृत शिक्षा संस्था, भुइली भदेवरा, जौनपुर	उ.म.	13-02-1991	72	10–03–1991	9/58	
6	श्री लालबहादुर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अगस्तपार देवरिया	उ.म.	09-03-1991	101	10–03–1991	9/86	
7	जनता संस्कृत विद्यालय नूरपुर सरायहाजी, मुबारकपुर, आजमगढ़	उ.म.	13-02-1991, 02-07-1991	44 व 194	10–08–1991	17/07	
8	सच्चिदानन्द संस्कृत विद्यालय सान्दियाबुजुर्ग, किशुनदेवपुर, कुशीनगर	उ.म.	13-02-1991	36	10–03–1991	9/34	
9	श्री राम संस्कृत उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, बतरडेरा, कुशीनगर	पू.म.	02-07-1991	196	10–08–1991	17/08	
10	श्री विनोद संस्कृत उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, खोजवां मिर्जामुराद, वाराणसी	उ.म.	09-03-1991	110	10–03–1991	09/93	
11	श्री परमानन्द संस्कृत उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, चॉदी, कोरॉव इलाहाबाद	उ.म.	13-02-1991	50	10–03–1991	9/42	
12	श्री उमाकान्त संस्कृत उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुर, पैतिहा, इलाहाबाद	उ.म.	13-02-1991	49	10–03–1991	9/41	
13	श्री केशव देशिक संस्कृत	उ. म.	13-02-1991	57	10–03–1991	9/48	

	उत्तरमाध्यमिक विद्यालय, मोरी दारागंज, इलाहाबाद						
14	श्री गौरीशंकर संस्कृत उ.मा.वि., राजाबारी, ठूठीबारी, महराजगंज	उ. म.	09-03-1991	138	10—03—1991	9/113	
15	श्री पार्वती संस्कृत महाविद्यालय दोहरीघाट, मऊ शास्त्रीनगर	शास्त्री (ज्योतिष)	06-09-1992	20	13—09—1992	23/14	
16	बगलाम्बा पूर्व माध्यमिक संस्कृत महिला विद्यालय अस्सी वाराणसी	पू. म.	06-09-1992	16	13—09—1992	23/10	
17	आदर्श शंकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मरूई, वाराणसी	उ. म.	09-03-1991	156	10—03—1991	9/131	
18	श्री दुर्गाजी सं0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपराचन्द्रभान, देवरिया	पू. म.	24-01-1992	273	27—01—1992	23.5/26	
19	श्रीमती गुजराती देवी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय कोहरा, सुतावर, देवरिया	पू. म.	24-01-1992	272	27—01—1992	23क/25	
20	श्री दुर्गाजी उमाशंकर सं0 वि0, लक्ष्मीपुर, एकडंगा, महराजगंज	उ. म.	09-03-1991	139	10—03—1991	9/114	
21	देवीदत्त संस्कृत पाठशाला रावतपुर उन्नाव	पू. म.	29-08-1992	पुनः संचालित	13—09—1992	पुनः संचालित	
22	शिवबुढ़वा बाबा सं0 माध्यमिक विद्यालय, खैरीघाट बहराइच	पू. म.	29-08-1992	401 / 116	13—09—1992	23.14/31	
23	सवित्रीदेवी बालिका संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजापुर बैरिहवा बस्ती	पू. म.	29-08-1992	343 / 58	13—09—1992	23.14/18	
24	श्री बाबा गोपाल भारती माध्यमिक सं0 वि0 कोड़रीताल मनिकपुरकला प्रयागपुर बहराइच	पू. म.	06-09-1992	23	13—09—1992	23/16	
25	श्री सनातन देवीदास सं0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शुदनीपुर जौनपुर	उ. म.	06-09-1992	14	13—09—1992	23/08	
26	हीरा त्रिलोकी इन्द्रावती शान्ति सं0उ0मा0वि0 सोहरवलिया पुरन्दरपुर, महराजगंज	पू. म.	29-08-1992	350 / 65	13—09—1992	23/21	
27	श्री रामकृपाल त्रिपाठी सं0उ0मा0वि. भोगनमोजा खिवली कोरांव इलाहाबाद	पू. म.	29-08-1992	325 / 40	13—09—1992	23/12	
28	भगवान राधाकृष्ण मंदिर संस्कृत उ. मा.वि. लछिया कुशीनगर	पू. म.	09-06-1994	75	17—08—1994	11/32	
29	श्री विष्णु गिरिजादित्य सं0 मा0 वि0 गोपालपुर, सांगीपुर, प्रतापगढ़	पू. म.	23-02-1994	47	17—08—1994	11/17	
30	कमल नारायण पाण्डेय सं0 वि0 खजुरी, कोरांव इलाहाबाद	पू. म.	23-02-1994	38	17—08—1994	11/05	
31	पूर्वांचल प्राच्य वेद विद्यालय भरौली तारा रोड़ मझौली, देवरिया	उ. म.	09-03-1991	103	10—03—1991	9/88	
32	सुबास चन्द्र बोस संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ललितपुर लुदही मउ	पू. म.	09-06-1994	95	17—08—1994	11/40	
33	ज्ञानचन्द्र संस्कृत उच्चतर	पू. म.	23-02-1994	22	17—08—1994	11/02	

	माध्यमिक विद्यालय, ताजुपुर हजपुरा अम्बेडकरनगर						
34	रामप्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमसिन फैजाबाद	उ. म.	23-02-1994	27	17—08—1994	11/04	
35	श्री सीताराम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बटौरा लोहांगी, गोण्डा	पू. म.	23-02-1994	15	17—08—1994	11/01	
36	सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेलवना, बाला पकौली, अम्बेडकरनगर	पू. म.	23-02-1994	26	17—08—1994	11/03	
37	श्री जगदीश चन्द्र संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेड़ा सिरौली फर्रूखाबाद	पू. म.	23-02-1994	53	17—08—1994	11/20	
38	श्री गर्ग संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, कैथल चन्दौसी, मुरादाबाद	पू. म.	16-08-1995	05	20—08—1995	11.05/05	
39	श्री बंशी लाल सिंह सं.वि. केशवपुर, करछना, इलाहाबाद	पू. म.	16-08-1995	04	20—08—1995	10.05/04	
40	श्री रामजानकी शिव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय कैलाशबाग परसियाआलम, प्रयागपुर, बहराइच	पू. म.	23-02-1994	14	17—08—1994	11/09	
41	श्री सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,नरैली, चिउटीडाड़, मऊ	पू. म.	16-08-1995	01	20—08—1995	10.05/01	
42	श्री संस्कृत उच्चतर माध्यमिक, महलिया मोहब्बतपुर, शाहगढ़ आजमगढ़	पू. म.	09-06-1994	104	17—08—1994	11/41	
43	आदर्श संस्कृत कालेज, बल्लोच टोला जौनपुर	उ. म.	13-02-1991	75	10—03—1991	9/61	
44	डा0 भीमराव अम्बेडकर सं.उ.मा.वि. नवाबगंज, अटरामपुर इलाहाबाद	पू. म.	23-02-1994	45	17—08—1994	11/15	
45	सुन्दर दुबे संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अड्डाबाजार, महराजगंज	पू. म.	09-06-1994	91	17—08—1994	11/38	
46	दीप नारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हडियाडीह (बढुआ) वाराणसी	पू. म.	29-07-1996	16	30—10—1996	14.6/16	
47	बाबा साधवराम संस्कृत शिक्षा विकास महाविद्यालय, साधवगंज, बरसरा खालसा आजमगढ	पू. म.	09-06-1994	94	17—08—1994	11/29	
48	विन्ध्याचल संस्कृत विद्यालय, धरवरियासाथ, मऊ	पू. म.	29-07-1996	13	30—10—1996	14.6/13	
49	श्री ब्रह्मप्रणव योग चिन्तन संस्कृत विद्यालय, उमरछा, जौनपुर	पू. म.	29-08-1992	373 / 88	13—09—1992	23/26	
50	श्री पवनसुत संस्कृत विद्या मन्दिर,	पू. म.	16-08-1995	12	20—08—1995	10.5/11	

	लखमीपुर उतरेपू, अम्बेडकरनगर						
51	कमलापति संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, बांगरसुर्द महौती, तुलसीपट्टी, सुल्तानपुर	पू. म.	29-07-1996	11	30—10—1996	14.6/11	
52	रामकृष्ण सं.मा.वि. पवॉरा, जौनपुर	पू. म.	09-03-1991	115	10—03—1991	9/95	
53	श्री श्रृंगी ऋषि महाराज संस्कृत विद्यालय, ढ़ाई शाहजहॉपुर	पू. म.	29-07-1996	07	30—10—1996	14.6/07	
54	लालामथुरा प्रसाद संस्कृत विद्यालय, जखिया शाहजहॉपुर	पू. म.	13-02-1996	02	08—04—1996	21.6/02	
55	श्रीमती रामदुलारी भारतीय कन्या संस्कृत उ.मा.वि. अगीयावीर, गड़ौली मीरजापुर	पू. म.	24-01-1992	283	27—01—1992	23क/16	
56	श्री श्रीकान्त प्राच्य शिक्षा सदन, पड़ाव गड़ौली मीरजापुर	पू. म.	24-01-1992	284	27—01—1992	23क/17	
57	महन्त रामकृपाल दास संस्कृत बालिका विद्यालय कल्याणपुर, छितौना टिकरी फैजाबाद	पू. म.	14-08-1997	06	22—08—1997	17.03/	
58	श्री हरिशंकर संस्कृत महाविद्यालय, किशुनदासपुर आजमगढ़	पू. म.	16-08-1995	15	20—08—1995	10.5/14	
59	श्री बाबा नागेश्वर आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोनाडीह अमिला मऊ	पू. म.	29-07-1996	12	30—10—1996	14.6/12	
60	श्री विष्णुजी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहगढ़ महालिया आजमगढ़	पू. म.	29-07-1996	14	30—10—1996	14.6/14	
61	सरस्वती बालिका सं.म.वि. शिवपुर विलवना, वाला पैकौली अम्बेडकरनगर	शास्त्री (साहित्स व्याकरण)	14-08-1997	04	22—08—1997	17/04	
62	नारायण सं.उ.मा.वि. कुशगढ़ करछना इलाहाबाद	पू. म.	18-11-1996	01	22—08—1997	17/01	
63	महर्षि दयानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय धोलिया डेहरियावॉ सुल्तानपुर	पू. म.	29-07-1996	02	30—10—1996	14.6/02	
64	स्वामी प्रेमाश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय तिरवा खास कन्नौज	पू. म.	29-07-1996	08	30—10—1996	14.6/08	
65	भवानी श्रीराम संस्कृत विद्यालय सेवाश्रम, भवानी छापर खुखुन्दु देवरिया	पू. म.	29-08-1992	361 / 76	13—09—1992	23.14/17	
66	आचार्य चन्द्रदेव मणि माध्यमिक संस्कृत विद्यालय भैसहीं बालवरगंज, जौनपुर	पू. म.	09-06-1994	147	17—08—1994	11/54	
67	राम प्रताप संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, अतरौरा रामबाबा अम्बेडकरनगर	पू. म.	09-06-1994	128	17—08—1994	11/49	
68	श्री विचारदास संस्कृत शिक्षा परिषद् टापर शाहजहॉपुर	पू. म.	24-01-1992	262	27—01—1992	23क/10	
69	त्रिपाठी रामस्वरूप सं. वि. कौशाम्बी	उ. म.	02-12-1998	08	30—12—1998	18/08	
70	सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय,	शास्त्री	02-12-1998	07	30—12—1998	18/07	

	गुरवट चोलापुर वाराणसी	(सा.,व्या.)					
71	श्री राम बल्लभ शरण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नान्दी, तौरा चित्रकूट	पू. म.	2-12-1998	14	30—12—1998	18/12	
72	साहब दयाल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मधुपुर मिरलनपुर अम्बेडकरनगर	पू. म.	09-06-1994	130	17—08—1994	11/54	
73	श्री मटुक प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुशींपुर रेही मीरजापुर	उ. म.	13-02-1991	81	10—03—1991	9/67	
74	श्री मथुरा प्रसाद सं. मा. वि. भगसेर कोरांव इलाहाबाद	पू. म.	23-02-1994	46	17—08—1994	11/16	
75	विमलादेवी स्मारक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, बिडहर अम्बेडकरनगर	पू. म.	23-02-1994	23	17—08—1994	11/11	
76	श्री रामानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भिउर अहरौली अम्बेडकरनगर	पू. म.	13-02-1996	04	08—04—1996	21.6/4	
77	श्री कर्मा देवी मनीराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खेमापुर भगोला सोनावां अम्बेडकरनगर	पू. म.	13-02-1996	05	08—04—1996	21.6/5	
78	श्रीमती कैलाशवती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय तिन्दवारी बॉदा	उ. म.	13-02-1991	12	10—03—1991	9/10	
79	लोकमान्य तिलक महारानी सं.उ.मा. लाक्षागृह हंडिया इलाहाबाद	उ. म.	23-02-1994	44	17—08—1994	11/14	
80	श्री दुर्गाजी पूर्व माध्यमिक संस्कृत विद्यालय जैसोली पिपरा उत्तर पट्टी देवरिया	पू. म.	29-07-1996	15	30—10—1996	14.6/15	
81	किसान संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भैरीपुर महबूबगंज फैजाबाद	उ.म.	02-12-1998	06	30—12—1998	18/6	
82	श्री कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाबूसलार, भरौली हुसेपुर, आजमगढ़	उ.म.	02-12-1998	03	30—12—1998	18/03	
83	श्री कालिकाधाम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरूँ वाराणसी	पू. म.	02-12-1998	12	30—12—1998	18/10	
84	सर्वोदय सं. आश्रम बालैनी बागपत	उ.म.	02-12-1998	01	30—12—1998	18/01	
85	श्री रामानन्द आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हनुमतकुंज, रामानन्दनगर, रमणरेती मार्ग वृन्दावन, मथुरा	पू. म.	23-02-1994	05	17—08—1994	11/07	
86	श्रीमती नोहरा देवी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रूकनुद्दीनपुर सरदहा, आजमगढ़	उ.म.	02-12-1998	04	30—12—1998	18/04	
87	पं. श्री श्याम बिन्दा प्रसाद सं. महाविद्यालय, मोइनद्दीनपुर कोड़ावसराय, अमेला इलाहाबाद (कौशाम्बी)	शास्त्री (सा.व्या.)	29-08-1992	329 / 44	13—09—1992	23.14/15	

88	श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी स्मारक संस्कृत विद्यापीठ / विद्यालय, भटहीखुर्द, कुशीनगर	पू. म.	24-01-1992	279	27–01–1992	23क/21	

शेष 19 विद्यालय जिनकी अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता कार्यपरिषद् में 31 अक्टूबर 2000 के पश्चात् प्रदान की गई थी जबकि उनमें से कुछ को वर्ष 1999 में अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता की प्रमाण पत्र जारी हुये थे, उन्हें अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता की तिथि से स्थायी करने का विचार कतिपय माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया। उक्त प्रस्ताव पर कार्यपरिषद् के सचिव एवं अन्य अधिकारियों ने यह अवगत कराया कि समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में शासनादेश के अनुरूप अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है तथा पाठ्यक्रम की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर स्थायी सम्बद्धता के मानक के परिप्रेक्ष्य में स्थायी सम्बद्धता दिये जाने का नियम है। इस सन्दर्भ में कुछ सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत स्थायी सम्बद्धता ही दिये जाने के निर्देश है अतः जिस तिथि से अस्थायी सम्बद्धता दी गई है उसी तिथि से स्थायी सम्बद्धता मान्य की जाय।

इस स्थिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अस्थायी सम्बद्धता/ स्थायी सम्बद्धता के विषय में विद्यमान शासनादेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अवलोकन कर वैधानिक स्थिति को देखते हुये इन विद्यालयों के स्थायीकरण की तिथि निर्धारित की जाय। जिनकी सूची अधोलिखित है-

क्र. सं.	विद्यालय नाम	मान्यता स्तर	मान्यता समिति	मान्यता क्रमांक	कार्यपरिषद	कार्यपरिषद क्रमांक	अर्हता
1	आचार्य बदरीनाथ शुक्ल स्मारक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय डुमरिया बुजुर्ग सिद्धार्थनगर	उ. म.	10-02-2001	11	11–02–2001	10	
2	सूर्यनारायण रामदास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आशाजीतपुर बेनीपुर अम्बेडकरनगर	उ. म.	27-04-2000	12	11–02–2001	22	
3	श्रीमती लक्ष्मी देवी सं. पा. अकथा श्रीनगर कालोनी पहड़िया वाराणसी	उ. म.	10-02-2001	07	11–02–2001	06	
4	जोखन सिंह संस्कृत महविद्यालय, गौरा बेलवॉ मड़ियाहूँ जौनपुर	उ. म.	27-04-2000	08	11–02–2001	17	
5	मॉ विन्ध्यवासिनी महिला संस्कृत उ. मा. विद्यालय नया महादेव राजघाट वाराणसी	उ. म.	27-04-2000	19	11–02–2001	29	
6	धर्मचक्रविहार अन्तर्राट्रिय मूल बौद्ध शिक्षा संस्थान मवईया सारनाथ वाराणसी	शास्त्री (पालि, बौद्ध.)	27-04-2000	20	11–02–2001	30	
7	श्री युगल किशोर सनातन धर्म उ.मा. वि. किंधौरा लखगंज गोण्डा	उ. म.	27-04-2000	06	11–02–2001	15	
8	महर्षि शाण्डिल्य संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुमरी खरवनिया, देवरिया	उ. म.	10-02-2001	06	11–02–2001	11/5	
9	हषीकेश संस्कृत उ.मा.वि. मिक्कीपुर गाजीपुर	उ. म.	10-02-2001	04	11–02–2001	11/3	
10	श्री बाबा महावीर दास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौलताबाद सदर आजमगढ़	उ.म.			11–02–2001	11/31	
11	श्री सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोहीसरन, भदोही	उ.म.	13-11-1999	10	11–02–2001	11/10	

12	गुरूजी माध्यमिक संस्कृत विद्यालय बनकटवा रघुनाथपुर बस्ती	उ.म.	10-02-2001	03	11–02–2001	11/2	
13	चन्द्रशेखर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय नौहलिया, बन्दनपुर, फैजाबाद	उ.म.	27-04-2000	09	11–02–2001	11/18	
14	श्रीमती विद्यादेवी उ.मा.सं.वि. दसौती मेजा इलाहाबाद	उ.म.	13-11-1999	01	11–02–2001	11/01	
15	राधिका संस्कृत महाविद्यालय, लखनीपुर जौनपुर	उ.म.	10-02-2001	05	11–02–2001	11/04	
16	राधाकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजयपुर, संतरविदासनगर, भदोही	उ.म.	13-11-1999	04	11–02–2001	11/04	
17	श्री शिवशंकर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोसिया संतरविदासनगर, भदोही	उ.म.	27-04-2000	3	11–02–2001	11/13	
18	गुरूकुल आश्रम उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय सेक्टर–डी, जानकीपुरम, लखनऊ	उ.म.	02-12-1998	17	11–02–2001	11/20	
19	श्रीमती सोनमती देवी सं. इण्टर कालेज परसौना कोल्हुई, महराजगंज	उ.म.	27-04-2000	13	11–02–2001	23	

(B) परिषद् को अवगत कराया गया कि - माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका सं. 3321/2014 (M/S) नेताजी सुभाष सं. वि. कण्डरूपूरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा उ.प्र. बनाम कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी व अन्य में दिनांक 01-08-2014 को यह आदेश निर्गत किया कि कुलसचिव सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी प्रार्थी के प्रत्यावेदन, निर्णय की सत्यापित प्रति के साथ प्राप्त होने पर 2 माह के अन्दर निस्तारित करें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 1-08-2014 के समादर में कुलसचिव द्वारा दिनांक 14-11-2014 को प्रत्यावेदन, यह उल्लखित करते हुए निस्तारित किया गया कि इस विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेश से अग्रिम कार्यपरिषद् की बैठक में निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा।

नेताजी सुभाष सं. वि. कण्डरूपूरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा उ.प्र. को मान्यता समिति की बैठक दिनांक 02-12-98 एवं कार्यपरिषद की बैठक 30-12-98 में उत्तरमध्यमा की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13-10-2009 में 107 अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता का स्थायीकरण प्रथम चरण में पूर्ण किया गया। अस्थायी मान्यता प्राप्त अनेक माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता का स्थायीकरण अद्यतन नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत महाविद्यालय द्वारा क्षुब्ध होकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 3321/(M/S)/2014 दाखिल की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में नेताजी सुभाष सं. वि. कण्डरूपूरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा उ.प्र. की अस्थायी मान्यता के स्थायी करने (तिथि सहित) पर विचारार्थ प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नेताजी सुभाष सं. वि. कण्डरूपूरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा उ.प्र को वर्ष 2000 से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किया गया है अतः इस विद्यालय को भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम 2000 के गठन सम्बन्धी अधिसूचना की तिथि 1 नवम्बर 2000 से पूर्व की दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 से स्थायी मान्यता की तिथि निर्धारित करते हुए स्थायी मान्यता प्रदान की जाय।

कार्यक्रम संख्या -9- शासन के पत्र सं॰502/15-9-13-25(24)/2012, दिनांङ्क 6 अकटूबर, 2013 द्वारा प्राप्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय, खुर्जा, बुलन्दशहर की मान्यता समाप्ति के सम्बन्ध में विचार।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि-

उपसचिव उ॰प्र॰ शासन के पत्र संख्या-502/15-19-13-25(24)/2012, दिनांक 28 जून, 2013 एवं समसंख्यक अनुस्मारक दिनांक 6 अक्टूबर, 2013 (संलग्न) एवं शासन के आदेश सं॰261स/15-9-12-25(24)/2012, दिनांक 4 सितम्बर, 2012 के अनुसार राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय, खुर्जा, बलन्दशहर को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान रोक दिया गया है एवं नियमों के विरूद्ध श्री नरेश चन्द्र द्विवेदी, कार्यवाहक प्राचार्य का आदेश हुआ है। का॰ प्राचार्य श्री नरेश चन्द्र द्विवेदी द्वारा त्यागपत्र दिया जा चुका है वर्तमान में कोई भी शिक्षक इस महाविद्यालय में कार्यरत नही है एवं विगत तीन वर्षो (2012,2013 व 2014) की वार्षिक परीक्षा हेतु परीक्षावेदन पत्र भी प्राप्त नही हुए है।

सम्बद्धता मान्यता जाँच समिति द्वारा दिनांक 31.03.2012 को प्रस्तुत सूची में इस विद्यालय को प्रायः बन्द मानकर मान्यता सूची से पृथक किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय परिनियम 12.31 के अनुसार ''किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त समझी जायेगी, यदि वह लगातार तीन वर्षो तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा में कोई अभ्यर्थी न भेजे।''

उपरोक्त स्थिति में विश्वविद्यालय परिनियम 12.31 के अनुसार इस महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त हो चुकी है कृपया औपचारिक रूप से सम्बद्धता समाप्ति का आदेश कार्यपरिषद् से अपेक्षित है।

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद् ने निर्देश दिया कि मान्यता समाप्त करने से पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय को एक कारण बताओं नोटिस इस आशय से प्रेषित किया जाय कि, क्यो नही महाविद्यालय की मान्यत उपर्युक्त कारणों से समाप्त कर दी जाय। नोटिस के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय का उत्तर प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाय।

कार्यक्रम संख्या -10- श्री गुलाब हरि संस्कृत महाविद्यालय, वृन्दावन,मथुरा के वर्ष 2014-15 से पूर्व स्वीकृत आचार्य परीक्षा के विषय (साहित्य, व्याकरण) की मान्यता की पुष्टि एवं प्रवेश प्रतिबन्ध निराकरण पर विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि-

श्री गुलाब हरि सं.म.वि. वृन्दावन मथुरा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त असहायिक महाविद्यालय है जो विश्वविद्यालय परिनियम एवं अधिनियम में विहित शर्तों के अधीन संचालित है।

2- उक्त महाविद्यालय सत्र 2012 वर्षीय परीक्षा में कदाचार का दोषी पाये जाने के फलस्वरुप परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27-6-2012 की संस्तुति पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14-10-2012 के निर्णयानुसार महाविद्यालय पर भेजे गये स्थलीय जांच हेतु निरीक्षण मण्डल की आख्या ''**प्रबन्धक की संलिप्तता प्रमाणित है।**''

उपरोक्त के आलोक में जांच समिति का निर्णय ''**प्रबन्ध समिति को भंग करके जिला प्रशासन/सक्षम अधिकारी एवं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के देखरेख में प्रबन्ध समिति का गठन**

कराने तथा प्राचार्य एवं अध्यापकों की विधिवत नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न कराने एवं तब तक महाविद्यालय में प्रवेश प्रतिबन्धित रखने की संस्तुति प्रदान की।''

3- महाविद्यालय के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20-1-2013 को स्वीकार कर लिया गया तथा निर्देश दिया गया कि ''**महाविद्यालय में नियमानुसार व्यवस्था होने तक कोई भी नवीन शास्त्री एवं आचार्य में प्रवेश प्रतिबन्धित रखने की संस्तुति करती है।**''

उक्त के आलोक में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 2-9-13 द्वारा डॉ. पद्माकर मिश्र, विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा के संयुक्त पर्यवेक्षकत्व में महाविद्यालय के नियमावली के अनुसार चुनाव सम्पन्न कराने हेतु आदेशित किया गया जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा की देखरेख में प्रबन्धतन्त्र का चुनाव सम्पादित किया गया।

प्रबन्धतन्त्र अनुमोदनार्थ प्रपत्रों को प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 25-9-13 को आदेश दिया गया कि ''**इस प्रकरण पर जॉच करते हुए विस्तार से विवरण प्रस्तुत करें क्योंकि प्रकरण अति संदेहास्पद है।**'' उक्त आदेश के अनुपालन में कृत जॉच के दौरान दो नोटशीट पत्रावली में प्राप्त हुए (संलग्न) जिससे निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये।

1- कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30-12-98 द्वारा आचार्य व्याकरण एवं साहित्य की मान्यता एवं सम्बद्धता स्वीकृत हुई परन्तु सूची में आचार्य व्याकरण एवं शास्त्री की मान्यता का उल्लेख हो गया जबकि आचार्य व्याकरण साहित्य होना चाहिए उक्त का संशोधन आदेश अपेक्षित है।

2- इस सम्बन्ध में सहायक कुलसचिव (प्रशासन) से पूछकर सम्बद्धता के प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु लिखा गया।

3- तत्कालीन उपकुलसचिव सम्बद्धता द्वारा दिनांक 5-4-99 का (A) अंश आचार्य व्याकरण, साहित्य की मान्यता संशोधन आदेश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

4- उक्त प्रस्ताव को तत्कालीन कुलपति द्वारा दिनांक 5-4-99 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।

5- तत्कालीन कुलसचिव द्वारा आदेश प्रसारित कराते हुए आगामी कार्यपरिषद में सूचनार्थ प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया।

6- प्रकरण कार्यपरिषद में उपस्थापित किया गया अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं है।

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 25-9-13 के अनुपालन में प्रकरण की विस्तृत जांच के दौरान जो दो नोटसीट प्राप्त हुई उसका पूर्व विवरण उपर वर्णित है।

उक्त महाविद्यालय को वास्तव में आचार्य व्याकरण साहित्य की मान्यता थी किन्तु साहित्य विषय के मान्यता का संशोधन कार्यपरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत नहीं हो पाया यह संशोधन तत्कालीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार किया गया।

अतएव प्रश्नगत महाविद्यालय को आचार्य व्याकरण, साहित्य की मान्यता मान्य करते हुए दिनांक 31-3-12 की सूची में संशोधन हेतु आदेश अपेक्षित है। प्रबन्धतन्त्र अनुमोदनार्थ प्रपत्र कार्यपरिषद के आदेश दिनांक 20-1-13 के अनुपालन में प्राप्त हो चुके है एवं दिनांक 21-1-14 को प्रबन्धतन्त्र कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित हो चुका है।

अतः पूर्व स्वीकृत विषय साहित्य, व्याकरण में आचार्य पर्यन्त मान्यता पर विचार करना अपेक्षित है। एवं 2014-15 से प्रथम वर्ष प्रवेश प्रतिबन्ध समाप्त करने पर विचारार्थ प्रस्तुत है।

परिषद् उपर्युक्त तथ्यों से अवगत होते हुए निर्देश दिया कि सम्बन्धित महाविद्यालय के संदर्भ में यह परीक्षण कर लिया जाय कि महाविद्यालय में वर्ष 1999 से अभी तक वहाँ किस पाठ्यक्रम की

परीक्षाए होती रही यदि अन्यथा स्थिति नही है तो सम्बन्धित महाविद्यालय की मान्यता आचार्य व्याकरण, शास्त्री के स्थान पर आचार्य व्याकरण, साहित्य मान्य किया जाय। और इसकी सूचना कार्यपरिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

कार्यक्रम संख्या -11- अन्य विश्वविद्यालयों से व्याकरण विषय के साथ शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को इस विश्वविद्यालय में नव्य व्याकरण विषय से आचार्य परीक्षा में प्रवेश पर विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि श्री विवेक कुमार त्रिपाठी नाम के छात्र जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण होकर इस विश्वविद्यालय में आचार्य प्रथम वर्ष नव्य व्याकरण विषय में सत्र 2014-15 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। छात्र का प्रवेश विभाग द्वारा इस आधार पर रोक दिया गया कि, वह शास्त्री परीक्षा व्याकरण विषय से उत्तीर्ण था, तथा विद्यापरिषद् के निर्णय के अनुसार अन्य विश्वविद्यालय से व्याकरण विषय में उत्तीर्ण छात्र नव्य व्याकरण विषय में प्रवेश हेतु अर्हता नही रखता है। सम्बन्धित छात्र का प्रकरण प्रवेश समिति में भी प्रस्तुत किया गया। प्रवेश समिति ने छात्र के प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिया कि छात्र का ''नव्य व्याकरण में प्रवेश लेते हुए विधिवत कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु कुलसचिव द्वारा किया जाय। छात्र का प्रवेश अभी भी अनिर्णित है। अतः कार्यपरिषद् का निर्देश इस पर अपेक्षित है।

उपर्युक्त छात्र के आवेदन पत्र तथा सम्पूर्ण तथ्यो पर विचार करते हुए तथा छात्र हित में कार्य परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि यतः छात्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री व्याकरण विषय लेकर उत्तीर्ण है, उस विश्वविद्यालय में व्याकरण विषय का वर्गीकरण प्राचीन व्याकरण एवं नव्य व्याकरण विषय के रूप में नही है। अतः विशेष स्थिति में सम्बन्धित छात्र का योग्यता प्रमाणित करने के लिए निम्न दो सदस्यों की एक समिति गठित की जाय। समिति छात्र की योग्यता का परीक्षण करके छात्र के आचार्य प्रथम वर्ष नव्यव्याकरण विषय में प्रवेश हेतु अपनी संस्तुति करेगी, तथा संस्तुति के आधार पर छात्र के प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय एवं इस प्रकरण को भविष्य के लिए दृष्टांत न समझा जाय-

1- प्रो॰ केदार नाथ त्रिपाठी
2- प्रो॰ हरिप्रसाद अधिकारी

कार्यक्रम संख्या -12- महिला छात्रावास में सिद्धान्ततः छात्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास का विस्तार मानते हुए आवंटित करने पर विचार।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के सीमांतीय प्रदेश के छात्रों ने प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि दिनांक 28.01.2014 को छात्रसंघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर विचार करते हुए सहमति हुई थी कि - 'महिला छात्रावास में सिद्धान्ततः छात्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावास का विस्तार मानते हुए आवंटित किया जाय। अतएव सीमांतीय प्रदेश के छात्रों को उक्त छात्रावास आंवटित किया जाय।

परिषद् को उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में सीमांत प्रदेशीय एवं विदेशी छात्रों के लिए एक छात्रावास पूर्व से है। महिला छात्रावास आवंटन हेतु छात्राएं भी उत्सुक है।

उपर्युक्त पर विचार-विमर्श करते हुए परिषद् ने छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष को निर्देश दिया कि इस आशय की एक विज्ञप्ति जारी करें कि महिला छात्रावास हेतु विश्वविद्यालय की जो छात्राएं उत्सुक है वे अपना आवेदन पत्र दस दिन के अन्दर प्रस्तुत करें। छात्राओं के आवदेन प्राप्त होने के पश्चात् छात्राओं को नियमानुसार आंवटित किया जाय। साथ ही परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि महिला छात्रावास हेतु प्रतिपालक एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय और महिला छात्रावास को पुरूष छात्रावास में परिवर्तित न किया जाय क्योंकि उक्त छात्रावास उसी नाम (महिला छात्रावास) से ही प्राप्त अनुदान से निर्मित है।

परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय स्थित सामुदायिक भवन से पी.ए.सी. को हटाया जाय तथा उसे विश्वविद्यालय के विदेशी छात्रों को छात्रावास के रूप में आंवटित किया जाय।

कार्यक्रम संख्या -13- अवैध रूप से आवासित कर्मचारियों पर लगाये गये अर्थदण्ड पर विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि आवास आवंटन समिति ने अपनी बैठक दिनांक 13.02.2014 में चतुर्थ श्रेणी आवास में अवैध रूप से आवासित श्री रघुनाथ राम (नै.लिपिक), श्री विष्णु शाही (परिचारक), श्री सुरेश यादव (परिचारक), श्री परशुराम उपाध्याय (परिचारक), श्री विरेन्द्र कुमार (परिचारक, प्रेस) को अधोलिखित शर्त्तो के साथ आवास आंवटित किया था।

1- इन कर्मचारियों से अगस्त 2010 से आवास किराया, जलकर, विद्युतकर एवं आवास भत्ता की कटौती की जाएगी। यह कटौती फरवरी देय मार्च, 2014 के वेतन से बकाये की वसूली तथा वर्तमान नियमानुसार कटौती एक साथ की जायेगी।

2- इन कर्मचारियों से फरवरी देय मार्च 2014 के वेतन रू.1000/- अर्थदण्ड के रूप में कटौती की जायेगी।

आवास आंवटन समिति द्वारा लगाये गये रू.1000/- अर्थदण्ड माफ करने हेतु कर्मचारियों ने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।

उपर्युक्त पर विचार के क्रम में परिषद् के कई सदस्यों ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के कई आवासों में अनिधिकृत रुप से कब्जा करके कई कर्मचारी अभी भी आवासित है। अतः सबके साथ एक समान निर्णय किया जाय।

विचार-विमर्श के अनन्तर परिषद् ने निर्णय लिया कि आवास आवंटन समिति द्वा निर्धारित अर्थदण्ड सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली की जाय तथा जो अन्य कर्मचारी अनाधिकृत रुप से विश्वविद्यालय का आवास कब्जा कर, आवासित है उन्हे चिन्हित करने के लिए तथा उनके विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही हेतु संस्तुति करने के लिए निम्न सदस्यों की एक समिति गठित की जाय।

1- प्रो. आशुतोष मिश्र
1- डा. ललित कुमार चौबे
3- श्री एस.एन.सिंह, उपकुलसचिव (समाज कल्याण)

यह समिति अद्यतन स्थिति तक की रिर्पोट प्रस्तुत करेंगी।

कार्यक्रम संख्या -14- बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के छात्रों को टी॰सी॰ देने के सम्बन्ध में प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17.04.2014 की संस्तुति पर विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने अपनी बैठक दिनांक 17.04.2014 में निर्णय लिया कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के छात्रों को टी॰सी॰ देने से सम्बन्धित बिन्दु पर प्रवेश समिति ने नियमानुसार विभाग द्वारा ही टी॰सी॰ निर्गत किया जाय तथा इसके लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा छात्र पंजिका विधिवत पूरी करने एवं सभी अभिलेख विभाग में सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा। साथ ही कार्यपरिषद् के भी इस पर सहमति प्राप्त कर ली जाय।

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्वसम्मति से प्रवेश समिति के उपर्युक्त निर्णय पर अपनी सहमति प्रदान की।

❖ अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार ।

1- सड़क चौड़ीकरण के तहत चौकाघाट स्थित बस स्टैण्ड के सामने से सड़क के समानान्तर विश्वविद्यालय की चारदीवारी को 5 मीटर पीछे शिफ्ट कर नयी चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण के पत्र - पत्रांक 546/वि॰प्रा॰/नि॰/2014-15, दिनांक 06.01.2015 पर विचार।

परिषद् के समक्ष, सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण का अधोलिखित पत्र विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रेषक,

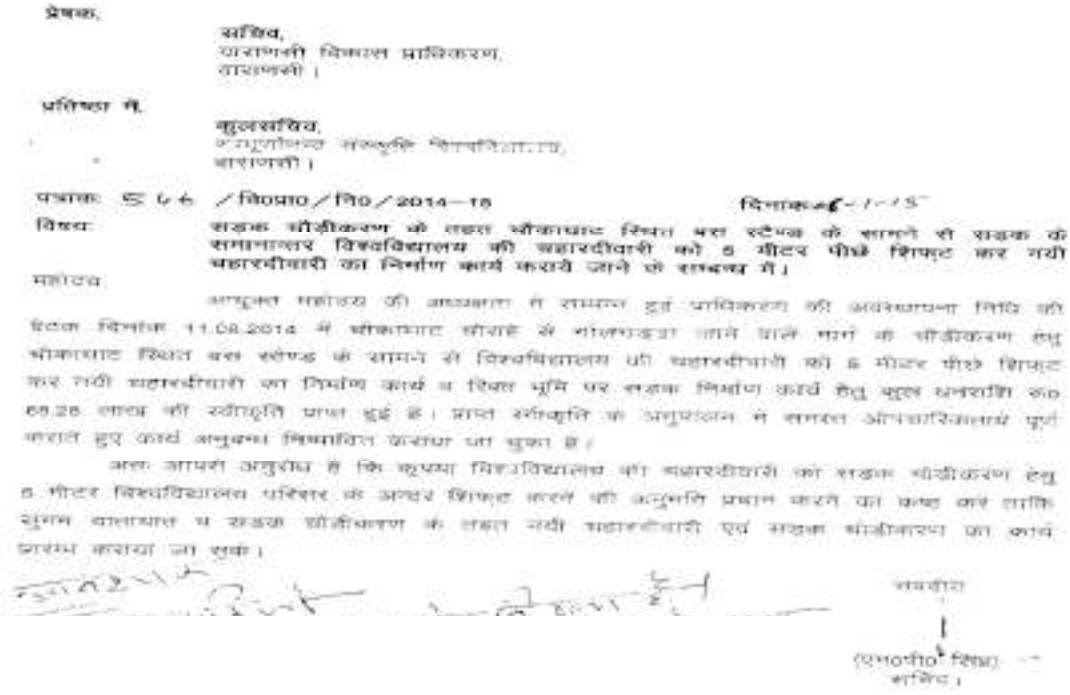

सचिव,
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

प्रतिष्ठा में,

कुलसचिव,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

पत्रांक 546 /वि0प्रा0/नि0/2014-15 दिनांक 6-1-15

विषय: सड़क चौड़ीकरण के तहत चौकाघाट स्थित बस स्टैण्ड के सामने से सड़क के समानान्तर विश्वविद्यालय की चहारदीवारी को 5 मीटर पीछे शिफ्ट कर नयी चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई प्राधिकरण की अवस्थापना निधि की बैठक दिनांक 11.08.2014 में चौकाघाट चौराहे से [illegible] जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण हेतु चौकाघाट स्थित बस स्टैण्ड के सामने से विश्वविद्यालय की चहारदीवारी को 5 मीटर पीछे शिफ्ट कर नयी चहारदीवारी का निर्माण कार्य व रिक्त भूमि पर सड़क निर्माण कार्य हेतु कुल धनराशि रू0 69.28 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए कार्य अनुबन्ध निष्पादित कराया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय की चहारदीवारी को सड़क चौड़ीकरण हेतु 5 मीटर विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर शिफ्ट करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि सुगम यातायात व सड़क चौड़ीकरण के तहत नयी चहारदीवारी एवं सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रारम्भ कराया जा सके।

भवदीय

(एस0पी0 सिंह)
सचिव।

परिषद् ने सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण के पत्र पत्रांक 546/वि॰प्रा॰/नि॰/2014-15, दिनांक 06.01.2015 पर गहन विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चूंकि प्राच्य विद्या के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दृष्टि से इस संस्था की स्थापना की गयी है, संस्था के विकास की दृष्टि से विभिन्न सोपानों से होते हुए विश्वविद्यालय के रूप में व्यवस्थित है। इस विश्वविद्यालय में छात्रावास की कमी है, जिसके निर्माण हेतु प्रयास किया जा रहा है, अन्य कई नये पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रक्रिया चल रही है तथा भविष्य में विस्तार की कई योजनायें प्रक्रियाधीन है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को स्वयं अतिरिक्त भूमि की आवाश्यकता है। विश्वविद्यालय की चाहरदीवारी को 5 मीटर शिफ्ट करने से चाहरदीवारी के पीछे स्थित छात्रावास एवं दानदाताओं द्वारा विश्वविद्यालय को इस आधार पर प्रदत्त भूमि कि उसमें स्थित प्राचीन देवालयों का विश्वविद्यालय द्वारा संरक्षण सुनिश्चित किया जाय, का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और जन आक्रोश उत्पन्न हो जायेगा। अतः विश्वविद्यालय की चाहरदीवारी को सड़क चौड़ीकरण हेतु 5 मीटर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर शिफ्ट करने की अनुमति प्रदान न की जाय। कार्यपरिषद् प्रशासन के इस प्रस्ताव पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है और यह भी निर्णय लेती है कि इसकी रिर्पोट शासन एवं राजभवन को भी भेजी जाये कि जिला प्रशासन द्वारा उ॰प्र॰राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 21(2) का उल्लघंन करके निर्णय लिया गया है और विश्वविद्यालय को भेजा गया है।

2- प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा, दिनांक 30.11.2014 को प्रस्तुत पत्र पर विचार।

परिषद् के समक्ष प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह, सदस्य कार्यपरिषद् का अधोलिखित पक्ष दिनांक 30.11.2014 प्रस्तुत किया-

Prof. P.N. Singh

प्रतिलिपि —

प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह के प्रस्ताव पर कार्यपरिषद् ने गहनतापूर्वक विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में खाली पड़े जमीनो एवं भवनो के उपयोग हेतु एक डेवलेपमेण्ट मास्टर प्लान प्रस्तुत करने के लिए निम्न सदस्यों की एक समिति गठित की जाये-

1- प्रो॰ रमेश कुमार द्विवेदी
2- प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह
3- प्रो॰ व्यास मिश्र
4- अभियंता - सदस्य /सचिव

3- सारस्वती सुषमा के परामर्शदातृ-मण्डल के गठन पर विचार।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिनियम 2.10(2) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालयीय अनुसंधान पत्रिका ''सारस्वती सुषमा'' के परामर्शदातृ सम्पादन मण्डल का गठन निम्न रुप में किया।

1- कुलपति - अध्यक्ष
2- समस्त संकायाध्यक्ष -सदस्य
3- निदेशक अनुसंधान संस्थान -सम्पादक
4- वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष - संयोजक

4- प्रेस मैनेजर, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रत्यावेदन दिनांक 09.01.2015 पर विचार।

परिषद् के समक्ष प्रेस मैनेजर का अधोलिखित प्रत्यावेदन दिनांक 09.01.2015 विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

सेवा में,

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी

महोदय,

1- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, मुद्रण की स्थापना 1963 में एक अनुभाग के रूप में हुई और प्रेस के संचालन हेतु अधोलिखित 19 पदो का सृजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया-

1- प्रेस मैनेजर -1	2- सहायक लेखाकार -1
3- प्रूफ रीडर -2	4- कापी होल्डर -2
5- कार्यालय सहायक -1	6- फोर मैन -1
7- कम्पोजीटर -4	8- मशीन मैन -2
9- दफ्तरी -2	10- चौकीदार -1
11- परिचारक -1	12- स्वीपर -1

कुल 19

2- समय समय पर विश्वविद्यालय एवं प्रदेश अन्य कर्मचारियों के साथ प्रेस के कार्मिको का वेतन पुनरीक्षित होता रहा है, जिसके अधोलिखित शासनादेश विश्वविद्यालय के अभिलेख में उपलब्ध है-

1- शासनादेश सं॰ ग (क) 3825 ख/पन्द्रह/-46(29) 1967, दिनांक 13, 1968।
2- शासनादेश सं॰ शिक्षा (10)/112/15-15-45(15)/73, दिनांक 27 मार्च, 1974।
3- शासनादेश सं॰ 2579/15(15)-8-46(44)/81, दिनांक 31 जुलाई, 1982।
4- शासनादेश सं॰394/पन्द्रह/15/-5/89, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989।

3- 1963 में जारी शासनादेश विश्वविद्यालय में उपलब्ध नही हो पा रहा है, जिसको विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने अपने पत्र सं॰सा॰3082/2010, दिनांक 09.05.2010 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है और उस सूचना के आधार पर शासन ने अपने स्तर से पद सृजन की संख्या आदि का सत्यापन वेतन पुनरीक्षण का शासनादेश निर्गत किया है, जो क्रम सं॰ 2 से प्रमाणित है।

4- विश्वविद्यालय सेवा में शासनादेश सं॰ 6895/15(15)-1983-46(7)182, दिनांक 24 जनवरी, 1984 से पेन्शनरी घोषित किया तबसे विश्वविद्यालय प्रेस में पेन्शन स्कीम लागू है। 1996 में जारी शासनादेश के अन्तर्गत कुछ कार्मिकों ने अपने विकल्प पत्र प्रस्तुत किया और उसी आधार पर उन्हें भी पेन्शन का लाभ प्राप्त हुआ।

5- उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण अनुदान को वर्ष 1997-1998 की स्थिति में परिसीमित कर दिया (फ्रीज्ड) और आगे बढ़ने वाले इस सीमा से अधिक व्यय के लिये यह निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय अपने स्रोतो से इसका वहन करें।

6- उपर्युक्त व्यवस्थाओं में आई कठिनाईयों के समाधान हेतु अपने पत्रांक अ॰श॰प॰ 3180/स॰उ॰ शिक्षा 97 सितम्बर 9, 1997 को विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि शासन कि यह मंशा कतई नही है कि विश्वविद्यालयों में दिन प्रतिदिन के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हो, इसलिये यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शासन द्वारा अनुमोदित मद/पद है, उन पर व्यय हेतु जो वित्तीय सहमति द्वारा बजट अनुमोदित किया गया है, शासन द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हेतु जो प्रविधान किया गया हैं, उन अनुमोदित मदों/पदो पर व्यय किये जाने हेतु कोई रोक नही है। बशर्ते कि बजट में प्रविधान कराया गया हो तथा इस हेतु विश्वविद्यालयों के लिए निर्गत वित्तीय स्वीकृति में ब्लाक ग्राण्ट में जो विभिन्न मदे दी गई है, उसमें व्यय की फाण्ट तथा धनराशि का उल्लेख है, उस सीमा तक व्यय कराने के लिये विश्वविद्यालय सक्षम हैं।

7- उपर्युक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय प्रेस के कर्मचारियों को शासन ने कभी भी विश्वविद्यालय कर्मचारी से अलग नही माना है तथा पद एवं वेतनमान की स्वीकृतियां प्रेस की स्थापना से अद्यावधि अन्य विश्वविद्यालयीय कर्मचारियों की भांति शासन के द्वारा स्वीकृत होती रही है। अतः प्रेस अनुभाग से सम्बन्धित सेवायें विश्वविद्यालय कार्मिको हेतु निर्गत शासनादेश सं॰ 6895/15-(15)-1983-46(7) 182, दिनांक 24 जनवरी, 1984 सं॰ 2443/15/15/-46(4)/83, दिनांक 23 अगस्त 1996, सं॰2114/70-4/2004-46(13/2004) दिनांक 18 नवम्बर 2004 प्रेस कार्मिको पर लागु होती रही है। इस सम्बन्ध में निम्न उदाहरण भी प्राप्त है।

(क) विश्वविद्यालय के कार्मिको की पेन्शनीय सेवा हेतु वित्त अधिकारी महोदय के पत्र दिनांक 13.08.1997 द्वारा शासन को प्रेषित है, जिसमें विश्वविद्यालयीय प्रेस कर्मचारियों हेतु संशय उत्पन्न किया था, परन्तु शासन द्वारा प्रेस कार्मिकों की पेन्शनीय सेवा मानते हुये पेन्शन अनुमन्य किया गया, पत्र की छायाप्रति अवलोकनीय है।

अभी तक विश्वविद्यालयीय प्रेस के 12 कार्मिकों को पेन्शन का लाभ उच्च शिक्षा निदेशालय की स्वीकृति से प्राप्त हो रहा है। सम्परीक्षा द्वारा अत्यन्त स्पष्ट विधि सम्मत तथा शासन द्वारा स्वीकृत प्रकरण पर प्रेस कार्मिकों को अकारण ही परेशान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नही बचता कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् प्रमुख सचिव वित्त के अर्द्धशासकीय पत्र अ॰श॰प॰ 3180/स॰उ॰शिक्षा 97 सितम्बर 9, 1997 के दिशा निर्देश के आलोक में प्रकरण के निस्तारण हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करें तथा स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा को उक्त के आलोक में निर्दिष्ट करें कि यह प्रकरण 1997-98 के वाद पूर्णतः समाप्त हो गया है और विश्वरिद्यालय प्रेस कर्मचारियों को अन्य कार्मिकों की भांति सेवा निवृत के

उपरान्त सभी लाभ पेन्शन, ग्रेच्युटी इत्यादी हेतु अर्ह है। अतः इन्हे समस्त सेवा निवृत्तिक आनुतोष अन्य कार्मिकों की भांति प्राप्त होंगे।

प्रार्थना

आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में प्रस्तुत करके प्रेस कार्मिकों के पक्ष में निर्णय प्राप्त करने का अनुग्रह करें, इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध करना है कि इस अनावश्यक एवं अनपेक्षित व्यवधान के कारण दिसम्बर, 2012 से सेवानिवृत्त अनेक कर्मचारी पेन्शन न मिलने के कारण अत्यन्त कारूणिक स्थिति में आ गये हैं और उनके समक्ष जीवन निर्वाह का संकट खड़ा हो गया है।

अतः त्वरित निर्णय आवश्यक है।

दिनांक 09.01.2015

प्रार्थी
(बलराम उपाध्याय)
प्रेस मैनेजर
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

कतिपय सदस्यों ने यह अवगत कराया कि उक्त विभाग में सन्दर्भित तीन कर्मचारियों (श्री राममूरत शर्मा, श्री कैलाश नाथ सिंह एवं श्री कालीचरण) के अतिरिक्त कई कर्मचारी (श्री घनश्याम उपाध्याय, श्री रामप्रपन्न उपाध्याय, श्री शेषनाथ तिवारी, श्री हरिनाथ यादव, श्री रामशरण, श्री रामजी, श्री गुणेन्द्र नाथ तिवारी, श्री लालजी, श्री प्रेम चन्द्र, श्री ब्रजनाथ द्विवेदी, श्री बृजराज यादव एवं श्री आत्माराम पाण्डेय) इनके पूर्व सेवानिवृत्त हो गये है उन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवा शर्ते तथा सन्दर्भित तीन कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवाशर्ते एक समान है और जबकि उन सभी के सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें समस्त सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त हो गये है। जबकि इन तीन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में आडिट विभाग द्वारा आपत्ति लगायी गयी है, जो उचित नही है और समान नीति के अनुरुप नही है जबकि उक्त तीन कर्मचारी पिछले लगभग एक वर्ष से सेवानिवृत्तिक लाभों के लिये भटक रहे है और उनका परिवार प्रभावित हो रहा है।

अतः सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया गया :

1- तीनो कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र परिपूर्ण करके निदेशालय को प्रेषित किया जाये जैसा कि पूर्व में उक्त विभाग के समान स्तर के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री घनश्याम उपाध्याय, श्री रामप्रपन्न उपाध्याय, श्री शेषनाथ तिवारी, श्री हरिनाथ यादव, श्री रामशरण, श्री रामजी, श्री गुणेन्द्र नाथ तिवारी, श्री लालजी, श्री प्रेम चन्द्र, श्री ब्रजनाथ द्विवेदी, श्री बृजराज यादव एवं श्री आत्माराम पाण्डेय के मामले में भेजा गया था। परन्तु साथ ही पेंशन प्रपत्र में आडिट आपत्ति का उल्लेख कर दिया जाय।

2- निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को पेंशन प्रपत्र के साथ जो प्रपत्र प्रेषित किया जाय उसमें पूरी स्थिति स्पष्ट की जाये जिसमें आडिट आपत्ति का भी हवाला हो और उसी विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारीगण

श्री घनश्याम उपाध्याय, श्री रामप्रपन्न उपाध्याय, श्री शेषनाथ तिवारी, श्री हरिनाथ यादव, श्री रामशरण, श्री रामजी, श्री गुणेन्द्र नाथ तिवारी, श्री लालजी, श्री प्रेम चन्द्र, श्री ब्रजनाथ द्विवेदी, श्री बृजराज यादव एवं श्री आत्माराम पाण्डेय जिनकी नियुक्ति एवं सेवाशर्ते समान थी और आडिट आपत्ति नही थी और वे सभी सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त कर रहे है का उल्लेख किया जाय।

3- पूर्व में सेवा निवृत्त इसी विभाग के कर्मचारियों जिनकी सेवाशर्ते समान थी और जिनके विषय में आडिट द्वारा कभी आपत्ति नही की गयी थी और जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त कर रहें है उनका विवरण लिखते हुए तथा विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर आडिट आपत्ति का निराकरण करने के लिये आडिट विभाग को लिखा जाये और कार्यपरिषद् की भावना से अवगत भी कराया जाय।

5- श्री परमात्मा प्रसाद चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त अधीक्षक, द्वारा प्रस्तुत अदेयता प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रत्यावेदन पर विचार।

परिषद् को कुलसचिव ने अवगत कराया कि श्री परमात्मा प्रसाद चतुर्वेदी अपनी अधिवर्षिता वय पूर्ण कर दिनांक 31.11.2014 को सेवानिवृत्त हो गये है। श्री चतुर्वेदी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते सुए सूचित किया है कि वे सेवानिवृत्ति के पूर्व पुस्तकालय द्वारा प्राप्त पुस्तकों को दिनांक 20.11.2014 को जमा कर दिया था। पुस्तकालय में काउण्टर सहायक द्वारा पुस्तकों का निरीक्षण कर जमा कर लिया गया। जमा करते समय काउन्टर सहायक द्वारा किसी प्रकार की पुस्तकों से फटे पन्ने का उल्लेख नही किया था। परिषद् को कुलसचिव ने यह भी अवगत कराया कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् अदेयता आवेदन पत्र पूरित कर पुस्तकालय में प्रेषित करने पर एक माह पश्चात् पुस्तकाध्यक्ष द्वारा पन्ने फटे होने का जिक्र करते हुए उन्हे दिनांक 07.01.2015 को अदेयता आवेदन पर पुस्तकों के क्रमशः पृष्ठ सं॰ 263 से 280(18 पृष्ठ) एवं 99 से 110 (12 पृष्ठ) का उल्लेख करते हुए आदेयता आवेदन पत्र कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।

उपर्युक्त से यह आभास होता है कि सेवा निवृत्त कर्मचारी के स्तर पर कोई त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारी के नाम निर्गत पुस्तक को राइट ऑफ करने अथवा निर्धारित मूल्य जमा करने के सम्बन्ध में प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपर्युक्त तथ्यों से अवगत होते हुए कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि पुस्तकालय कार्ड देखकर यदि यह स्पष्ट होता है कि उस पर की गयी प्रविष्टि पावती के समय ठीक थी तो बाद में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा लगाई गई आपत्ति मान्य नही होगी। उक्त को देख लिया जाय और सही पाये जाने की स्थिति में कार्यपरिषद् निर्देशित करती है कि पुस्तकालयाध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी को अदेयता निर्गत करें।

भविष्य में जिस दिन पुस्तकालय में पुस्तक जमा हो उसी दिन पुस्तकालय कार्ड में अदेयता (Nodues) दिये जाने पर पुस्तकालय द्वारा बाद में की गयी आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी। अध्यापको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को माँगे जाने पर तीन दिन के अन्दर अदेयता प्रदान की जाय।

6- कार्यपरिषद् के समक्ष कुलपति महोदय ने कहा कि विश्वविद्यालय स्थित विश्वप्रसिद्ध सरस्वती भवन पुस्तकालय में कई दुर्लभ पाण्डुलिपि (मैन्युस्क्रिप्ट) सुरक्षित है। इन पाण्डपलिपियों में कई की रचना कलात्मक लिपियों में की गयी है। यदि विश्वविद्यालय द्वारा इन कलात्मक लिपियों की सहायता से एक कम्प्यूटर फान्ट निर्मित किया जाय तो यह विश्वविद्यालय के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होगी। अतः इसके निर्माण हेतु एक ठोस प्रयास विश्वविद्यालय द्वारा होना समीचीन है।

परिषद् के समस्त सदस्यों ने कुलपति के प्रस्ताव पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए फाँट निर्मित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए अधोलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की-

1- प्रो॰ हरिप्रसाद अधिकारी
2- डा॰ शैलेश मिश्र
3- डा॰हीरक कान्ति चक्रवर्ती

7- कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से दिनांक 25.03.2014 से दिनांक 27.03.2014 तक सम्पन्न कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत अध्यपाको के प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की संस्तुति जो उ॰ प्र॰ राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(8)(क) के अन्तर्गत मा॰ कुलाधिपति महोदय निर्दिष्ट करते हुए उनके विनिश्चय हेतु प्रेषित किया गया है। उस पर मा॰ कुलाधिपति महोदय के आदेश प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

8- कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर वहाँ सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरा तथा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक विभागों में शिक्षको/ कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक्स सिस्टम लगाये जाने का निर्णय लिया।

9- कार्यपरिषद् को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय की 2015 वर्षीय परीक्षा के लिए समस्त कक्षाओं (प्रथमा से आचार्य द्वितीय) के परीक्षा सम्बन्धित कार्य आन लाइन (Online) प्रक्रिया से कराया जाएगा तथा इस कार्य के लिए UPDESC को अधिकृत किया गया है, कार्यपरिषद् ने हर्ष व्यक्त करते हुए स्वीकार किया और प्रक्रिया का अनुमोदन किया।

10- कार्यपरिषद् के कुछ सदस्यों ने परिषद् के समक्ष कहा कि पिछले कुछ समय से महसूस किया जा रहा है कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के आडिटर श्री राजेश झा विश्वविद्यालय के कार्यो (भुगतान सम्बन्धी) में अनुचित आपत्तियां लगा कर व्यवधान उत्पन्न कर रहे है और कभी कभी विश्वविद्यालय के आन्तरिक कार्यप्रणाली में भी हस्तक्षेप करके कार्यो के निस्तारण में रूकावट कर रहे है। उनके कार्यकलापों से शिक्षक एवं कर्मचारी वर्ग में नाराजगी है, अतः उन्हें विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित कराया जाये क्योंकि उनके कार्यप्रणाली से विश्वविद्यालय के अधिकांश प्रकरण लम्बित रहते है और उनका निस्तारण समय से नही हो पाता।

विचार-विमर्श के अनन्तर परिषद् ने निर्णय लिया कि वित्त अधिकारी स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा विभाग के निदेशक से यह अनुरोध करें कि सम्बन्धित कर्मचारी को तत्काल

विश्वविद्यालय से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाय क्योंकि वह विश्वविद्यालय हित में सहयोग नही कर रहें है, बल्कि उनके कार्यप्रणाली से प्रायः प्रशासनिक परेशानी उत्पन्न हो रही है और कई अवसरों पर मनमाना कार्य करते है।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी